खण्ड-218, अंक-9
शुक्रवार, 28 माघ, शक संवत् 1882
(17 फरवरी, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३६५

अक्षयवर्रासंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्.राम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़यूर अली ख़ां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री

बदलू राम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजवासी लाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरूलनबी, श्री
मथुराप्रसाद, पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री

रामचन्द्र बिकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी, मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिव प्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती

सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा वित्त मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १७ फरवरी, १९६१

अतारांकित प्रश्न

गुड़ तथा खांडसारी के भाव में मन्दी

**१---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या सरकार का ध्यान गुड़ तथा खांडसारी के भाव गिरने की ओर गया है ? यदि हां, तो उसे संतुलित रखने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

सूचना उप मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)---जी हां, यद्यपि गुड़ और खान्डसारी के भाव १९६० में १९५९ के मुकाबले गिरे हैं तो भी वे १९५७ और १९५८ के मुकाबले में ऊंचे हैं। परिस्थिति ऐसी नहीं है कि सरकार की ओर से कोई विशेष कदम उठाया जाय।

**२---श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि सरकार का इरादा यह है कि गुड़ तथा खांडसारी का भाव और अधिक मंदा हो जाय ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार इसके लिये क्या कर रही है ?

श्री रऊफ जाफरी---जी नहीं।

श्री गेंदासिंह---यह ५७, ५८, ५९, ६० और इस वक्त के भाव में क्या अन्तर है, इसकी कोई फीगर माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी---सन् ५७ में जनवरी के महीने में गुड़ का भाव था १० रु० ९६ नये पैसे प्रति मन, सन् ५८ में ११ रु० ८१ नये पैसे प्रति मन, सन् ५९ में १६ रु० ११ नये पैसे प्रति मन, सन् ६० में १५ रु० ७६ नये पैसे प्रति मन और सन् ६१ में १३ रु० ९१ नये पैसे प्रति मन। तो आप देखेंगे सन् ५७ के मुकाबले में इस वक्त जो भाव है वह २ रु० ९५ नये पैसे ज्यादा है, सन् ५८ के मुकाबले में २ रु० १० नये पैसे ज्यादा है लेकिन सन् ५९-६० के मुकाबले में यह कम है।

इस तरह से खांडसारी का भाव सन् ५७ में था २३ रु० ४२ नये पैसे प्रति मन, सन् ५८ में ३० रु० २१ नये पैसे प्रति मन, सन् ५९ में ३० रु० ६३ नये पैसे प्रति मन, सन् ६० में ३५ रु० ९३ नये पैसे प्रति मन और सन् ६१ में ३१ रु० ७१ नये पैसे प्रति मन। तो इस तरह से सन् ५७ के मुकाबले इस वक्त जो भाव है वह ८ रु० २९ नये पैसे ज्यादा है, सन् ५८ के मुकाबले में १ रु० ५० नये पैसे ज्यादा है और सन् ५९ के मुकाबले में १ रु० ८ नये पैसे ज्यादा है। सिर्फ ६० के मुकाबले में कम है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि पिछले वर्षों में खांडसारी और गुड़ के बनाने वालों ने काश्तकारों का ज्यादा गन्ना खपाया और खांडसारी बनाने वालों ने बड़ी शुगर फैक्टरी वालों से ज्यादा कीमत देकर काश्तकारों से गन्ना खरीद लिया, इसलिये सरकार ने कोई नई नीति बनायी जिससे ज्यादा से ज्यादा गन्ना शुगर फैक्टरी वालों को मिले और गुड़ और खांड-सारी डिस्करेज हो?

श्री रऊफ जाफरी---ऐसी कोई पालिसी तो गवर्नमेन्ट ने नहीं बनायी है कि गुड़ या खाँडसारी को डिस्करेज किया जाय। यह दूसरी बात है कि गवर्नमेन्ट की यह कोशिश रहती है कि मिलों को उनकी जरूरत के मुताबिक गन्ना मिल जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि भाव गिरने का क्या कारण है, सरकार की नीति या और कोई कारण है?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि मैं अपने जवाब में कह चुका हूं, बाजार का भाव कुछ ऊंचा-नीचा होता रहता है। इस वक्त भाव कोई बहुत ज्यादा गिरा तो है नहीं। जनवरी के महीने में भाव कुछ कम होता ही है, बाद में बढ़ता जाता है और आखिर में जाकर जून-जुलाई में काफी बढ़ जाता है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् ५७ तथा ५९ और ६० में जो दाम बढ़ा दो तीन रुपये के बीच में वह क्यों बढ़ा तथा ऐसे कोई आंकड़े खांडसारी या गुड़ के बारे में हैं या नहीं हैं?

श्री रऊफ जाफरी---इन पर कोई कंट्रोल तो था नहीं कि उनके आंकड़े रखे जाते। बाजार के हिसाब से जो मांग होती है उसके लिहाज से भाव घटता-बढ़ता रहता है, यह चीज यहां लागू होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या सरकार को गन्ना विभाग से इस तरह की सूचना मिली है कि गुड़ और खांडसारी के दाम कम होने के कारण गन्ना मिलों में किसान अप्रत्याशित रूप से ज्यादा भेज रहे हैं और उससे वहां एक नई समस्या खड़ी हो गई है? यदि हां, तो क्या इसके समाधान की कोई चेष्टा सरकार कर रही है?

श्री रऊफ जाफरी---जैसा कि मैंने कहा कि उनके भाव गिरे नहीं हैं लिहाजा डाईवर्जन इतना ज्यादा नहीं है कि उसका मिलों पर कोई असर पड़े।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ व खांडसारी के उत्पादकों की ओर से सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र आया है कि गिरते हुये भावों से उनकी रक्षा की जाय?

श्री रऊफ जाफरी---ऐसी कोई सूचना इस वक्त हमारे पास नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--- श्रीमन्, जिस किसान के पास १ एकड़ में ५० मन गुड़ होता था, आज उसमें दस बारह मन गुड़ हो रहा है और वह भी १२-१३ रुपया मन बिक रहा है और यह गुड़ २ मास बाद १९-२० रुपया मन बिकेगा, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि १ रुपया मन से अधिक मुनाफा न लिया जाय?

श्री रऊफ जाफरी---भाव जब बहुत ज्यादा बढ़ेंगे या घटेंगे तो इस तरह की जरूरत होगी और उस वक्त जैसा जरूरी होगा वह किया जायगा ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार इसका कारण बतायेगी कि १९५९-६० और १९६०-६१ में गुड़ और खाँडसारी के भाव २ रुपया प्रतिमन के करीब गिरे हैं तो कितने रुपया और मन भाव और गिरेंगे जब सरकार समझेगी कि अब भाव गिर गये और रोक लगावेगी ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जब दस रुपया मन या उससे और अधिक कीमत घट जायगी तो विचार किया जायगा कि हम क्या करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---इस बात को देखते हुए कि गुड़ और खांडसारी के भाव ऐसे हों कि जिससे किसानों को खर्च के अलावा लाभ भी हो सके। क्या सरकार कोई प्राइस बोर्ड या कमेटी बनायेगी जो विचार करे कि इस सम्बन्ध में किसानों का हित कैसे हो ?

श्री रऊफ जाफरी---इस वक्त ऐसा कोई विचार नहीं है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की व्यवस्था के विरुद्ध शिकायत

****३---श्री गेंदासिंह**---क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या गोरखपुर विश्व-विद्यालय की व्यवस्था के विरुद्ध कुछ गम्भीर आरोप लगाकर हाल में शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो कितने, किनके द्वारा और कब ?

शिक्षा उप मन्त्री (रामस्वरूप यादव)---जी हां, २४ जनवरी, १९६१ को एक गुमनाम शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ।

****४---श्री गेंदासिंह**---क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इन शिकायती-पत्रों में किस प्रकार के आरोप हैं और इन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसमें विश्वविद्यालय के उपकुलपति के विरुद्ध कुछ व्यक्तिगत आरोप हैं, कुछ कोषाध्यक्ष के विरुद्ध आरोप है और शेष आरोप अध्यापकों की नियुक्तियों सम्बन्धी तथा विश्वविद्यालय के अन्य व्यवस्थाओं के बारे में है।

गुमनाम पत्रों पर साधारणतया सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है, विशेषत: विश्व-विद्यालयों में जो स्वत: सत्ता सम्पन्न हैं ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया ने एक स्मृति-पत्र भेज कर सारी शिकायतें अपने नाम से भेजी है और वह सरकार के पास पहुंची हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस वक्त तो सरकार के पास कोई ऐसा पत्र मजीठिया जी का नहीं आया है।

श्री गेंदासिंह---यह गुमनाम पत्र जो आया है उसमें क्या शिकायतें हैं, क्या वह उन को संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---कुछ तो व्यक्तिगत हैं उनको बताना उचित न होगा लेकिन कुछ ऐसी भी शिकायतें है कि जो नियुक्तियां हुई है वे नियम के अनुसार नहीं हुई, रिश्तेदारों को बना दिया गया है एग्जामिनर्स बनाने मे भी नियमों का पालन नहीं किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---माननीय मंत्री जी ने कहा कि गुमनाम पत्रों पर साधारणत: कोई कार्यवाही नहीं की जाती, अगर साधारणत: कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो ऐसे पत्र पर जिसमें कि व्यक्तिगत आरोप नहीं हैं बल्कि यूनिवर्सिटी में

एप्वाइंटमेंट के संबंध में शिकायत की गई है कि नियम का पालन नहीं किया गया, इस बात की जांच कराने की सरकार कृपा करेगी कि कहां तक इस तथ्य में सच्चाई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसी तरह की शिकायत जून ५९ में भी आई थी। वह वाइस-चांसलर को भेज दी गई थी। चांसलर ने भी देख-भाल की थी और चांसलर का यह खयाल है कि जो शिकायतें थीं वह भ्रम पर आधारित थीं ।

श्री गेंदासिंह---गुमनाम पत्र के अलावा, जिसका मैंने अभी जिक्र किया इस तरह का भी पत्र सरकार के पास आया है, क्या सरकार उस पत्र को भी देखकर उत्तर देने की कृपा करेगी कि उन बातों की शिकायत बहुत ही जिम्मेदारी के साथ की गई है इसलिये उसकी जांच कराई जायेगी ?

श्री अध्यक्ष---क्या यह पत्र उन्होंने कबूल किया है कि आया है उनके पास ?

श्री गेंदासिंह---जी नहीं ?

श्री अध्यक्ष---तो फिर यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजनारायण---क्या सरकार हमारे इस निवेदन पर खयाल करेगी कि अभी-अभी तीन दिन मैं गोरखपुर रहकर आया हूं। वहां पर गली-गली में यह चर्चा है कि एक विशेष जाति के लोगों को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर या अन्य स्थानों पर नियुक्त किया जा रहा है। यदि हां, तो जब गली-गली में चर्चा है तो सरकार इस पर ध्यान देकर जांच करायेगी ?

शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)---हमारे पास तो कोई ऐसी सूचना नहीं है कि गली-गली में इस तरह की शिकायत है। आपने कहा है, हम देखेंगे। अगर माननीय सदस्य हमारे पास लिखकर भेजेंगे तो जो कुछ नियम के अनुसार हम कर सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि नियुक्तियों में से ऐसे लोग तो नहीं हैं जो मैनेजिंग कमेटी या एक्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों के रिश्तेदार हों ?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो जांच करने को कहा। आप लिखकर दीजियेगा।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार को इस बात की इत्तला है कि गोरखपुर में अभी हाल ही में कोई ऐसी मीटिंग हुई है जो श्री हरी शंकर गुप्त, वाइस प्रेसीडेंट, अन्तरिम जिला परिषद् की अध्यक्षता में हुई और जिसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी की नियुक्तियों के संबंध में जो बात हुई है उसकी शिकायत की चर्चा की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस समय इसके बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस पत्र में विद्यालय के कोष संबंधी, उपकुलपति के आचरण सबधी भी कुछ आरोप लिखे हुये हैं?

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बताया कि वैयक्तिक आरोप वह नहीं बताना चाहते, क्योंकि शिकायत अनानीमस पत्र मे है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२---**श्री गेंदासिंह**---[१० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१–२––श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ४३–४४ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*३–४––श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)––[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ४५–४६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*५–७––श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)––[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ४७–४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

कानपुर में कलेक्टरगंज बस स्टेशन विस्तृत करने की योजना

*८––श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर कलेक्टरगंज बस स्टाप में बसों के रुकने तथा आने-जाने में स्थान की कमी की शिकायतें सरकार के पास आई हैं। यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपाय सोचा है।

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)––जी हां, कलेक्टरगंज कानपुर बस स्टेशन को नहर की पटरी पाट कर विस्तृत करने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

*९––श्री मोतीलाल अवस्थी––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह उक्त स्थान के पीछे नहर गंग की पटरी लेने तथा नहर पाट कर स्थान विस्तृत करने की योजना पर विचार करेगी?

श्री मुजफ्फर हसन––यह योजना पहले से ही विचाराधीन है।

श्री मोतीलाल अवस्थी––क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बुकिंग खिड़कियों के सामने जो अनेक मिठाई, फल, किताबें बेंचने वालों की दूकानें हैं और जिनकी दूकानें रखने के लिये लाइसेंस दिया गया है तथा जिनकी वजह से भी स्थान की कमी हो गई है और कानपुर ऐसे स्थान में जहां १००,२०० मुसाफिर हर समय टिकट लिया करते हैं, इन लोगों का लाइसेंस कैंसिल करके स्थान की कमी को पूरा करने की कृपा करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन––यह लाइसेंस सुविधा के लिये दिये जाते हैं। और जगह की कमी तो है उसकी कोशिश की जा रही है कि वह दिक्कत रफा हो सके।

श्री सुरथबहादुर शाह (जिला खीरी)––सरकार ने यह कहा कि उसके विचाराधीन है। तो सरकार बतायेगी कि यह कब से विचाराधीन है?

श्री मुजफ्फर हसन––विचाराधीन तो मैंने नहीं कहा। उसकी कोशिश हो रही है। बात यह है कि उसका ताल्लुक दूसरे विभाग से है और उससे लिखा पढ़ी हो रही है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)––मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रश्न बहुत दिनों से विचाराधीन है और बहुत दिनों से चल रहा है कि नहर की पटरी को पाट दिया जाय। तो मंत्री जी बतायेंगे कि दूसरे विभाग को लिखकर कितने दिनों में ठीक करवा लेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन––जो दिक्कत है वह मैंने बता दी और कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके हो जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी––मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास ऐसी शिकायतें भी आयी हैं कि स्थान की कमी के कारण मुसाफिरों में गिरहकटी बहुत बढ़ गई है और इसकी सूचना बार-बार अधिकारियों को दी गई लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया?

श्री मुजफ्फर हसन---इससे तो कोई इसका सम्बन्ध नहीं मालूम होता और न कोई ऐसी शिकायत आयी है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रस्ताव अभी सिर्फ भेजा गया है या सरकार ने कोई रूप रेखा भी तैयार की है कि कितना व्यय पड़ेगा। और उसके सामने अगर कोई कठिनाई है तो वह क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन---कठिनाई तो मैंने पहले बता दी कि दूसरे विभाग से लिखा-पढ़ी हो रही है और मंजूरी आने के बाद ही उसकी स्कीम बना सकते हैं ।

राजकीय महाविद्यालय, नैनीताल में हड़ताल,

*१०---**श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनीताल के राजकीय महा-विद्यालय के विद्यार्थियों ने विद्यालय के हाल के पुनः नामकरण के विरोध में १० नवम्बर, १९६० से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल कर दी है ?

श्री राम स्वरूप यादव---जी नहीं, केवल १०,११ तथा १२ नवम्बर को हड़ताल रही।

*११---**श्री ऊदल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस संबंध में स्थानीय बार एसोसियेशन ने भी एक प्रस्ताव पास कर विद्यार्थियों की मांग का समर्थन किया है और प्रस्ताव की कापी सरकार के पास भेजी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां।

श्री ऊदल---शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि १०,११ और १२ नवम्बर को हड़ताल थी वह इसलिये थी कि उस राजकीय महाविद्यालय हाल का नाम डाक्टर ए० एन० सिंह हाल था और विद्यालय के अधिकारियों ने उसका नाम बदल कर डाक्टर सम्पूर्णानन्द भवन रख दिया इसलिये हड़ताल रही ? और नाम बदलने का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---हड़ताल इसी वजह से थी और जिन सज्जन के नाम वह हाल रखा गया था उन्होंने सूचित कर दिया कि हाल उनके नाम से न रखा जाय।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब यह निश्चित हो गया है कि हाल जो डाक्टर ए० एन० सिंह के नाम से था उनके ही नाम से रहेगा और नामकरण बदला नहीं जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह निश्चय नहीं हुआ लेकिन जिनके नाम से हाल रखा गया था उन्होंने यह सूचना दे दी कि मेरे नाम से हाल न रखा जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अब किनके नाम से यह हाल रखा जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो जो वहां के संबंधित अधिकारी हैं वे जैसा भी करें। नाम बाद में बदल दिया था उस पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द न लिख दिया कि मेरे नाम से हाल न रखा जाय।

श्री राजनारायण---पहले हाल श्री ए० एन० सिंह के नाम से था बाद में बदलकर श्री सम्पूर्णानन्द के नाम से रखा गया । तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि ए० एन० सिंह जी ने कब लिखा कि उनका नाम बदल दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष---क्या ए० एन० सिंह को आप जानते हैं और वे क्या वहां मौजूद हैं ?

श्री राजनारायण---उत्तर में कहा गया है कि ए० एन० सिंह ने लिख कर दिया कि उनका नाम बदल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप सोते रहे। श्री सम्पूर्णानन्द जी ने लिख कर दिया कि उनका नाम न रक्खा जाय और उसे बदल दिया जाय।

श्री राजनारायण---सम्पूर्णानन्द जी ने कब लिख कर दिया?

श्री रामस्वरूप यादव---दिसम्बर, ६० में लिख कर दिया।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि स्वर्गीय ए०एन० सिंह का नाम बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गयी जिसके कारण वहां हड़ताल हुई?

श्री अध्यक्ष---एक चीज आप स्पष्ट कर दें कि यह नाम बदलने का काम सरकार करती है या कोई अन्य संस्था करती है?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार ने नहीं किया था। वहां के स्थानीय कालेज के अधिकारियों ने किया था।

श्री अध्यक्ष---आप यह स्पष्ट कर दें कि वहां कोई मैनेजिंग बाडी अलग है। इसमें राजकीय महाविद्यालय लिखा हुआ है, लेकिन आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं उससे यह भ्रम होता है कि वहां कोई दूसरी संस्था इसे चला रही है। यह सरकारी कालेज है या प्राइवेट है?

आचार्य जुगलकिशोर---यह सरकारी कालेज है लेकिन अभी प्रिंसिपल साहब की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कि उन्होंने नाम बदल दिया है। उस पर वे विचार कर रहे हैं क्योंकि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने अपने नाम के लिये यह लिख कर दे दिया है कि वे अपना नाम नहीं चाहते हैं इस हाल के लिये।

श्री अध्यक्ष---उनको अधिकार है नाम बदलने का?

आचार्य जुगलकिशोर---संभव है हमसे ही पूछ कर नाम बदलेंगे।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---ए० एन० सिंह जी का नाम बहुत दिनों से चला आ रहा था। उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उनके नाम का पत्थर हटा दिया गया और जब सम्पूर्णानन्द जी का पत्थर लगा रहे थे तो लड़कों ने हड़ताल की। क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां के प्रिंसिपल ने बिना सरकार की आज्ञा के ऐसा कैसे किया?

आचार्य जुगलकिशोर---डाक्टर ए० एन० सिंह का नाम हटाया नहीं गया है। एक दूसरा हाल बनाया गया है और उसका नाम डाक्टर सम्पूर्णानन्द हाल रखा गया है। वह हाल आगे बन गया है जिससे ए० एन० सिंह वाला हाल पीछे पड़ जाता है। ए० एन० सिंह का नाम अब भी लगा हुआ है।

श्री चन्द्रजीत यादव---जो सरकारी संस्था या कालेज होता है उनका नामकरण जब बदला जाता है या रखा जाता है तो सरकार की स्वीकृति से रखा जाता है। वहां यह कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, न कोई मैनेजिंग बाडी है और यह नाम पहले से चला आ रहा था उसी को बदलने का प्रश्न था और कोई नया हाल बनाया गया उसके नाम को बदलने का प्रश्न नहीं था इसे जरा माननीय मंत्री स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि नाम बदलने के लिये स्वीकृति ली गयी थी?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि वहां से सुझाव आता है और संभवतः यहां से उसकी स्वीकृति ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह यह जानना चाहते हैं कि पहले जो नाम बदला गया उसकी स्वीकृति ली गयी थी या नहीं?

श्री रामस्वरूप यादव---उसकी सूचना, श्रीमन्, नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या यह सही है कि उस कालेज में दो हाल हैं, पुराने का नाम नहीं बदला गया, नये का नाम रखा गया था?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो अभी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर ही दिया कि जो दूसरा हाल बना था उसका नाम डाक्टर सम्पूर्णानन्द हाल रखा गया था।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी राजकीय कालेज, नैनीताल के प्रिंसिपल साहब का जवाब तलब करेंगे जिन्होंने बिना डाक्टर सम्पूर्णानन्द की राय लिये जिस हाल का नाम डाक्टर ए०एन० सिंह हाल है, दूसरा कोई हाल वहां नहीं है, उसका नाम बदल दिया?

श्री रामस्वरूप यादव---जो कर्त्तव्य हमारा है वह हम पालन करेंगे।

श्री राजनारायण---अभी माननीय शास्त्री जी ने प्रश्न करते हुये स्पष्टीकरण दिया कि वहां दो हाल हैं, एक पुराना जिसका नाम श्री ए० एन० सिंह जी के नाम पर है और एक नया बना है जिसका नाम डाक्टर सम्पूर्णानन्द हाल रखा गया था। लेकिन माननीय प्रतापसिंह ने अभी अपने प्रश्न के द्वारा दूसरी समस्या पेश कर दी कि एक ही हाल है जो स्वर्गीय श्री ए० एन० सिंह के नाम से था और उसी का नाम बदल कर डाक्टर सम्पूर्णानन्द हाल रखा गया। तो इन दोनों बातों में से सरकार कौन सी बात सही मानती है?

श्री अध्यक्ष---अगर आप को मालूम न हो तो आप कृपा कर सूचना मांग लें।

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री ऊदल---श्रीमन्, जब वहां हड़ताल हुई थी तो वहां के बार एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पास कर के सरकार के पास भेजा है जिसे सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकार भी किया है। तो क्या माननीय मंत्री जी उसको जरा पढ़ने की कृपा करेंगे ताकि और सफाई हो सके?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, प्रस्ताव इस वक्त तो मेरे पास सदन में नहीं है, लेकिन जो वहां पर जिला मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने बार एसोसियेशन के मेम्बर्स को, अभिभावकों को और स्टाफ के मेम्बरों को बुला कर १३ नवम्बर को सब मामला शांत कर दिया था। उसके बाद भी प्रिंसिपल का इरादा था कुछ लोगों को रोकने का कि वे इम्तहान न दे सकें, लेकिन अब सबको इजाजत दी जा रही है, सभी इम्तहान में बैठ सकेंगे और अब वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, जरा प्रश्न संख्या ११ को देखने की कृपा करें उसमें लिखा है कि "क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय बार एसोसियेसन ने भी एक प्रस्ताव पास कर विद्यार्थियों की मांग का समर्थन किया है और प्रस्ताव की कापी सरकार के पास भेजी है?" जब इतना स्पष्ट प्रश्न था तो क्या सरकार के लिये यह नहीं चाहिये था कि उस प्रस्ताव की कापी भी उसमें रखती ताकि जो सदन का समय व्यर्थ जा रहा है क्योंकि सरकार कोई उत्तर दे नहीं पा रही है वह न जाता? इस बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---व्यवस्था क्या वह तो स्पष्ट ही बात है। आप जो कह रहे हैं उसका अनौचित्य वे कह नहीं रहे हैं। जब वे यह कबूल करते हैं कि उनका प्रस्ताव आया था और सरकार के पास पहुंच गया तो वह उनके पास होना चाहिये था क्योंकि सरकार को यह मान ही लेना चाहिये कि और पूरक प्रश्न लोग पूछने के लिये खड़े होंगे ही। मैं समझता हूं कि आपकी बात अनुचित नहीं है।

आचार्य जुगलकिशोर--मुझे खयाल है कि वहां के बार एसोसियेशन के प्रेसीडेंट मेरे पास आये थे और उन्होंने यह शिकायत की थी कि वहां के प्रिंसिपल ने उन विद्यार्थियों से जिन्होंने हड़ताल में हिस्सा लिया था उनसे हस्ताक्षर करा के यह शर्त मांगी थी कि आगे के लिये यह वादा करें कि वे किसी हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। इसके संबंध में यह तय हुआ कि इस तरह के हस्ताक्षर लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको परीक्षा में जाने दिया जाय और जो समझौता बार एसोसियेशन के मेम्बरों के सामने होगा उसके ऊपर सरकार और प्रिंसिपल महोदय को चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--(कुछ सदस्यों ने पूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर) बस अब यह समाप्त हुआ, काफी प्रश्न हो चुके।

*१२--**श्री ऊदल**--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ५१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

*१४--**श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री मोतीलाल अवस्थी तथा श्री भगवती-सिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*१५--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ५३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*१६-१८--**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)--[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ५४-५६ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*१९-२०--**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ)--[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ५७-५८ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया]

*२१--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ५९ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

*२२--**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)--[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बाराबंकी-फैजाबाद बस सर्विस पर विचार

*२३--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)--क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाराबंकी से फैजाबाद तक रोडवेज की बसें चलाई जाने वाली हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--प्रसंग विचाराधीन है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह प्रश्न कब से विचाराधीन है और कब इस पर विचार खत्म होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--यह सड़क जब ली जायगी तब देखा जायगा, अभी यह सड़क नहीं ली जा सकी है।

श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि फैजाबाद रोड सबसे पुरानी और सब से अच्छी डामर की सड़क है, इसका भी अभी तक राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन--धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण हो रहा है, इसका भी होगा।

उन्नाव जिले में जे० टी० सी० टीचर्स को नया ग्रेड न मिलना

*२४--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) तथा (श्री भगवतीसिंह विशारद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले में १ जुलाई, १९५५ को नियुक्त किये गये जे० टी० सी० ट्रेन्ड टीचर्स को नया ग्रेड जो १ जुलाई, १९५५ से लागू किया गया है, नहीं दिया जा रहा है बल्कि पुराना ग्रेड ही दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव--जिलाधीश उन्नाव को आदेश दिया जा चुका है कि प्रश्नगत अध्यापकों को निर्धारित वेतन-क्रम दिया जाये। किन्तु कुछ ही दिन पूर्व शासन को शिकायत प्राप्त हुई है कि उक्त आदेश कार्यान्वित नहीं हुआ है। इसकी जांच की जा रही है।

*२५--श्री भीखालाल तथा श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिला अन्तरिम परिषद् ने सरकार से ग्रान्ट मांगी है जिससे उपर्युक्त टीचर्स का बकाया वेतन इत्यादि दिया जा सके और इस सम्बन्ध में दो साल से पत्र-व्यवहार चल रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। परिषद् को बता दिया गया है कि प्रश्नगत अध्यापकों के लिये शासन द्वारा कोई अनुदान देय नहीं है।

श्री भीखालाल--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शासन ने कब आदेश दिया था जिलाधीश को कि नया वेतन-क्रम दिया जाय और कब शिकायत मिली कि उसका पालन नहीं किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--शिकायत तो श्रीमन्, अभी आई है, लेकिन अंतरिम जिला परिषद्, उन्नाव को सरकार की ओर से कई बार यह लिख दिया गया था कि सरकार से उनको रुपया नहीं मिलेगा और उनको ही वेतन देना चाहिये।

श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या मंत्री जी उन कारणों या आधार को बताने का कष्ट करेंगे जिनके आधार पर वह कह रहे हैं कि अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों का इस प्रकार से वेतन-क्रम निर्धारित करने में जो भार बढ़ेगा उसको सरकार को नहीं देना है ? यदि ऐसा है तो वे क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--पहली जुलाई, १९५५ को एक राजाज्ञा जारी हुई थी कि उस समय जो जे० टी० सी० अध्यापक जिला परिषद् में काम कर रहे हैं उनका वेतनक्रम ४५-८० के बजाय ६०-११० कर दिया जाय और इसमें जितना ज्यादा खर्चा होगा उसको सरकार देगी। जिला परिषद्, उन्नाव से ऐसे ४३ अध्यापकों की लिस्ट आई थी। उसके अनुसार सरकार ने उन अध्यापकों के लिये धन दे दिया और १९५९-६० में १३,१०० रुपया दिया गया। इसके बाद जो अन्तरिम जिला परिषद् ने नियुक्तियां की हैं उसकी जिम्मेदारी शासन की नहीं है। यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि आइन्दा वह नये स्केल से वेतन दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सरकार ने एजूकेशन ग्रांट में बढ़ोत्तरी की रकम रखी थी वह जे० टी० सी० अध्यापकों को बराबर मिलती रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव--उन ४३ अध्यापकों के बारे में शिकायत नहीं आई है। इनके अलावा परिषद् ने जो और नियुक्तियां की हैं उनके बारे में शिकायत है, ३० अध्यापकों के बारे में कि उनको नहीं दे रहे हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अध्यापकों की शिकायत आई कि उनको नहीं दे रहे हैं वही उनको ग्रेड दिया जायगा और जब से यह लागू हुआ है तब से एरियर भी दिया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव—उनको आदेश दिया गया है कि यही वेतनक्रम दिया जाय। जिला परिषद् की आर्थिक स्थिति के ऊपर है कि वह एरियर्स दे सकेगी या नहीं।

परिवहन विभाग में पिछड़ी व अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*२६—**श्री भीखालाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में ३१ अगस्त, १९६० को निम्नलिखित पदों पर कितने कर्मचारी व अधिकारी नियुक्त थे और उनमें से प्रत्येक में पिछड़ी व अनुसूचित जाति के अलग-अलग कितने-कितने अधिकारी व कर्मचारी थे और उनका प्रतिशत क्या था और उन पदों के लिये कितनी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है :—

(१) असिस्टेंट जनरल मैनेजर, (२) स्टेशन इंचार्ज, (३) लिपिक, (४) बुकिंग क्लर्क, (५) कन्डक्टर, (६) ड्राइवर, (७) चौकीदार व चपरासी, (८) इंस्पेक्टर व टिकट चेकर।

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७९६ पर)

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान में हरिजनों के लिए जो १८ फीसदी का संरक्षण है उसके अनुसार किसी भी पद पर उसकी पूर्ति नहीं हुई है, उसका कारण क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसमें से जो गजटेड पोस्ट्स हैं वे तो इस सर्कुलर से ज्यादातर पहले ही भर चुकी हैं। बाकी में थोड़ा बहुत हुआ ही है जैसा कि इस फेहरिस्त के देखने से मालूम होगा।

श्री भीखालाल—माननीय मंत्री जी ने बताया कि थोड़ा बहुत हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन से कारण हैं कि परसेंटेज पूरा नहीं हो पाता, उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—मसलन ११ फीसदी कंडक्टरों के लिये है। जाहिर है कि इससे जितना होना चाहिये उतनी जगहें नहीं दी गयी हैं, कंडक्टर रखे गये हैं बहुत पहले से और बीच में पूरा करने की कोशिश की गयी और ११ फीसदी तक कुल में पहुंचे। इसके मानी यह हैं कि उस पर अमल हुआ है। कुछ ड्राइवरों का है, वह टेक्निकल पोस्ट है। उसके लिये टेक्निकल आदमी ही लिया जा सकता है। बाकी, बराबर कोशिश होती है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—ऐसे पदों को भरने के लिये जिनमें टेक्निकल नालेज की जरूरत नहीं है जैसे चौकीदार और चपरासी हैं, इनमें भी संख्या पूरी न होने के कारण क्या हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—उसमें आप देखेंगे कि चौकीदार व चपरासी में ९ फीसदी से ज्यादा आदमी रखे गये और जो फीगर दी गयी है कुल जितने मौजूद हैं उनको दी गयी है। तो कोशिश हो रही है।

*२७-२८—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)—[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६१-६२ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*२९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

अनिवार्य शिक्षा प्रगति

*३०--श्री प्रतापसिंह---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा के प्रतिशत में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---१७.२ प्रतिशत प्रगति हुई ।

*३१--श्री प्रतापसिंह---क्या शिक्षा मंत्री अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में जो योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं उनको सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

*३२--श्री प्रतापसिंह---क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बालिकाओं की प्रारंभिक अनिवार्य शिक्षा को लागू करने के लिये सरकार ने किन-किन नगरपालिकाओं को सलाह एवं सहायता दी ?

श्री रामस्वरूप यादव---नगरपालिका हरद्वार, अलीगढ़, मथुरा, वृन्दावन, चांदपुर, कानपुर, इलाहाबाद, मिरजापुर, लखनऊ, एवं टांडा को ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस १७.२ में कितनी तरक्की प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी और कितनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ?

श्री रामस्वरूप यादव---दोनों योजनाओं का भिन्न-भिन्न तो नहीं है, लेकिन १९५०-५१ में जो था वह ६५.७ प्रतिशत और १९५८-५९ में ८२.९ प्रतिशत हुआ ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य था और उस लक्ष्य के मुकाबिले में किस परसेंटेज से प्रगति हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव---लक्ष्य के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ६ वर्ष से ११ वर्ष की उम्र के बीच में अनिवार्य शिक्षा किये जाने के विषय में क्या सरकार ने कोई योजनायें तैयार कर ली हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह सम्भव नहीं है कि ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को सरकार अनिवार्य शिक्षा दे सके। उसके लिये ८० करोड़ रुपया ५ वर्ष में खर्च होता है जो कि केन्द्रीय सरकार की सहायता के बिना सम्भव नहीं है, लेकिन शिक्षा प्रसार के लिये मल्टी परपज पाठशालायें खोलने का तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार है, ग्रामीण और नगर दोनों क्षेत्रों में।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में भी कोई योजना न बनाने का क्या कारण है ? जवाब में कहा गया है कि विचाराधीन नहीं है, तो क्यों विचाराधीन नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने श्रीमन्, निवेदन किया कि एक तो कारण यह है कि ८० करोड़ रुपया प्रदेशीय सरकार नहीं दे सकती जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसकी सहायता न करे और दूसरी बात यह है कि अनिवार्य शिक्षा बालिकाओं की मुश्किल से कामयाब होती है । अगर देखा जाय तो जितनी संख्या बालिकाओं की स्कूलों में होनी चाहिये उतनी नहीं होती है । इसलिये साधारणतया आसान नहीं है कि हम बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा सब जगह कर सकें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नगर-पालिकाएं ली गई हैं उनको लेने का मापदंड क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना में पहले तीन जगह चल रही थी। उसमें आठ और नगरपालिकायें ली गईं, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तो हमने कोई नगरपालिका ली नहीं है।

*३३–३४—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६४–६५ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

*३५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[२८ फरवरी, १९६१के लिये स्थगित किया गया।

*३६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*३७—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।)

*३८—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ६९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*३९—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ७० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाड़ेछीना का अनुदान बढ़ाने की प्रार्थना

*४०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५८–५९ व १९५९–६० में निम्नांकित स्कूल व कालेजों को कुल कितना (१) आवर्तक व कितना (२) अनावर्तक अनुदान दिया गया तथा उन वर्षों में इन संस्थाओं में हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं का परीक्षाफल कितने-कितने प्रतिशत रहा :—

(१) गणानाथ विद्यापीठ हायर सेकेन्डरी स्कूल ताकूला, जिला अल्मोड़ा,
(२) सर्वोदय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जयन्ती,
(३) मोहनजोशी हायर सेकेन्डरी स्कूल, बागेश्वर,
(४) महाकाली हायर सेकेन्डरी स्कूल, गंगोलीहाट (जिला पिथौरागढ़),
(५) कांडा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांडा, जिला अल्मोड़ा,
(६) जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाड़ेछीना, जिला अल्मोड़ा।

श्री रामस्वरूप यादव—एक तालिका सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९७–७९९ पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाड़ेछीना जो है इसका नतीजा सबसे अच्छा है, ७७ परसेंट है, लेकिन इसको अनुदान सबसे कम दिया जाता है, इसका कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, अनुदान के लिये नियम बने हुये हैं। उसमें यह साफ है कि वार्षिक जो आय और व्यय में अन्तर होता है उसी के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद ३०८ के अनुसार इसका कैल्कुलेशन किया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कैल-कुलेशन उन्होंने बताया उसके हिसाब से भी पूरा अनुदान इसको नहीं दिया जा रहा है, क्या यह सही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक शिकायत वह लिखकर दें तो उसे देखा जा सकता है, लेकिन मेरे पास तो यही है कि जो नियम में आता है वह अनुदान उनको दिया जाता है और एक घाटे का भी श्रीमन् है कि अगर घाटा है तो अतिरिक्त अनुदान भी दे दिया जाता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या यह सही है कि जिस स्थान पर यह विद्यालय है उसके बारे में मौजूदा शिक्षा मंत्री को भी और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को भी तथा उनके सभी सचिव, उप-सचिव, डाइरेक्टर वगैरह को लिखित एक बार नहीं कई बार दिया जा चुका है, आप अपनी फाइलें देखें, श्रीमन्, यह बाड़ेछीना का जो विषय है इसके बारे में उन्होंने कहा कि लिखकर दें तो वह बतायेंगे, तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि पुराने मंत्री जी और नये मंत्री जी दोनों को दिया जा चुका है और उसमें स्पष्टतया यह लिखा हुआ है कि वह ऐसी जगह पर है कि जहां लोग लकड़ी बेचकर अपनी गुजर करते हैं और श्रमदान करके उसकी बिल्डिंग बनायी है ।

श्री अध्यक्ष---यह तो आप स्टेटमेन्ट दे रहे हैं, आप प्रश्न पूछें ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---तो इन बातों को देखते हुये माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसको केवल २ हजार रुपया ही बिल्डिंग अनुदान क्यों दिया गया जबकि उससे ज्यादा सम्पन्न जगहों पर १४ हजार रुपये तक अनुदान दिया गया है जिनका रिजल्ट ज्यादा खराब था ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि अगर किसी खास स्कूल के बारे में कोई शिकायत की होती तो उसके बारे में हम तैयार हो कर आते । अगर माननीय सदस्य को कोई खास शिकायत उसके बारे में है तो मैं उसको दिखला लूंगा ।

*४१-४२---**श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा)---[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

कर्नलगंज इन्टरमीडिएट कालेज की दुर्व्यवस्था

*४३---**श्री जवाहरलाल** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार या संचालक, शिक्षा विभाग के पास कर्नलगंज इंटरमीडिएट कालेज के अध्यापकों का कोई प्रार्थना-पत्र उक्त संस्था की अव्यवस्था, अध्यापकों के वेतन, भत्ते आदि की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में आया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त आवेदन-पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, विषय विचाराधीन है ।

*४४-४६---**श्री भगवतीसिंह विशारद**---[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

एसोशिएट इंस्पेक्टर्स आफ स्कूल्स

*४७---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक के अलावा एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं और क्यों ? प्रत्येक जिले में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--

जिलों के नाम जहां एसोशियेट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं--	उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ।
मेरठ	११२
वाराणसी	८४
इलाहाबाद	७५
लखनऊ	६४
कानपुर	६२
नैनीताल	१७

कार्य की अधिकता के कारण एसोशियेट इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये हैं।

*४८--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में लिपिकों की संख्या नियत करने का आधार क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--लिपिकों की संख्या छोटे बड़े जिलों पर आधारित है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि एसोशियेट इंस्पेक्टर, जो नियुक्त किये गये हैं वे विद्यालयों की संख्या के आधार पर नियुक्त नहीं किये गये हैं बल्कि कुछ ६,७ जिले चुने गये हैं उनमें ही नियुक्त किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस वक्त ६ जिले हैं और २ जिले और हैं जहां पर नियुक्त करना है। अभी नियुक्त नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त यह विचार है कि जहां पर स्कूलों की संख्या अधिक है वहां पर एसोशियेट इन्सपेक्टरों की नियुक्ति पर मुमकिन हो सके तो विचार किया जाय ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एसोशियेट इन्सपेक्टर नियुक्त करने का निश्चय किस आधार पर किया जाता है, कितनी संख्या स्कूलों की हो जाय या कितने अधिक स्कूल हों तब उसके बाद इनको नियुक्त किया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह विचार था कि जिस जिले में ४० से ज्यादा विद्यालय हों जैसे कि ये ६ बड़े जिले हैं इनमें उस वक्त जितने इंस्पेक्टर स्कूलों के लिये जा सकते थे लिये गये। अगर सम्भव हो सका और आवश्यकता समझी गई तो आगे और जिलों में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कौन-कौन ऐसे जिले हैं जहां पर विद्यालयों की संख्या ४० से अधिक है ?

श्री अध्यक्ष--इस प्रश्न का उत्तर हो चुका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---हमने, अध्यक्ष महोदय, सवाल प्रत्येक जिले के बारे में दिया था परन्तु मंत्री जी ने सूचना केवल ६,७ जिलों की दी है। हमारी मांग सारे प्रदेश के लिये थी कि कौन-कौन ऐसे जिले हैं जहां पर ४० से अधिक विद्यालय हैं ?

श्री अध्यक्ष---माध्यमिक विद्यालयों की संख्या पूरे प्रदेश के लिये पूछी गई थी। उसका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री रामस्वरूप यादव---मेरे पास पूरे प्रदेश की लिस्ट तो आई, पता नहीं क्या गलती हो गई।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं अगले सप्ताह किसी दिन फिर उत्तर दीजियेगा। मैं इस सवाल को इस समय स्थगित कर रहा हूं।

[प्रश्न ४७-४८ स्थगित किये गये।]

*४९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[१० मार्च, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*५०---**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**---[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[१४ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ७७ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*५२---**श्री त्रिलोकीसिंह**---[हटा दिया गया।]

सामाजिक तथा नैतिक आरोग्यता के अन्तर्गत राज्यगृह

*५३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---विधान सभा के १५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३-५४ के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शोधक एवं अशोधक संस्थाओं से विमुक्त हुये पुरुषों और महिलाओं की संख्या दिनांक ३० सितम्बर, १९६० तक क्या थी जिन्हें स्थायी रूप से साधारण जीवन में पुनः स्थापित करने के लिये सहायता दी गई है और यह सहायता किस रूप में दी गई है (यानी वार्षिक, माहवारी या एकमुश्त) ?

समाज कल्याण उपमन्त्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०० पर)

*५४---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---विधान सभा के १५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३-५४ के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैतिक संकट से विमुक्त की गई महिलाओं तथा बालिकाओं की संख्या दिनांक ३० नवम्बर, १९६० तक क्या थी जिन्हें निस्तरण गृह देहरादून में रखा गया और उनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८०० पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शोधक संस्थाओं से विमुक्त पुरुष और स्त्री, जिनको कार्य में लगाया गया या विवाह करके गृहस्थी बने, ऐसे लोग भविष्य में अपना कार्यक्रम कैसा रखें, इस पर भी सरकार देखरेख करती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---जी हां।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---ऐसी महिलाओं की या जिन लोगों ने इनके साथ विवाह किया है उन्हें सरकार नौकरी या व्यवसाय प्राप्त कराने में क्या विशेष सुविधा प्रदान करती है ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--जी नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार ऐसे लोगों को सहायता हेतु कुछ विशेष सुविधायें देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद--इस समय इस तरह का कोई प्रश्न ही नहीं उठा और इसी कारण सरकार ने उस पर विचार भी नहीं किया।

*५५--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)--[१६ फरवरी, १९६१ को प्रश्न ३२ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

*५६--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर १० मार्च, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

*५७--**श्री लक्ष्मणराव कदम**---[१० मार्च, १९६१ के लिए स्थगित किया गया।]

सितारगन्ज के विस्थापित किसानों को जमीन वापस देने की प्रार्थना

*५८--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ११ नवम्बर, १९६० को सितारगंज (नैनीताल) क्षेत्र के विस्थापित किसानों के हक में कोई फैसला दिया है ? यदि हां, तो विस्थापित किसानों को उनकी जमीन वापस किये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी हां, दिया था। किन्तु विस्थापित किसानों को उनकी भूमि वापस करने का इस समय कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि शासन ने दिनांक ६ दिसम्बर, १९६० को स्पेशल अपीलें दायर कर दी हैं जिन पर हाईकोर्ट ने अपने आगामी आदेशों तक के लिये भूमि वापस न किये जाने का आदेश दे दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उसने स्वतः इन किसानों के पुनर्वास हेतु क्या कार्य किया है ?

डाक्टर सीताराम--सरकार ने जिलाधीश, नैनीताल को स्टैंडिंग क्राप्स के सिलसिले में एक लाख १० हजार रुपये मुआवजे के रूप में दे दिये हैं। साथ ही जहां जमीन देने का प्रश्न है, जिलाधीश अभी इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको जमीन भी मिले। इस समय तक २० किसानों को जमीन मिल भी चुकी है और प्रयास जारी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को इस प्रकार की सूचना है कि विस्थापित किसानों के बहुत से परिवार जो थारु वगैरह थे, उनको वहां की जमीन पर बसाया गया था, यदि हां, तो क्या सरकार आदेश देगी कि उन सभी लोगों को, जमीन दी जाय ताकि सभी का पुनर्वास हो सके ?

डाक्टर सीताराम--इस समय १८६ लोगों की जमीन ली गयी है जिसमें सिर्फ ७० काश्तकार ऐसे हैं जो कि वहां पर खेती करते हैं, २७ ऐसे थे जिन्होंने अनअथाराइज्ड तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा था, साथ ही साथ ८९ काश्तकार ऐसे थे जो कि बड़े-बड़े आदमी थे या कहीं सर्विस करते थे या बड़े-बड़े शहरों में रहते थे। तो इनकी जमीनें थीं जो ली गयीं। यह कहना कि बहुत से गरीब आदमियों की जमीनें ली गयीं सही नहीं है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस फैसले के अनुसार यह जवाब दिया गया है--सरदार वीरसिंह वर्सेज स्टेट आफ उत्तर प्रदेश--क्या उस फैसले में लर्नेड जज ने यह लिखा है कि उन लोगों का कम्पेन्सेशन ६ लाख रुपये के करीब हो सकता है और वह दुनिया की कोई सरकार नहीं दे सकती है ?

डाक्टर सीताराम--दुनिया की सरकारों के बारे में यहां पर कोई स्टेटिस्ट्क्स नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह--जजमेंट को कृपया पढ़ दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न पुनः स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, जिस फैसले के आधार पर यह जवाब दिया गया है उस फैसले में जज महोदय ने लिखा है कि जिन लोगों को सरकार ने वहां पर बसाया था और जिन्होंने कई साल तक वहां पर मेहनत की है, उनका कम्पेन्सेशन ६ लाख रुपये तक हो सकता है जिसको यह सरकार नहीं दे सकती है । तो मैं चाहता हूं कि उस फैसले को मंत्री जी पढ़ दें ।

डाक्टर सीताराम--उस फैसले की डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं ।

श्री प्रतापसिंह--श्रीमन्, मैं आपकी इस संबंध में व्यवस्था चाहता हूं । इस संबंध में हाईकोर्ट का एक फैसला हुआ है और उस फैसले के आधार पर यहां जवाब दिया गया है । यह अपोजीशन का हक है कि हमारे प्रश्नों का मंत्री जी साफ-साफ जवाब दें । तो जब हमने सवाल पूछा था तो मंत्री जी को तैयार होकर आना चाहिये था और वह फैसला भी उनके पास होना चाहिये था । जब वह फैसला ही नहीं है तो सरकार जवाब कैसे दे रही है ?

श्री अध्यक्ष--वह इतना जानते हैं कि इस संबंध में फैसला हुआ । उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है । अब उस फैसले में क्या-क्या लिखा हुआ है, यह तो आपको जानना चाहिये । आपको स्वयं उसको पढ़ना चाहिये था । अब जब आपने उसको बता दिया और आपको मालूम है, तो आप उनसे क्यों पूछते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव--जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि १८६ में से ८९ शहरों में बसे हुए बड़े लोग हैं और १०० के करीब .....

डाक्टर सीताराम--बाकी ७० हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव--खैर, ७० में से २० की व्यवस्था की है और शेष भूमिहीन और गरीब लोग हैं । क्या सरकार उनको अविलम्ब भूमि दिलवाने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर सीताराम--कम्पेंसेशन ऐक्ट में लैंड एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्स के अनुसार सरकार उसका उत्तरदायित्व अपने कन्धे पर नहीं लेती, लेकिन उनको ३०,००० रुपया मुआवजा और जो स्टैंडिंग क्राप थी उसका १,१०,००० रुपया जिलाधीश ने उनको दे दिया है और उसका वितरण भी कर दिया है और उनकी दयनीय परिस्थिति को देखते हुए और जमीन भी लेने का प्रयास किया है और ७० काश्तकारों में से २० को ढाई सौ एकड़ जमीन भी दे दी गयी और बाकी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ।

*५९--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**--[१० मार्च, १९६१ के लिए स्थगित किया गया ।]

द्वाराहाट हाई स्कूल के कर्मचारियों को हिल एलाउन्स न मिलना

*६०--**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राजाज्ञा (जी० ओ०) नं० A-4212/XV—845—1945, दिनांक ३१ जुलाई, १९४६ के अनुसार द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में जो मिडिल स्कूल खुला और जो बाद में हाई स्कूल हो गया उसके कर्मचारियों और अध्यापकों को जो हिल एलाउन्स मिलना चाहिये था वह न मिला और न मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करेगी कि उक्त हिल एलाउन्स उपर्युक्त कर्मचारियों और अध्यापकों को मय एरियर्स के मिल जावे ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां।

धनाभाव के कारण उक्त स्कूल के कर्मचारियों को भत्ता देना सम्भव न हो सका। बाद में शासन की नीति में परिवर्तन हुआ और राजाज्ञा दिनांक २५-८-५१ के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में स्थित विभागों के भावी सरकारी कर्मचारियों को इस भत्ते के देने पर रोक लगा दी गई।

श्री हरिदत्त काण्डपाल--सरकार ने जो भत्ते के देने की लाचारी जाहिर की है धनाभाव के कारण, तो सरकार कहीं इस गलतफहमी में तो नहीं है कि इस स्कूल को जिला परिषद् का समझती हो ?

श्री रामस्वरूप यादव--भ्रम कोई नहीं है। असल में १९४६ में ऐसा आदेश भत्ते के बारे में हुआ था और इस पाठशाला के बारे में बजट में भी कुछ रुपया रखा गया था, लेकिन किसी कारण से राजाज्ञा वहां के अध्यापकों को भत्ता देने के लिए जारी नहीं हो सकी, जिसके कारण वह भत्ता उनको नहीं मिल सका और बाद में जब सरकार के सामने प्रश्न आया तो उस वक्त धनाभाव था, कोष नहीं था, इसलिए वह खत्म कर दिया गया और १९५१ में यह नीति हो गयी कि यह भत्ता न दिया जाय, इसलिए यह स्थिति हो गयी।

श्री हरिदत्त काण्डपाल--यह जो धनाभाव के कारण भत्ता नहीं दिया गया तो अब आगे को देने का विचार है ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह विषय पुराना है, देख लिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री उदारतापूर्वक इस बात पर विचार करेंगे कि जो दशाएं १९५१ में थीं जिनके मातहत हिल एलाउंस दिया जाता था, वह आज भी मौजूद हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे कि उनको भत्ता दिया जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--मैंने बतलाया कि पहले यह भत्ता दिया जाता था, १९५१ में सरकार की नीति हो गयी कि यह नहीं दिया जायगा। जिस वक्त यह स्कूल शुरू हुआ था, उस वक्त नीति थी। यह विषय पुराना है, लेकिन मैंने जैसा कहा, अवश्य कुछ न कुछ किया जायगा।

अतारांकित प्रश्न

प्राइमरी, जूनियर, उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा छः व ग्यारह वर्ष के बीच अपढ़ बालक

१--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ३१ जुलाई, १९६० को कितने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय व कालेज थे तथा उनमें अलग -अलग कितने-कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे ?

आचार्य जुगलकिशोर--

	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या
प्राइमरी स्कूल	३७,६५२	३७,५२,१८५
जूनियर हाई स्कूल	४,१५८	५,०८,९१९
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	१,६७८	८,५३,६३४

२--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ३१ जुलाई, १९६० को ६ व ११ वर्ष की बीच की अवस्था के कितने अपढ़ बालक थे और उनको शिक्षा देने के लिये स्कूलों व मास्टरों का प्रबन्ध करने के लिये अलग-अलग सरकार को कितने धन के व्यय की आवश्यकता होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---६ से ११ वर्ष की अवस्था के अपढ़ बच्चों की अनुमानित संख्या ५४.०२ लाख थी। उनको शिक्षा देने के लिए अतिरिक्त स्कूलों पर २२२.८२ लाख रुपये आवर्तक तथा ४०१.२० लाख रुपये अनावर्तक तथा अतिरिक्त अध्यापकों पर २७६.६४ लाख रुपये आवर्तक तथा ६३७.०० लाख रुपये अनावर्तक की (प्रथम वर्ष में) आवश्यकता होगी।

लोक लेखा समिति में तथा लाभ पद विषयक संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये विधान परिषद् के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

सचिव, विधान सभा---मैं आप की आज्ञा से सदन को निम्नलिखित संदेश देता हूं---

"महोदय,

आपके पत्र संख्या एल० ए० १३६७/१०१-६०, दिनांक १७ सितम्बर, १९६० के संदर्भ में मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ७ फरवरी, १९६१ की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है---

"यह सदन विधान सभा के संकल्प से सहमत है कि वह विधान परिषद् के ५ सदस्यों को विधान सभा की लोक लेखा समिति में १९६०-६१ के लिये सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये निर्वाचित करे।"

२---उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने तदनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के निम्नलिखित ५ सदस्यों को उक्त समिति पर कार्य करने के लिये निर्वाचित किया है:---

१---श्री मोहम्मद शाहिद फाखरी,
२---श्री नवाबसिंह यादव,
३---श्री सकटूमल,
४---श्री कन्हैयालाल गुप्त,
५---श्री पीताम्बर दास।

आपका विश्वासपात्र,
परमात्माशरण पचौरी,
सचिव।"

दूसरा संदेश इस प्रकार है :

"महोदय,

आपके पत्र संख्या १९३३/२३१ (एस)-५९, दिनांक १९ अप्रैल, १९६० के द्वितीय पैराग्राफ के संबंध में मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि "लाभ पद विषयक संयुक्त समिति" पर कार्य करने के लिये श्री सभापति, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने निम्नलिखित पांच सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया है---

१---श्री अजय कुमार बसु,
२---श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार,
३---श्री पृथ्वीनाथ सेठ,
४---श्री रामनाथ,
५---श्री महाराजसिंह।

आपका विश्वासपात्र,
परमात्माशरण पचौरी,
सचिव।"

श्री जंगबहादुर वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––एक काम रोको प्रस्ताव श्री जंगबहादुर वर्मा जी ने दिया था। उसको मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि बीमारियों के बारे में वह अल्पसूचित या तारांकित प्रश्न कर सकते हैं ।

प्रदेश की उत्तरी सीमा पर थल, जौलजीवी आदि स्थानों में सरकार द्वारा पड़ाव हस्तगत करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सम्बद्ध मंत्री से वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष––नियम ५२ के अन्तर्गत श्री गोविन्दसिंह विष्ट इस प्रश्न को तीन रोज से दे रहे थे, लेकिन आज वही प्रश्न मेरे पास जो आया वह सबसे महत्वपूर्ण है इसलिये मैंने उसे ही स्वीकार कर लिया है । इसके सम्बन्ध में संबंधित मन्त्री वक्तव्य देंगे । वह इस प्रकार से है:––

"उत्तराखंड व कुमाऊं में आदि काल से सीमा पर बसने वाले घुमक्कड़ भोटिया लोगों के टिकने के स्थान-स्थान पर पड़ाव बने हैं जो कागजात माल में भी भोटिया पड़ाव के नाम से दर्ज हैं। इनमें थल व जौलजीवी (जिला पिठौरागढ़), बागेश्वर (जिला अलमोड़ा) के पड़ाव प्रमुख हैं जहां बड़े-बड़े व्यापारिक मेले लगते हैं जिनमें भोटिया लोग आकर रहते हैं व अपना माल बेचते हैं। बागेश्वर भोटिया (जौहारी) पड़ाव में सरकारी इमारतें बनाई जा रही हैं व कुछ भाग में नरसरी लगाई गई है तथा दारमा (भोटिया) पड़ाव में भी अतिक्रमण किया गया है। थल पड़ाव में भी नरसरी लगाने की योजना बनाई जा रही है। एक ओर सरकारी करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष सीमान्त के विकास सुरक्षा तथा वहां के खासकर भोटिया लोगों को प्रसन्न रखने के लिये कर रही है वहां भोटिया पड़ावों के अतिक्रमण से इन लोगों में बड़ी अशांति फैल रही है। इन लोगों ने इस सम्बन्ध में भूतपूर्व मुख्य मंत्री व सरकार को अपने विरोध व मांग पत्र दिये। इस बीच भी ऐसे पत्र सरकार व संबंधित जिलाधीशों को भेजे गये हैं। इन लोगों का कहना है कि हमारा व्यापार चीनियों ने छीना, जमीन कुमाऊं जमींदारी विनाश अधिनियम द्वारा छीन ली गई, अब व्यापार करने व टिकने के पड़ाव सरकार छीन रही है। इस अदूरदर्शिता की नीति से भोटियों में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना तेजी से बढ़ रही है जिसका रोका जाना जनहित में आवश्यक है ।

लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न जिसमें देश की सुरक्षा भी निहित है की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की अनुज्ञा दी जाय।"

क्या मुख्य मंत्री जी आप इस समय कोई वक्तव्य देना चाहते हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)––इस विषय में सोमवार को सदन के सामने वक्तव्य प्रस्तुत करूंगा ।

भारत-तिब्बत सीमा पर कालापानी से बूंदी में चेक पोस्ट हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष––इसके अलावा श्री प्रतापसिंह ने जो चेक पोस्ट का प्रश्न उठाया था उस पर आपने आज बयान देने के लिये कहा था ।

***मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)**––अध्यक्ष महोदय, सिविल पुलिस की जांच चौकियां उन मार्गों पर खोली जाती हैं जहां से होकर विदेशियों को भारत में प्रवेश करने दिया जाता है। ये चौकियां भारत में आने वाले व्यक्तियों के यात्रा सम्बन्धी लेखपत्रों की जांच करने तथा अनधिकृत व्यक्तियों को भारत में प्रवेश करने से रोकने का कार्य करती हैं। उत्तर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रभानु गप्त]

प्रदेश–तिब्बत सीमा पर स्थित हमारी जांच चौकियां विदेशियों का नाम रजिस्टर में दर्ज करने और तिब्बत जाने वाले परम्परागत भारतीय व्यापारियों को व्यापार प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य भी करती हैं ।

२––उत्तर प्रदेश-तिब्बत सीमा पर स्थित जांच चौकियां तब तक कार्य करती हैं जब तक व्यापार के मार्ग खुले रहते हैं और उनमें कुछ यातायात होता रहता है । जब ये मार्ग बन्द हो जाते हैं तो इन जांच चौकियों को बनाये रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती और अत्यन्त शीत के कारण कर्मचरियों को अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के स्थानों पर वापस बुला लिया जाता है । कालापानी की जांच चौकी प्रतिवर्ष अप्रैल से अक्तूबर तक या यदि मौसम ठीक रहे और आवश्यकता हो तो उसके बाद तक भी कार्य करती रहती है और इसके पश्चात् कार्य करना बन्द कर देती है । अतएव यह कहना ठीक नहीं होगा कि कालापानी की जांच चौकी वहां से हटाकर बूंदी में स्थापित कर दी गयी है । यह उल्लेखनीय है कि एक और जांच चौकी मार्च से दिसम्बर तक गर्भयांग में कार्य करती है और दर्रों के बन्द हो जाने पर वह भी कार्य बन्द कर देती है और उसके कर्मचारी नीचे उतर आते हैं ।

३––जहां तक गर्भयांग के लोगों की सुरक्षा का प्रश्न है, यह सम्पूर्ण सीमा की प्रतिरक्षा व्यवस्था का एक अंग है और यह ऐसा विषय है जिस पर विधान सभा में चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)––श्रीमन्, इसके पहले कि मैं कुछ निवेदन करूं मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने जो आपको आश्वासन दिया था कि ये चौकियां उत्तर प्रदेश की देखरेख में ही कार्य करती हैं, वह सही साबित हुआ । पहले दिन तो मंत्री जी ने यह कह कर ही टाल दिया था कि वे हमारे अधिकार ही में नहीं है । जब आपने उनको मजबूर किया तब उन्होंने यह उत्तर दिया ।

अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जो कालापानी में जांच चौकी थी उसी को उठाकर बूंदी में रखा गया है ? कालापानी ९ मील दूर था और बूंदी ३० मील दूर है गर्भयांग से जहां कि ३६ परिवार अब भी रह रहे हैं और जहां से तिब्बती, चीनी और नैपाली लोग आज भी आते जाते रहते हैं । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गर्भयांग में चौकी न रखने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष––उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ४–६ महीने वहां चौकियां रहती हैं, लेकिन जब जाड़ा ज्यादा पड़ने लग जाता है तो वहां से हटा ली जाती हैं, इसलिये कम कर देने का प्रश्न पैदा नहीं होता । इस सवाल का जवाब उन्होंने दे दिया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)––इस बात को देखते हुए कि अब शीतकाल में भी चेक पोस्ट पर रहने के अनेकानेक उपकरण आधुनिक सभ्यता में उपलब्ध है और जिनकी सहायता से जाड़े में बर्फ में भी रहा जा सकता है, तो क्या सरकार इन चेक पोस्ट्स को बारहों महीने कार्य करने के लिये खुला रखेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––अभी सरकार के विचार में यह नहीं था । अगर आपका सुझाव माकूल समझा जायगा तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)––क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मिलन के पास जो चेक पोस्ट है वहां पर बर्फ के कारण मार्ग बन्द हो जाने के बाद भी वहां लोग रहते हैं और अच्छी प्रकार से वह फंक्शन कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष--प्रतापसिंह जी ने जिस चेक पोस्ट का नाम लिया क्या उसी को मिलन कहते हैं या यह दूसरा चेकपोस्ट है ? अगर वह दूसरा है तो यह नया प्रश्न है । मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी फिर से इस बात की जांच करेंगे कि जो चेक पोस्ट कालापनी में था उसी को बूंदी में स्थापित किया गया है जब कि वहां के निवासी उसको गर्भयांग में रखना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--मैंने जो सुना वह तो यह है कि कालापानी में वह चेक पोस्ट ६ महीने काम करता है और ६ महीने के बाद जब वहां जाड़ा ज्यादा पड़ने लगता है तो उसे हटा कर दूसरी जगह ले जाया जाता है । उनका कहना है कि ६ महीने तक रेग्युलर काम करता है और आप कहते हैं कि वह बंद कर दिया ।

श्री प्रतापसिंह--मैं यह कह रहा हूं कि सरकार ने जवाब दिया है कि शीतकाल में बन्द हो जाती है वह चेक पोस्ट जो कालापानी में थी । वह बन्द नहीं की गयी है, वह बूंदी में रखी गयी है । तो क्या मुख्य मंत्री जी उसको वहां से कालापानी में लाने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या यह व्यवस्था जो चेक पोस्ट को बूंदी में हटाने की है वह व्यवस्था इसी वर्ष से लागू हुई है या पहले से ही चली आ रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह पहले से ही चली आ रही है । मैं यहां यह साफ कर देना चाहूंगा कि इन चेक पोस्ट्स पर फारेनर्स के आने जाने का रजिस्ट्रेशन और जो अनधिकृत व्यक्ति हों उनको रोकने का काम होता है । जब वहां रास्ता बन्द हो जाता है और बर्फ ज्यादा पड़ जाती है तो उस कार्य के करने की आवश्यकता नहीं रहती और इसलिये वह वहां से हटा लिये जाते हैं ।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि पिथौरागढ़ के सीमावर्ती इलाके में कोई चेकपोस्ट और जांच चुंगी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रतापसिंह--वहां श्रीमन्, लोगों में इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूं कि वह जरा क्लियर कर दें, और जैसा वह कह रहे हैं उससे तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग दूनी हो जायगी । मेरा जो प्रश्न था दफा ५२ का कि जो चुंगी सीमा पर थी वह वहां से ९ मील दूर पर कालापानी में थी उसको वहां से उठाकर बूंदी जो कि वहां से ३० मील की दूरी पर है किया गया है ऐसा क्यों है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि हमारी सीमा के उस पार तिब्बत में जो तकला घाट है वहां पर भी बरफ पड़ती है, लेकिन वहां बारहों महीने जांच चौकी रहती है, क्या वह यहां भी उसी तरीके से बारहों महीने चौकी रहे इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में सोच लेंगे ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इसकी सूचना सदन को देने की कृपा करेंगे कि जो चौकी बूंदी में दी गयी है उसको वायरलेस सेट दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन यह तो माननीय सदस्यों को मान ही लेना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य तो आपकी सब बातों और व्यवस्था को एक्सपोज करना चाहते हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--तो मैं इसका उत्तर देना नहीं चाहता ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि चीन की तरफ वहां भी बरफ जमा हुआ है, लेकिन इस पर भी वहा चेक पोस्ट रखी हुई है तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है.....

श्री अध्यक्ष--सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विषयों के लिये यहां पर जिम्मेदार नहीं है ।

श्री राजनारायण--अगर जानकारी हो तो बता दें ।

श्री अध्यक्ष--क्यों बता दें जब उनकी सरकार से उनका कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री प्रतापसिंह--वे इस बारे में बतला तो दें ।

श्री अध्यक्ष--क्यों बतलावें ? इसका प्रदेशीय सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या वजीरेआला यह बताने की जहमत गवारा फरमायेंगे कि अगर बर्फ पड़ने पर यानी जाड़े के जमाने में कोई हजरत उधर से आवें तो सरकार के पास उनको चेक करने का कौन सा तरीका है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो कहते हैं कि नहीं आ सकते हैं ।

श्री सुरथबहादुर शाह--यह कैसे हो सकता है ? ऐसे केसेज कई हुए हैं कि नेपाल द्वारा लोग चले आये तिब्बत से जाड़े के महीने में भी । फिर हम उनकी बात कैसे मान लें ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने जवाब दे तो दिया ।

श्री सुरथबहादुर शाह--वे कहते हैं कि बर्फ के समय इसकी जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं कि जाड़े में भी लोग उधर से चले आते हैं ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा कि आप माननीय मुख्य मंत्री के कमरे में जाकर सब सुझाव दे दें ताकि ढिंढोरा न पीटा जाय क्योंकि जो चीजें सदन में कही जावेंगी वे छपेंगी भी । फर्ज कीजिये कि कोई चीज वहां मौजूद नहीं है और सरकार की गलती है, तो वह गलती दूसरों को भी तो मालूम हो जायगी । फिर यह क्या बात हुई ?

श्री प्रतापसिंह--तो मेरे सुझाव को मानें ।

श्री अध्यक्ष--फिर आप जिम्मेदारी के साथ अपने सुझाव उनके पास भेज दीजिये ।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज संशोधन विधेयक, १९६१

शिक्षा उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६१ पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८०१-८०२ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मन्त्री, उपमन्त्री तथा सभासचिव (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१

संसदीय विषयक उपमन्त्री (श्री शांति प्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक १९६१ को पुर: स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८०३-८०५ पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

वित्त मन्त्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कोर्ट फीस) उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्द सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुर:स्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८०६-८०७ पर)

आगरा, मथुरा आदि जिलों में वर्षा, बाढ़, गर्की होने पर भी चकबन्दी टैक्स वसूली के बारे में न्याय मन्त्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में सूचना

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---श्रीमन्, हेल स्टार्म के बारे में जो बयान मैं आज देने वाला था वह सोमवार को देना चाहता हूं क्योंकि अभी हम कुछ आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आप सोमवार को ही वक्तव्य दीजियेगा ।

१९६०-६१ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष---अब माननीय वित्त मंत्री ने जो पूरक अनुदान उपस्थित किये हैं उनके ऊपर विवाद जारी होगा और उसके विषय में मैं समझता हूं कि समय का कुछ निर्धारण हो जाना चाहिये क्योंकि आज ही यह होना है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---श्रीमन्, इस सम्बन्ध में सदन से मेरा अनुरोध है कि साढ़े तीन बजे तक सामान्य विवाद जारी रखा जाय और उसके बाद बिना विवाद के ग्रांट्स पर वोट ले लिया जाय और उसके बाद फिर एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार हो ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---एक निवेदन, श्रीमन्, मुझे भी करना है । मेरा निवेदन यह है कि हमारा यह अनुपूरक अनुदान जो है वह १७,७५,५१,९०० रुपये का है और सरकार चाहती है कि इस पर एक ही दिन में बहस कर के पास कर दिया जाय और इसे खर्च करने की आज्ञा भी सदन दे दे । मैं समझता हूं कि इस पर सदन के सदस्यों को मतप्रकाशन का समय और अवसर मिलना चाहिये और वह इस तरह से नहीं मिलेगा । इसलिये मेरा आप के द्वारा सरकार से आदरपूर्वक विनम्र निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार अधिक हठवादिता न करे और कम से कम २ दिन का समय इसके लिये रखे । क्या नियमावली इस में बाधक बनेगी ?

श्री अध्यक्ष---नहीं बाधक नहीं है, इसमें यह है कि---

"The Speaker may, from time to time, in consultation with the Leader of the House allot one or more days for the discussion and voting of such demands."

इस तरह से नियम तो बाधक नहीं है, अगर नेता सदन आप की बात स्वीकार करें तब हो सकता है ।

श्री राजनारायण---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता सदन से विनम्र शब्दों में प्रार्थना करता हूं कि वह नई सरकार बनाये हैं, अब वह एक नई परिपाटी चलायें और २ दिन का समय दें ।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, अब तक की परिपाटी यही रही है कि सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स एक ही दिन में विचार कर के पारित की जांय । तो जब समय की कमी है तो उस पुरानी परिपाटी में परिवर्तन क्यों किया जाय ? इसलिये मेरा निवेदन है कि एक दिन में ही विचार कर के पास करने की जो परिपाटी है उसी को जारी रखा जाय ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि पहले जो अनुपूरक बजट होते थे वे बहुत छोटे होते थे । सन् ३९ में ओरिजनल बजट साढ़े १२ करोड़ का होता था और जब अब यह सप्लीमेंटरी बजट ओरिजनल बजट से भी ज्यादा का है इसलिये यह जरूरी है कि सरकार इस बढ़े हुये सप्लीमेंटरी बजट को देखकर उदारता दिखाये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आप के द्वारा माननीय नेता सदन से निवेदन करूंगा कि यह १ दिन की परिपाटी बहुत पुरानी नहीं है यह केवल १-२ साल से ही प्रचलित है और उससे पहले २ ही दिन सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स के लिये मिला करते थे । अतः मेरी प्रार्थना है कि वह २ दिन की उस पहली परिपाटी को ही फिर चलाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष---नेता सदन का जवाब तो आ चुका ।

तो अब साढ़े ३ बजे तक तो आम बहस होगी, उस के बाद इस के ऊपर बिना बहस के ही विरोधी दल के नेता चाहते हैं कि वोटिंग हो जाय । उस के बाद जो एप्रोप्रियेशन बिल आयेगा उस पर बहस होगी और वह पारित होगा । पहले श्री नारायणदत्त जी भाषण देंगे, समय का निर्धारण भी हो जाय क्योंकि कई लोग बोलना चाहेंगे, मैं समझता हूं कि श्री नारायणदत्त जी के लिये २० मिनट काफी होंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---२० से २५ मिनट के बीच में समाप्त कर दूंगा ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, १५ मिनट उन लोगों के लिये और दस मिनट हम लोगों के लिये रखा जाय नहीं तो यह नेता लोग ही सारा समय खींच लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—(श्री नारायणदत्त तिवारी से) ठीक है तो २० और २५ मिनट के बीच में आप खत्म करें । १५ से २० मिनट तक दूसरे नेताओं के लिये और बाकी सदस्यों के लिये ७ मिनट रहेंगे ।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, ७ मिनट मिलेंगे तो हमारे साथ अन्याय होगा, हम सदस्यों को दस मिनट मिलने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है तो अन्य सदस्यों को ७ से १० मिनट के बीच में समय मिलेगा ।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, आज वित्तीय वर्ष १९६०–६१ का यह द्वितीय पूरक बजट इसलिये महत्व का है चूंकि यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का और उसके प्रारूप को कार्यान्वित करने का अंतिम बजट है । तो मेरा यह विचार था कि शायद सरकार ने इस पूरक बजट को इस प्रकार बनाया होगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जितने भी लक्ष्य हैं, जो पूरे नहीं हो पाये हैं और जिनका कि सदन में समय-समय पर उल्लेख माननीय सदस्यों की ओर से और सरकार की ओर से होता रहा है, वह पूरे हो जायं । तो इस दृष्टिकोण से जब हम इस पूरक बजट को देखते हैं तो हमें खेद होता है । इसमें जो कुछ भी हमारे सम्मुख मदें रखी गई हैं उनमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उल्लेख तो अवश्य है, लेकिन वह निश्चय नहीं है, वह संकल्प नहीं है कि जिससे हम यह समझें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पूरे लक्ष्य पूरे हो रहे हैं ।

दूसरी बात, इस पूरक बजट में, जो वित्तीय सिद्धांत हैं जिनको कि कभी-कभी सप्लीमेंटरी बजट को पेश करते हुये ध्यान में रखा जाना चाहिये, उन पर ध्यान नहीं रखा गया है । श्रीमन्, जो हमारे सदन में आज तक एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स पेश होते रहे हैं कम्पट्रोलर एंड आडीटर जनरल की ओर से उनसे यह बात स्पष्ट हुई है कि अब तक जितने भी पूरक बजट इस सदन ने मंजूर किये हैं पिछले तीन-चार वर्ष में, वे पूरक बजट निरर्थक सिद्ध हुये हैं । यानी इतना ओवर एस्टीमेट किया गया है बजट का कि जब एक्जीक्यूशन की बारी आई है तो वह सारा का सारा सप्लीमेंटरी निरर्थक साबित हुआ है ।

मैं आपका ध्यान केवल एक एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की ओर दिलाऊंगा जो इसी वर्ष सदन में पेश हुआ है । यह सन् १९५८–५९ के एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स हैं । इसके पृष्ठ १३ पर लिखा हुआ है:

"The original provision was, however, augmented by supplementary grants totalling Rs. 22,38.64 lakhs, thereby increasing the final saving to Rs.22,89.64 lakhs or 11.5 per cent of the total grant."

इसमें १ अरब ७६ करोड़ का ओरीजनल प्रावीजन था। २२ करोड़ ३८ लाख के पूरक बजट सदन से मंजूर कराये गये, लेकिन मूल बजट में ही ५१ लाख की बचत हो गई। तो २२ करोड़ ३८ लाख और ५१ लाख, इस तरह से २२ करोड़ ८९ लाख की बचत इस वित्तीय वर्ष में हुई। तो जितना हम पूरक बजट पेश कर रहे हैं, जब एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स हमारे सामने आयेगा तो मालूम होगा कि वास्तव में इतना प्राविधान करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं समझता था कि नई सरकार ने कुछ बजट बनाने के तरीकों में सुधार किया होगा। शायद उनको समय नहीं मिला या उन्होंने इस प्रश्न की ओर विचार नहीं किया। इस बजट में उन्हीं गलतियों को दोहराया गया है जो पिछले पूरक बजटों में थीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इसके अलावा और भी कुछ गलतियां इसमें हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं पार्लियामेंटरी कंट्रोल ओवर दि एक्सपेंडीचर की प्रणाली को देखते हुये। एक बात इसमें है जो आपने भी देखी होगी, श्रीमन्, कि मूल बजट में प्लान आइटम्स और नान-प्लान आइटम्स अलग-अलग दिखाये रहते हैं। हमें मालूम रहता है कि इतनी मदें प्लान के अन्दर हैं और इतनी नान-प्लान की है। आप सारे मेमोरेंडम को देख लीजिये, जो कि हमारे वित्त सचिव श्री भिडे जी ने तैयार किया है कि कौन प्लान आइटम है और कौन नान-प्लान आइटम है तो कुछ पता नहीं चलेगा। जब कि मूल बजट में इसका प्राविधान किया जाता है तो कोई कारण नहीं है कि इसमें उसका प्राविधान न किया जाय। हम कैसे उसका अन्दाजा लगायें?

दूसरी बात, पुनर्विनियोग, जिसके बारे में पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में आपने स्वयं उल्लेख किया था, श्रीमन् उस पर सरकार को विचार करना चाहिये और खास तौर से उस सरकार को जो बचत चाहती है उसको तो पुनर्विनियोग के संबंध में और भी संतुलित होकर चलना चाहिये। मैं देखता हूं कि वही पुरानी प्रणाली पुनर्विनियोग की आज भी बरती जा रही है और जो बजट मैनुअल में इसके सनातन सिद्धांत हैं उनका भी ठीक प्रकार से प्रयोग नहीं हो रहा है। मैं केवल एक मिसाल पुनर्विनियोग के संबंध में उदाहरण के रूप में दूंगा। आप अनुदान संख्या ५५ देखें जो ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण के बारे में है। इसमें कुल ४५,२६,१०० रुपये की मांग की गई है। इसमें देखने के लिये तो ४५,२६,१०० रुपये की मांग है, लेकिन वास्तव में जो कुल रुपया मांगा गया है वह लगभग २,००,००,००० रु० तक जाता है। और १,३५,५०,००० रुपये एप्रोप्रीएशन के द्वारा मांग लिये गये हैं और शुद्ध मांग केवल ४५,२६,१०० रु० की है और पुनर्विनियोग से १,३५,५०,००० रुपये लिये गये। मूल बजट में इस अनुदान में १५,००,००,००० रु० मांगा था और वह भी सदन ने मंजूर किया और अब उसमें से १,३५,५०,००० रुपया रीऐप्रोप्रीएट करके पूरक बजट में ले रहे हैं। सदन जानना चाहता है कि वह १ करोड़ साढे ३५ लाख रुपया की स्कीम जो मूल बजट में मंजूर की थी वह क्या हुई? क्यों उसे बजट में रखा गया, क्यों नहीं कार्यान्वित की जा सकी जो उसको रीऐप्रोप्रीएट करके नई मदों में खर्च कर रहे हैं।

मान्यवर, आपके भाषण को आधार मान कर मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि आप सरकार को आदेश देंगे कि भविष्य में जब कभी पूरक बजट सरकार सदन में प्रस्तुत करे उसके साथ एक स्टेटमेन्ट आना चाहिये सरकार की ओर से कि कितनी राशि, धनराशि रीऐप्रोप्रीएट हो रही है, किस विभाग ने किस प्रयोजन के लिये पहले सदन से मांग की गई थी और क्यों उसका खर्च इस वर्ष के अन्दर नहीं हो पाया है? एक्सप्लेनेशन होना चाहिये, उस रीएप्रोप्रीएशन का और वह सदन के सामने आना चाहिये। इस समय क्या होता है जितने रीएप्रोप्रीएशन्स हैं वे सदन के सामने आते नहीं केवल इतना मालूम होता है कि हम रीएप्रोप्रीएट कर लेंगे। हां, उसकी एक धनराशि निश्चित हो सकती है कि ५,००० रु० के जितने रीएप्रोप्रीएशन्स होंगे उन्हें स्टेटमेन्ट के रूप में हाउस के सामने रखा जायगा।

अब बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको बहुत गोल ढंग से, सूक्ष्म रूप में सदन के सामने रखा गया है। कहा गया है रुपया दे दिया जाय, विवरण नहीं दिया गया है। किस मद के लिये रुपया मांगा जा रहा है कोई जस्टीफिकेशन नहीं। सदन इस बात का अधिकारी है कि पूरा विवरण, जिस मद में आप धन मांगें उसका विवरण सदन के सामने पेश करें। वन विभाग में ५,८२,९०० रु० लम्प सम में मांगा गया है। कहा गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यकता है। किस वास्ते आवश्यकता है, साल के पेड़ लगाने के लिये चाहिये, तार बाड़ लगाने के लिये चाहिये या किस लिये चाहिये इसका कोई विवरण नहीं है। इसी प्रकार से सिंचाई के कुछ निर्माण-कार्य करना आवश्यक है इसलिये रुपया दे दीजिये। कौन से निर्माण-कार्य हैं, उनको विस्तार के साथ बताना चाहिये सरकार को। रुड़की विश्वविद्यालय के लिये

१२,४४,००० रुपये मांगा और हमने २,३५,००० रुपये दे दिया। यह किस चीज के लिये मांगा गया, किस के लिये दिया गया इसका कोई विवरण सदन के सामने आना चाहिये। कटौती करने का प्रश्न होता है १ रुपये की कटौती की जाती है। आपने भी नये नियमों के अनुसार जरूरी कर दिया है कि यह निश्चित होना चाहिये कि कटौती किस मांग के अन्दर की जा रही है अगर हम कटौती करना चाहें तो कैसे कटौती का प्रस्ताव पेश करें जब कि हमें यह नहीं मालम कि कौन से आइटम में रुपया मंजूर किया गया। रुड़की विश्वविद्यालय का बड़ा अच्छा आइटम है उसके लिये हम रुपया देंगे, लेकिन अगर आप कोई ऐसी वस्तु चाहते हैं जिसे हम निरर्थक समझते हैं, जैसे बड़ी मोटरकार खरीदनी है, या जीप लेनी है और हम समझते हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसमें कटौती का प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन इस प्रकार लम्प एलाटमेन्ट करके पूरक बजट में रखना नियमों की अवहेलना है और संविधान की अवहेलना है। इसे रोका जाना चाहिये।

इसी प्रकार अनुदान संख्या ५२ है जिसमें सरकारी बसों आदि के लिये ११,७३,१०० रुपया मांगा गया है, लेकिन यह नहीं मालूम किस मद में कितना है, ब्याज में कितना है, कितना टैक्स की वृद्धि से हुआ है, कितना पैट्रोल की वृद्धि से हुआ है इसका कोई विवरण नहीं है। मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता था, लेकिन चूंकि इतना समंवैधानिक विषय नहीं बनाना चाहता और चाहता हूं आप ही हमारी सहायता कर दें तो अधिक उचित होगा। यह तो रही विवरण न देने की बात।

फिर आगे चल कर इसमें बहुत सी ऐसी मांगें हैं जिनको फोरसी किया जा सकता था और मूल बजट में ही उनका प्राविधान किया जा सकता था। कांटिजेंसी फण्ड जो अनफोरसीन एक्सपेंडिचर के लिये बना था उससे ड्रा करने की आवश्यकता नहीं थी। मिसाल के लिये गोरखपुर जिला जेल के कर्मचारियों के वेतन के लिये रुपया मांगा गया है। जिला जेल के कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी, नये एप्वाइन्टमेंट किसी तरह के नहीं हुए फिर भी जिला जेल के कर्मचारियों के वेतन के लिये सही एस्टिमेट बनाने में विभाग असफल रहा और मूल बजट में उसका प्राविधान नहीं कर सका। इसी प्रकार पुलिस विभाग है उसमें ८५ लाख रुपये स्वीकार करने के लिये कहा गया है। मैंने पिछले तीन चार सप्लीमेन्टरी एस्टिमेट देखे। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की पुरानी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उनको देखने से ज्ञात होता है कि पुलिस विभाग को भी पूरक बजट में रुपया मिलता रहा है, लेकिन फिर भी एक्सेस हुए हैं और एक्सेस एस्टिमेट्स रेगुलराइज करने के लिये सदन के सामने आये हैं। पुलिस विभाग के एस्टिमेट्स को सही रूप में आंका नहीं जाता। जब शुरू में मूल बजट में वह कहते हैं कि यह हमारा मिनिमम है तो जबरदस्ती कट करते हैं बचत के नाम पर और बाद में रेस्टोर करना पड़ता है। तो इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि हम जहां इकोनामी करें वहां ऐसी इकोनामी भी न करें कि बाद में वह एक्सेस के रूप में हमारे सामने आये। तो वित्त विभाग को मैं सलाह दूंगा कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट्स में जो इस प्रकार की दिक्कतें आई हैं उन पर सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी।

श्रीमन्, एक आश्चर्य का विषय इसमें और भी है और उस ओर मैं सदन का विशेष-तौर से ध्यान दिलाता हूं। सस्पेंस एकाउन्ट्स ऐसा है जिसमें बचत की बड़ी गुंजायश हो सकती है। इस सस्पेंस एकाउन्ट में मूल बजट में सिंचाई विभाग के लिये २ लाख ८५ हजार रुपया मांगा गया है, लेकिन वह बढ़कर २ करोड़ हो रहा है और स्पष्टीकरण में लिखा गया "वास्तविक आंकड़ों की प्रगति।" यह सस्पेंस एकाउन्टस ऐसा है जिसको फोरसी करना चाहिये। बड़े-बड़े हेड आफ डिपार्टमेंट्स को मालूम है कि इस कार्य के लिये इतना इतना खर्च करना है। सिंचाई विभाग ही नहीं, पावर डिपार्टमेन्ट को लीजिये। ४० लाख रुपये का प्राविधान मूल बजट में था। सस्पेंस एकाउन्ट में ३ करोड़ १ लाख की बृद्धि हो गयी। मैं इसको सिद्धान्ततः गलत समझता हूं कि मूल बजट में इकोनामी के नाम पर सस्पेंस एकाउन्ट में कटौती की जाय और फिर पूरक बजट में उस सस्पेंस एकाउन्ट को करोड़ों से बढ़ा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दिया जाय। पहले ही सरकार को सही एस्टिमेट कर लेना चाहिये। अगर मूल बजट में सस्पेंस एकाउन्ट में खर्च करना आवश्यक नहीं समझा जाता तो फिर पूरक बजट में उसे १०० गुना या २०० गुना बढ़ाना भी आवश्यक नहीं होना चाहिये।

एक और बात इस बजट में देखने में आई है। पहले एक ही उदाहरण मिला था, लेकिन इस वर्ष यह उदाहरण और बढ़ गये हैं। हमें यह तो पता नहीं कि खर्चा कितना होगा। बजट में उसकी व्यवस्था कर दी है? लेकिन एस्टीमेट है ही नहीं। बजट मैनुअल का पहला सिद्धान्त यही है कि बिना एस्टिमेट बनाये बजट में रुपया न मांगा जाय। ऐशबाग में १०८ क्वार्टर बनेंगे इस वर्ष, कितना रुपया खर्च होगा, उसके लिये कोई एस्टिमेट नहीं, टोकेन ग्रान्ट १०० रुपये की ले रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है। हमें पता ही नहीं कि कितना रुपया खर्च होगा। और मालूम कब होगा, एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट में? एप्रोप्रिएशन एकाउन्ट तो एस्टीमेट को फालो करता है, लेकिन यहां कोई एस्टीमेट ही नहीं है और सौ रुपये टोकेन ग्रांट मांग रहे हैं।

इसी तरह जो व्यय हो चुका और कंटिन्जेन्सी फण्ड से विदड्रा नहीं हुआ —श्रीमन् आपने और सदन ने इस बात की व्यवस्था की है कि अगर सरकार को कोई अनफोरसीन एक्सपेंडीचर करना पड़ता है तो उसके लिये कंटिन्जेन्सी फण्ड से रुपया विदड्रा करना चाहिये, लेकिन इसमें तीन, चार मिसालें ऐसी देखने में आती हैं कि कंटिन्जेन्सी फण्ड से रुपया विदड्रा नहीं किया गया और खर्च हो गया और अब हमसे मंजूरी मांगी जा रही है। श्रीमन्, नियम यह है कि अगर सरकार ने कंटिन्जेन्सी फण्ड से विदड्रा नहीं किया तो कंसालिडेटेड फण्ड से एक पैसा भी बिना इस सदन की मंजूरी के खर्च नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार आप देखेंगे कि विभूति ग्लास वर्क्स को एक गारंटी दी गयी है। पहले उनको ११ लाख रुपया कर्ज दिया गया था। वे उसका सदुपयोग नहीं कर पाये। ब्याज समेत ६ लाख रुपया उन पर बाकी है। तो चूंकि वे यह रुपया नहीं दे सके इसलिये सरकार ने तय कर लिया कि हम सारे कारखाने को ले लें और उस कारखाने को २० लाख रुपया निगम से दिलवा दिया, ठीक किया, लेकिन २० साल के पट्टे पर आपने उस फैक्ट्री को लिया। नियम यह है कि अगर सरकार किसी फैक्टरी को लेती है पट्टे पर तो उस एग्रीमेण्ट को सदन के सामने पेश होना चाहिये क्योंकि सरकार ने अपने को कमिट नहीं किया बल्कि इस सदन को कमिट किया। तो वह क्यों नहीं पेश किया गया? दूसरे जो इंडस्ट्रियल फिनेन्स कारपोरेशन जो सेन्टर का है उसको आपने गारंटी दी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई गारंटी देती है तो वह भी एक न्यू आइटम आफ एक्सपेंडीचर है। वह भी हाउस में आना चाहिये। इसी बजट में उसका उल्लेख है, लेकिन उसके लिये कोई प्रतीक मांग भी नहीं रखी गयी है। कितने का कमिटमेंट सरकार ने किया, क्या ऐग्रीमेंट किया और खासतौर पर जब विभूति ग्लास वर्क्स २० साल के बाद हमारे इन्वेस्टमेन्ट से फिर बन जायगा तब क्या होगा? तो यह सदन इस तरह से रुपया देने वाला नहीं है कि बिना शर्तें बताये हुए आप २० साल के लिये पट्टा ले लें और हमसे कहें कि रुपया मंजूर करो।

श्रीमन्, इसमें चार्ज्ड एक्सपेंडीचर की बातें भी हैं और चार्ज्ड में वोटिंग तो होती नहीं है, सामान्य विवाद में ही उनका उल्लेख होता है इसलिये मैं उसका भी उल्लेख करना चाहता हूं। इसमें राज्यपाल महोदय के लिये दो गाड़ियों का जिक्र है, एक छोटी और दूसरी बड़ी। छोटी कार अतिथियों के लिये होगी। मैं यह समझता था और ठीक ही समझता था कि नयी सरकार ने छोटी कारों को लेने का फैसला किया है, इनमें कम खर्च भी लगेगा, यह सही बात है, लेकिन मंत्रिमंडल ने जब स्वयं अपने लिये छोटी कारों का प्राविधान किया तो महामान्य राज्यपाल के लिये बड़ी कार का प्राविधान कैसे किया क्योंकि राज्यपाल भी मंत्रिमण्डल की सलाह पर ही चला करते हैं। और आज के पेपर में तो यहां तक छपा है कि प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी ने भी यह राय दी है कि राज्यपालों को छोटी कारों पर चलना चाहिये।

तो यह एक विरोधाभास है जिसका स्पष्टीकरण होना चाहिये । फिर आगे, श्रीमन्, इसी में राज्यपाल महोदय के राज भवन के उद्यानों के लिये खर्चा मांगा गया है और उसको चार्ज्ड एक्सपेंडीचर में रखा गया है। श्रीमन्, यह प्रश्न पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी में उठाया गया था कि कौन सा व्यय चार्ज्ड व्यय माना जाना चाहिये । जो राज भवन के उद्यान हैं उसमें जो खर्चा है वह चार्ज्ड एक्सपेंडीचर में नहीं होना चाहिये, लेकिन इस बजट में दिखाया जा रहा है । इसी बजट में आगे चलकर जो राज्यपाल महोदय का डिसक्रिशनरी फ ड १२ हजार रुपये का है जिसमें से राज्यपाल महोदय अपने विवेक से जिसे चाहें दे दें, वह खर्चा तो चार्ज्ड नहीं है, वोटेड है, लेकिन उद्यान का जो खर्चा होगा वह चार्ज्ड एक्सपेंडीचर में रखा गया है, श्रीमन्, इस पर विचार होने की आवश्यकता है ।

इसके साथ ही साथ, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसमें लिखा हुआ है कि माननीय अध्यक्ष का पद मंत्रियों के समकक्ष है । यह बड़े आश्चर्य का विषय है कि सरकारी विभागों को यह भी नहीं मालूम है कि माननीय अध्यक्ष का पद मंत्रियों के समकक्ष नहीं हुआ करता है । श्रीमन्, जहां सामान्य प्रशासन का उल्लेख है, पृष्ठ १२ पर उसके स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि "माननीय अध्यक्ष का पद मंत्रियों के समकक्ष है, अतः उनकी बड़ी कार के स्थान पर एक छोटी कार की व्यवस्था करना है ।' श्रीमन्, आपका पद जो सब से बड़ा है, उसके लिये लिखा जाय कि वह मंत्रियों के समकक्ष है, मैं चाहता हूं कि यह सब बातें सदन के सामने आयें क्योंकि आपका पद संविधान के अनुसार सब से बड़ा पद है और इसका अपना महत्व है । इसकी तुलना मंत्रियों के पद से नहीं हो सकती है । इसके अतिरिक्त संविधान में आपका वेतन चार्ज्ड एक्सपेंडीचर माना जाता है और मंत्रियों का नहीं माना जाता है । इसलिये आपके पद को मंत्रियों के पद के समकक्ष कहना उचित नहीं है । मोटर-कार का भी चार्ज्ड एक्सपेंडीचर माना गया है। मैं आपको बताऊं इसके पृष्ठ १२ पर "संसद और राज्य विधान मंडल" के अन्तर्गत कार की खरीद के लिये १२,४०० रुपया दिया हुआ है ।

श्रीमन्, इस प्रकार से इसमें सिंकिंग फण्ड की कुछ व्यवस्था की गई है । यह भी बड़े आश्चर्य का विषय है कि यह व्यवस्था कैसे की गई है। इसमें लिखा है कि हो सकता है कि १९६०–६१ के बजट में रेवेन्यू सरप्लस हो । इसलिये आज से दो वर्ष के बाद जब एक्चुअल फिगर्स मालूम होंगे तब सिंकिंग फण्ड के लिये प्राविधान किया जायेगा और टोकिन ग्रांट १०० रुपये की रखी गई है। केन्द्रीय सरकार से ऋण लिये गये हैं उनको निरस्त करने के लिये सिंकिंग फण्ड रखा गया है । यह सरकार के लिये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप रुपया न दें और केवल कह दें तो काम नहीं चल सकता है । मैं श्रीमन्, इसको पढ़ देना चाहता हूं । वह इस प्रकार है कि'——':कभी कभी ऐसा होता है कि आयोजनान्तर्गत योजनाओं तथा अन्य योजनाओं पर कम धनराशि व्यय होने के कारण मूल बजट की प्रत्याशित कमी वास्तव में राजस्व की अतिरिक्त धनराशि में परिवर्तित हो जाती है जैसा कि १९५८–५९ और १९५९–६० में हुआ था और उस समय राजस्व की स्थिति अच्छी होने के कारण सरकार ने उक्त निक्षेप निधि में समुचित धनराशि संक्रम करने का निश्चय किया था । यदि ऐसी ही आकस्मिक स्थिति इस वर्ष भी पैदा होती है तो निक्षेप निधि में समुचित धनराशि संक्रम करना वांछनीय होगा ।" शर्तिया बात रखी गई है ।

यह बजट पेश हो रहा है यू० पी० सरकार का या किसी दूसरी संस्था का बजट पेश हो रहा है । एक काल्पनिक विषय बिलकुल सिंकिंग फंड में रुपया नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए कल को हमारी बचत न हो तो क्या होगा ? तब जो हम टोकेन ग्रान्ट दे रहे हैं उसका क्या होने वाला है ? इसी प्रकार फेमिन रिलीफ फंड के लिए रुपया दिया जाता है। उसमें ५५ लाख रुपया हमेशा रहना चाहिए । लेकिन यह ७१ लाख रुपया देने के बाद हिसाब जब लगाया गया तो उसमें केवल ९८ हजार रुपया बाकी रहेगा । जब कि कानून के अनुसार उसमें कम से कम ५५ लाख रुपया रहना चाहिए । तो यह इस प्रकार की व्यवस्था इस बजट में की गई है ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इसी प्रकार गवर्नमेंट आफ इंडिया को भी कुछ व्याज देने की बात कही गई है। कितना व्याज होगा, क्या होगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। केवल इसका प्राविधान किया गया है। हां, इस बजट में कुछ अच्छी बातें भी हैं जिनका संकेत होना चाहिये जैसे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों का इतिहास बनाने की बात है, नेत्र-चिकित्सा को ग्रान्ट देने की बात है, लखनऊ में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसके लिये सहायता देने की बात है, आचार्य नरेन्द्र देव लाइब्रेरी को ग्रान्ट देने की बात है और इसी तरह दुर्भिक्ष सहायता तथा बाढ़ सहायता के लिये अनुदान देने की बातें हैं, यह सब अच्छी बातें हैं, इनको बजट में होना चाहिये, लेकिन जो बुनियादी रूप से पुरानी गलतियां दोहराई गई हैं और नई गलतियों को प्रोत्साहित किया गया है उनकी ओर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं। हां, मैं यह मान सकता हूं कि इस सरकार को अभी ठीक प्रकार से बजट को पढ़ डालने का, उस पर विचार करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो मूल बजट पेश होने वाला है या और अनुपूरक बजट आने वाला है उनमें वह इन सब बातों पर विचार करेंगे और जो समय-समय पर प्राक्कलन समिति, लोक-लेखा समिति आदि द्वारा इस संबंध में मत प्रकट किये गये हैं, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी अवश्य अपना ध्यान देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि जो सरकार ने अपने अनुपूरक बजट में खर्च दिखाये हैं वह सही तौर पर वाजिब हैं और उन्हें हमें इस विधान सभा में पास करना चाहिये क्योंकि आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, कि चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति विशेष हो वह अपने साल भर के खर्चे का सही अनुमान एक ही दफे में नहीं लगा सकता और यही कारण है कि हमें इस विधान सभा के द्वारा सरकार को कई किस्तों में उसके खर्चे के अनुसार रुपया देना पड़ता है। जो यह अनुपूरक अनुदान हमारे सामने पेश है इसका अध्ययन करने से यह पूरे तौर से ज्ञात हो जाता है कि इस अनुदान की किताब के अन्दर ऐसी तमाम बातों का समावेश है कि जिनका अन्दाज उस वक्त नहीं लगाया जा सकता था जबकि हमारे सामने पूरे साल का बजट सरकार ने पेश किया था।

अभी हमारे माननीय उपनेता विरोधी दल ने अपनी स्पीच में यह आक्षेप किया कि सरकार बजट पास करा लेती है और फिर उसके बाद अनुपूरक बजट भी पास करा लेती है, लेकिन साल के अन्त में ऐसा होता है कि वह जो पहले वाला साल का बड़ा बजट था उसी का रुपया नहीं खर्च कर पाते हैं। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है अगर किसी विशेष मद में ऐसा हो जाता है। आम तौर से ऐसा नहीं होता है। अगर किसी विशेष मद में कुछ रुपया बच रहता हो तो इस बात का प्रयास सरकार को अवश्य करना चाहिये कि वह उस रुपये को वाजिब तौर से इस्तेमाल करने के लिये अपने विभागों पर निगाह रखें। परन्तु यदि कहीं वह खर्चा नहीं हुआ तो यह आक्षेप का विषय नहीं बन सकता क्योंकि जो हम बजट पास करके सरकार को दे रहे हैं वह एस्टीमेटेड बजट होता है। सरकार ने एक अन्दाज लगाया कि एक साल के अन्दर या दो महीने के अन्दर हम इतना रुपया खर्च करेंगे। अगर उस टाइम के अन्दर उतना नहीं खर्च हुआ तो सरकार को वह रुपया फिर वापस करना पड़ता है। इसमें कोई गम्भीर आक्षेप का विषय नहीं बन सकता जिसको चर्चा का विषय बनाया जाय। यह अन्दाजिया बजट है। सरकार ने अन्दाजा लगाया कि जब हम साल को बंद करेंगे तो इस मद में इतने रुपये की खर्च के लिये जरूरत पड़ेगी। उसके लिये सरकार उतना रुपये का प्राविधान इस विधान सभा से करा लेती है। हो सकता है उसमें कुछ बचत हो जाय, ऐसे तरीके इस्तेमाल किये जांय जिससे इकोनामी हो। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि जब से नई सरकार आई है तब से एक प्रकार की यह थिंकिंग शुरू हो गई है कि हर विभाग में ऐसा तरीका निकाला जाय, ऐसे मेजर अख्तियार किये जांय जिनसे बचत हो। इसलिए यह विषय चर्चा का विषय नहीं बन सकता।

इसके साथ-साथ मुझे इस बात की प्रसन्नता है और बजट की मदों को पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि जो बजट की मदों के लिये मांग की गई है उनमें हर मद के लिये काफी रुपया बचत के द्वारा हो आ जायगा। इसका मतलब यह है कि सरकार सजग रूप से कार्य कर रही है कि निरर्थक पैसा खर्च न किया जाय। इस बात की कोशिश है कि विधान सभा के सामने जो विस्तारपूर्वक खर्चे के आंकड़े पेश हो रहे हैं उनको बचत से पूरा कर लिया जाय। यही कारण है कि बहुत सी मदों में यह बात दिखाई गई है कि मांग तो की जाती है, लेकिन उसमें बहुत काफी खर्चा है उसे बचतों से पूरा कर लिया जाय। यह बहुत ही सन्तोष की बात है और प्रदेश के हित की बात है।

इसके साथ ही साथ उपनेता विरोधी दल यह कह रहे थे कि इस बजट में कहीं भी इस बात का निर्देशन नहीं है कि विकास की योजनाओं के लिये कोई अलग से खर्चे का प्राविजन हो। मैंने भी इसको देखा है। जो भी विकास योजनायें हैं उनका दिग्दर्शन हर आइटम के साथ अलग-अलग दिया हुआ है। अगर इसको गौर से पढ़ा जाय तो इसमें दिया हुआ है कि जहां पर बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिये मांग की गई है उसमें यह दिग्दर्शन है कि १९ टी० बी० क्लिनिक इस प्रदेश में लगेंगे और वह टी० बी० क्लिनिक विकास योजनाओं के अन्तर्गत लगाये जायेंगे। तो यह सब ऐसी बातें हैं जिनको यह नहीं कहा जा सका कि उसमें विकास की योजनाओं के लिये या विकास की जो मदें हैं, वे इस बजट के अन्दर नहीं हैं। यह सब चीजें इसमें दी हुई हैं। स्वास्थ्य इकाई सरकार खोलेगी और जिलों के अन्दर हर परिवार नियोजन यूनिट शुरू करने का इरादा है। यह सब काम ऐसे हैं जो विकास योजनाओं की तशरीह करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका अध्ययन करने से सारी बातों को जान सकेंगे। मैं समझता हूं बहुत सन्तुलित तरीके से सरकार ने हर मद में अपनी बातों का दिग्दर्शन किया है।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मीनारायण बंसल, पीठासीन हुये।)

एक एतराज तिवारी जी ने यह किया कि सरकार ने रुपया मांग तो लिया, लेकिन इसमें इस बात की व्यवस्था नहीं है कि हम जो रुपया दे रहे हैं उसका प्रयोग कैसे होगा और उसका इस्तेमाल कैसे होगा और वह विधान सभा का हक है कि वह उसको जाने। उन्होंने दो एक मिसाल भी दीं। एक मिसाल यह दी कि रुड़की इंजीनियरिंग कालेज के लिये सरकार ने रुपया मांगा है। उसमें यह नहीं बताया गया कि वह रुपया किस मद में किस तरह से इस्तेमाल होगा। अगर उन पन्नों को देखा जाय जहां पर रुड़की इंजीनियरिंग कालेज की मांग की मद है तो उसमें यह साफ व्याख्या लिखी हुई है कि वहां पर लड़कों की बढ़ोत्तरी हो रही है, पढ़नेवाले लड़के ज्यादा जा रहे हैं, जगह की कमी है, साज सामान की कमी है, छात्रावास की कमी है, इसलिये इन चीजों का प्राविजन करने के लिये, उनको जुटाने के लिये सरकार ने यह मांग की है। तो उनको जुटाने के लिये रुड़की इंजीनियरिंग कालेज को रुपया देने की जरूरत है। इसके लिये इस मद में करीब ५ लाख ८३ हजार ४०० रुपया रखा गया है। जिन बातों के लिये यह रुपया मांगा गया है वह सब इसमें लिखा हुआ है, अब अगर कोई शख्स उसको न पढ़े, माननीय उपनेता विरोधीदल, उसको न पढ़ें, तो उनको कोई पढ़ा तो नहीं सकता। हमारी मजबूरी है।

साथ ही, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं। जो बजट हमारे सामने हैं उसमें काफी रुपया कर्मचारियों की महंगाई भत्ता आदि से संबंधित है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो महंगाई भत्ता इस विधान सभा ने स्वीकार किया है वह भी कर्मचारियों को मिलना चाहिये। मुझे कुछ जगहों से शिकायतें मिली हैं कि जो महंगाई भत्ता अप्रैल, १९६० से हमने स्वीकार किया था वह अभी तक उनको नहीं मिला है। तो इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये और ऐसे आदेश देने चाहिये कि जहां जहां पर भी यह महंगाई भत्ता लोगों को नहीं मिला है वह शीघ्र मिले।

श्री अधिष्ठाता— अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आपने देखा कि इस समय कोई बोलने के लिये खड़ा नहीं हुआ, हम ही खड़े हुये हैं अतः हमारे साथ टाइम की कोई पाबन्दी न लगाई जाये। अच्छा तो होता कि हमारे भाषण के समय माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर होते....

श्री अधिष्ठाता---माननीय मुख्य मंत्री जी के कमरे में लाउड स्पीकर है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, बातों को दूर से सुनने का प्रभाव दूसरा होता है और उनको सामने बैठ कर सुनने का असर दूसरा होता है। वह यहां होते तो पता चलता कि किस प्रकार की उनकी भाव व्यन्जना होती है, किस प्रकार भृकुटी-विलास होता है और हमारी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है।

श्रीमन्, इस बजट में ४० मदें हैं और इन पर सरकार करीब १८ करोड़ रुपया हमसे लेना चाहती है और करीब करीब इन्हीं मदों पर, जब मूल बजट पेश होता है, तब भी यह सरकार हमसे रुपया मंजूर कराती है। मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी के इस कथन से सहमत हूं कि आज १४ वर्ष के बाद भी यह सरकार अब तक नहीं समझ पाई है कि स्वस्थ बजट किस प्रकार बनना चाहिये और यह बात उसके कर्मचारियों तक की समझ में नहीं आयी है। एक मोटी थोथी रकम रख दी जाती है और उसे पास करा लिया जाता है। जिस कार्य के लिये रकम रखी जाती है उसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना बचेगा, इसकी जानकारी न तो सरकार को होती है और न सरकार करना चाहती है। मैंने अभी अभी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था कि इस पर कम से कम २ दिन तक बहस होनी चाहिये ताकि भविष्य में जो भी सरकार आये वह बजट को ठीक तरीके से पेश कर सके। तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी परिपाटी चली आई है वही रहेगी और उसी परिपाटी पर हम चलना चाहते हैं। वही लकीर के फकीर, पुरानी परिपाटी पर चलने वाले मुख्य मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुरानी सरकार की जिस ढंग से भर्त्सना हुई है, उसी ढंग से इसकी भी होगी।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं।)

सामान्य प्रशासन के लिये हमसे जो रकम मांगी जा रही है उसमें ११,२१,९०० रुपया मतदेय और १,०३,८०० रुपया प्रभृत्त---यह सामान्य प्रशासन पर सरकार अतिरिक्त खर्चा क्यों करना चाहती है? इससे जनता का क्या हित होगा? टिप्पणी जो दी गयी है, उसे देखा जाय तो पता चल जायगा कि कहां खर्च होगा। सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत कम से कम अपने प्रदेश के नागरिक का जीवन किस तरह व्यतीत होगा, उसमें सारी बातें आ जाती हैं। सरकार सुरक्षा करेगी, विकास कार्य करेगी, सामाजिक सेवाओं के लिये धन खर्च करेगी इन सब में कोई तरक्की या उन्नति सामान्य प्रशासन में हुई है? पतन हुआ है, ह्रास हुआ है और सामान्य प्रशासन के लिये मंत्रिगण जो कुछ कटौती किये हुये हैं यह जो नई कारों की व्यवस्था की गई है, या अध्यक्ष महोदय के लिये व्यवस्था होगी, इन बातों को ले करके सचिवालय के लिये धन की आवश्यकताओं को देख लिया जाय एक पैसा बढ़ोत्तरी करने की अवाश्यकता नहीं है। मंत्रियों की नई कार---यह एक अजीब तमाशा है। जब भी कोई सरकार बने---क्योंकि कोई भी हो, आज भी जो मुख्य मंत्री जो विराजमान हैं वह इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार भी स्थायी नहीं है, थोड़े समय में इसका पतन हो सकता है, तो दूसरी आयेगी, वह कहेगी कि हम बड़ी कार रखेंगे। क्योंकि लकीर पर शासन चल रहा है। कभी दौलताबाद से दिल्ली और कभी दिल्ली से दौलताबाद। एक काम करो, फिर बिगाड़ो। फिर करो, फिर बिगाड़ो यह शेखचिल्ली का तमाशा हो गया है। केवल छोटी कार रखने से या पेट्रोल कम खर्च करने से प्रदेश के गरीबों का भला होने वाला नहीं है।

तो अधिष्ठात्री महोदया, मैंने जैसा कल निवेदन किया था, क्या इस सरकार के सामने कोई ऐसी योजना है जिससे गरीब किसानों के लगान में माफी होगी? अगर अलाभकर जोत के किसानों के लिये रुपया मांगा जाता तो हम समझते कि प्रदेश की भलाई सरकार चाहती है। माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने कहा था कि १२-१३ करोड़ रुपया अलाभकर जोतों के किसानों का लगान

माफ करें तो उसमें खर्च होगा। इस बजट का धन उसमें खर्च होता तो हमें कोई एतराज नहीं था, लेकिन यह दूसरे काम के लिये मांगा जा रहा है।

शिक्षा के लिये मैं जानना चाहता हूं कि अभी अभी रामस्वरूप जी वर्मा ने एक प्रश्न किया था, उत्तर का जरा निरीक्षण किया जाय। ६ से ११ वर्ष के अपढ़ बच्चों की अनुमानित संख्या ५४.२ लाख थी। उनकी शिक्षा देने के लिये अतिरिक्त स्कूलों पर २२२.८२ लाख रुपया आवर्तक तथा ४०१.२० लाख रुपये अनावर्तक, तथा अतिरिक्त अध्यापकों पर २७६.६४ लाख रुपये आवर्तक तथा ६३७ लाख रुपये अनावर्तक की प्रथम वर्ष में आवश्यकता होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इस सारी रकम को जोड़ा जाय तो आज ६ से ११ वर्ष के जो बच्चे हैं उनको और अध्यापकों को ले करके तथा अन्य दूसरी बातों को ले करके, अनिवार्य शिक्षा करने में करीब १४–१५ करोड़ के खर्चा होगा। अगर १४–१५ करोड़ रुपया खर्च करके यह सरकार प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा कर दे और बिना फीस की शिक्षा कर दे तो इसमें क्या आपत्ति है? क्या यह सरकार बच्चों की फीस माफ करने के लिये हमसे रुपया चाहती है? क्या सरकार अनिवार्य शिक्षा के लिये रुपया चाहती है? अगर इन बातों के लिये सरकार रुपया चाहती तो निश्चित रूप में रुपया दिया जाना चाहिये वरना एक रुपये का भी अतिरिक्त अनुदान देने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

आचार्य जुगलकिशोर जी के लिखे हुये उत्तर से ही मैं पढ़ रहा हूं। माननीय अधिष्ठात्री महोदया, बीच में हस्तक्षेप होने लगे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बजट आने वाला है और ऐसी स्थितियां आने वाली हैं जिसमें सारी चर्चायें होंगी। हमने सदन में कई बार सुझाव दिया है कि एक शिक्षक सेना तैयार की जाय। इस समय जो पढ़े लिखे लोग बेकार हैं उनकी फौज तैयार की जाय और उनसे कह दिया जाय कि तुमको हम कम से कम इतना देंगे तुम्हारे खाने खर्चे के लिये और तुम इतने गांवों को शिक्षित करो।

श्री अधिष्ठाता––माननीय सदस्य अपने भाषण को सीमित करके बोलें।

श्री राजनारायण––मैं समझ रहा हूं कि कोई दूसरा बोलने वाला है ही नहीं तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार की किसी नीति में आमूल परिवर्तन नहीं है। बड़ा हल्ला है, चुनाव के लिये भी नई रकम मांगी गई है उसमें ग्राम पंचायतों के चुनाव की भी व्यवस्था है और उप-निर्वाचनों की भी व्यवस्था है। मैं कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में जिस रूप में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुये हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों की ओर से इतनी अनियमितताये बरती गईं कि जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके लिये क्या उपाय किया जाय? अगर मैं एक एक जिले के उदाहरण दूं तो एक पोथी बन जायगी। चुनाव अधिकारी नामांकन पर्चे को फाड़ देते हैं। हरिजनों के नामांकन पर्चे फाड़ दिये जाते हैं और दूसरों के रखे जाते हैं। एक और बात है। आज एक फौजदारी के कोर्ट में तो किसी पक्ष को बिना सम्मन लगाये हुये या सूचना दिये हुये दंड की व्यवस्था नहीं है मगर ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था कर दी गई है कि चोरी में भी सजा हो सकती है। जिसके ऊपर चोरी का आरोप हो उसको सूचना मिले या न मिले, सम्मन मिले या न मिले, बिना सुने ही उसको सजा हो सकती है। ऐसी भी शिकायत आई हैं कि जिस दिन नामांकन-पत्र हुआ उसी दिन कुछ व्यक्तियों पर दूसरी न्याय पंचायत के आर्डर से चोरी में सजा सुना दी गई। चुनाव अधिकारियों से मिलकर इस प्रकार की साजिशें हुई हैं।

रानीखेत का उपनिर्वाचन आने वाला है, उसके बारे में क्या कहूं? मैं तो बड़ी हैरत में हूं। मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि कल ही हमारे पास फोन आया अल्मोड़े से कि कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे उम्मीदवार के रिश्तेदारों को पकड़ कर बराबर घेरे रहे। हमने चुनाव के उच्चाधिकारी तथा रिटर्निंग आफिसर को सूचना दे दी है कि कहीं दूसरे के दस्तखत से वापसी (विदड्राल) का पर्चा न चला जाय, इसका ध्यान रखा जाय। अजीब परेशानी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनतंत्र में आस्था रखने वाली कोई भी पार्टी, कोई भी इन्सान इस प्रकार की बात को सहन कर सकता है। सही है, निर्विरोध चुनाव हो जाय कोई खड़ा न हो तो वह दूसरी

[श्री राजनारायण]

बात है मगर हम खड़े हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमको बिठाने के लिये नाना प्रकार के प्रलोभन और नाना प्रकार के दबाव डाले जा रहे हैं। हमें फोन से मालूम हुआ कि कल शाम तक हमारा उम्मीदवार बिल्कुल सुरक्षित था। इस समय भी टंकाकाल मिला हुआ है कि किस हद तक हमारा उम्मीदवार सुरक्षित है। तो मैं इशारे से कह देना चाहता हूं कि अगर हम लोगों को सरकार को धन देना है तो उस पर अंकुश भी रखना है और उसको जनतांत्रिक परम्परा और प्रणाली में पिरोना भी है। जनतंत्र का नाम लेते हैं। जनतंत्र कोई चीज नहीं है जिसको पकड़ कर देख लिया जाय। जनतंत्र की प्रणाली होती है, जनतंत्र की परम्परा होती है, जनतंत्र की व्यवस्था होती है। ये तीनों चीजें होती हैं तब जाकर कहीं जनतंत्र होता है। अगर यह सरकार इन तीनों चीजों में आस्था रखती है तो आज तक जो कार्यक्रम चलते रहे हैं उनमें आमूल परिवर्तन होना चाहिये।

बड़ी शोहरत है, बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। हमारे गृह मंत्री जी भी एक दिन फूट पड़े कि हमने सोशलिस्टों को छोड़ दिया। श्री सम्पूर्णानन्द जी भूतपूर्व मुख्य मंत्री के हृदय में उफान पैदा हो गया और उन्होंने कहा कि श्री चन्द्रभानु गुप्त ने इन लोगों के साथ रियायत की। मैं उसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सोशलिस्ट पार्टी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन किया था किसी उद्देश्य को लेकर।

श्री अधिष्ठाता---इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब बजट पर जनरल डिस्कशन हो तब ऐसी बातें आप कह लीजिये।

श्री राजनारायण---इस तरह का हस्तक्षेप न हो तो अच्छा हो। इसमें सामान्य प्रशासन, पुलिस और न्याय सभी के लिये रुपया हमसे मांगा जा रहा है और उन पर यह सामान्य विवाद हो रहा है। जिन मदों पर मैं बोल रहा हूं वे सामान्य विवाद में आती हैं। हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि राजनीति की बुराइयों से लड़ें और उनकी निंदा करें। जो केवल निंदा करके बैठ जाते हैं उनको मैं इस युग का सच्चा राजनीतिक नहीं मानता। सोशलिस्ट पार्टी निंदा भी करती है और लड़ती भी है। कानून की जिस बुराई से प्रभावित होकर हम उसके खिलाफ लड़ते हैं तो हम जानते हैं कि उसके बदले में हमें क्या मुसीबत उठानी पड़ेगी। हम स्वतः समझते हैं कि उस बुरे कानून को तोड़ने में हमें क्या सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा है। हमने उनसे मांग की है कि हमारे ऊपर जितने मुकदमें चलाये गये उन सब की जांच की जाय। अगर जांच की जाय तो मालूम होगा कि सारे मुकदमें हमारे ऊपर झूठे चलाये गये। ऐसी स्थिति है। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि वह लिस्ट देख ली जाय जितने लोग जेल से छूटे हैं उनमें से किसी की ४ दिन तो किसी के ६ दिन बाकी रहे होंगे छूटने में। उसी समय गुप्त जी के मंत्रिमण्डल ने यह तय किया कि चूंकि आन्दोलन वापस हो गया है इसलिये इनको छोड़ दिया जाय। सम्पूर्णानन्द जी ने इस तरह की परम्परा स्वतः डाली थी और अब उल्टा कहते हैं। क्या यह काम इस सरकार ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी परम्परा का किया है? भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ पार्टी को सन् १९५८ में छोड़ा था। २५ सितम्बर को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को, २ अक्तूबर को कम्युनिस्ट पार्टी को और ५ अक्तूबर को जनसंघ के लोगों को छोड़ा और यही कह कर जेल से बाहर किया कि उन्होंने आन्दोलन वापस ले लिया और सोशलिस्ट पार्टी को यह कह कर नहीं छोड़ा कि उन्होंने आन्दोलन वापस नहीं लिया है। हमने कहा था कि हमने कोई सत्याग्रह का प्रस्ताव ही नहीं किया था, हमने तो 'घेरा डालो' आन्दोलन किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लिये उनके दिल में क्या हूक उठी थी और उनके साथ क्या रियायत उन्होंने की। क्यों सरकार की ओर से कहा गया कि हमने उच्च न्यायालय का अपमान किया। मेरा उस मामले में मतभेद है और इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री को दोषी ठहराना चाहता हूं। जहां पूज्य महात्मा गांधी का चित्र टंगा हो वहां का उच्च न्यायालय

यह कहने की क्षमता रखे कि अंग्रेजी बोलो तो बोलने देंगे, नहीं तो नहीं। हिन्दी नहीं बोलने देंगे। मैं समझता हूं कि वह जज राष्ट्र का अपमान करना चाहता है, वह जज देश का अपराध करता है, वह देशद्रोही है। मुझे गर्व है कि हम राष्ट्र के द्रोही नहीं है, हमने राष्ट्र का कोई अपमान नहीं किया है। हमारे ऊपर राष्ट्र अपमान का दोष नहीं लगाया जा सकता।

श्री अधिष्ठाता—माननीय सदस्य अपने भाषण को सीमित करलें विषय के ऊपर ही।

श्री राजनारायण—गांधी जी ने कहा था कि जो माता पिता आरम्भ में अपने बच्चे को अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है वह देश के साथ द्रोह करता है। मैंने आज भी मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है उच्च न्यायालय के जज किसी राष्ट्र के निर्णायक नहीं होंगे, वे किसी नवीन प्रणाली का सृजन करने वाले तो नहीं होंगे, वे तो उसी पुरानी दकियानूसी बौद्धिक गुलामी में जकड़ी हुई मनोवृत्ति के द्योतक हैं, कानून के दांवपेंच में जो चाहें करें, लेकिन निर्माण तो हमें करना है और जिसने अंग्रेजी साम्राज्यशाही को उतारने में अपना जीवन खपाया वह डंके की चोट कहना चाहता है कि हिन्दी हर जगह स्थायी रूप से हो, केन्द्रीय उच्च न्यायालय में भी अस्थायी न रहे, अविलम्ब, तत्काल, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उच्च न्यायालय में हिन्दी आवे। सरकार कह रही है कि वह जज लोगों से कहेगी, अगर वह करेंगे तो करेंगे और नहीं करेंगे तो नहीं कहेगी। सरकार की ओर से संविधान में बताया गया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो खुद हमारे ऊपर कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट चल जायगा। इसमें इस समय इससे मतलब नहीं है, मैं चर्चा भी नहीं करना चाहता था इस वक्त, लेकिन चूंकि बातें आई इसलिये कहता हूं माननीय चन्द्रभानु गुप्त से कि वह यह समझ लें कि उन्होंने हमारे साथ कोई बड़ी उदारता नहीं की है। अभी भी हमसे जुर्माने वसूल किये जा रहे हैं। अभी भी देवनारायण भारतीय जी जिनको शाहजहांपुर में ४ महीने की सजा और ५ सौ रुपया जुर्माना की सजा हुई थी, उनकी अपील की तारीख कल है, लेकिन ऐडवोकेट जनरल को कोई सूचना इस बात की नहीं दी गई। जब सरकार की ओर से यह सजा खत्म हुई तो सूचना क्यों नहीं दी गई? माननीय अवस्थी जी पर अब भी मुकदमा चल रहा है, अभी हाई कोर्ट में मुकदमा है, लेकिन एक ढिंढोरा पीटा गया कि सोशलिस्ट बन्दियों को यह सरकार छोड़ रही है। ठीक है, अच्छा किया, ठीक है चन्द लोगों को दो चार दिन पहले छोड़ दिया, जेल में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। सम्पूर्णानन्द जी को इससे ठेस नहीं लगनी चाहिये कि उन्होंने जिन लोगों को जेल में बन्द किया गुप्त जी ने आज उनको छोड़ दिया। उन्होंने सम्पूर्णानन्द जी की चलाई हुई परम्परा का ही पालन किया है कोई अपनी खुशी से नहीं किया है।

एक बात और, मैंने बार-बार राज्यपाल को लिखा, इस सरकार को लिखा और आज भी कहना चाहता हूं कि महिलाओं के लिये हमारे हृदय में बड़ा सम्मान है उनके लिये हमारे हृदय में अवश्य सम्मान है।

"अति सत्य हैं प्रिय नारियां, जिस वंश में बिपदा सहें,
बस शीघ्र ही वह नष्ट होगा, वाक्य ऐसा बुध कहें।"

महिलाओं का सम्मान हमारे देश ने, हमारे प्रदेश ने, हमारी सभ्यता ने और हमारी संस्कृति ने सर्वदा किया है, हम भी करना चाहते हैं मगर ब्रिटेन की रानी के नाम पर जनता की माढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया बहाया जायगा तो हम उसको बरदाश्त नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आगरे में जब वह आई थीं रानी तो कितना पैसा खर्च हुआ? अधिष्ठात्री महोदया, वह बनारस जा रही हैं, खबर है कि रामनगर के राजा वहां उनके लिये ३ लाख रुपया खर्च कर रहे हैं, क्यों रुपया उनके लिये खर्च हो? गोरखपुर में उनके पन्द्रह मिनट रुकने पर डेढ़ लाख रुपया खर्च हुआ १५ मिनट के स्टे के लिये। जब हम बच्चों की फीस माफ करने के लिये कहते हैं तो कहते हो पैसा नहीं है, गरीब कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कहे तो कहते हो कि पैसा नहीं है, जब अध्यापकों के लिये मांग करते

[श्री राजनारायण]

हैं कि तनख्वाह बढ़ाओ तो रुपया नहीं है, जब लगान माफ करने की बात कहते हैं तो पैसा नहीं है, दवा सस्ती करो, पढ़ाई सस्ती करो, कहते हैं तो कहते हो रुपया नहीं है।

हमें अफसोस है कि यह सरकार बड़ी अनैतिक है, यह सरकार हारी, सन् १९५४ का जुर्माना था ढाई लाख रुपये का, सुप्रीम कोर्ट से हारी, लेकिन यहां पर वह कहने लगी कि हम रुपया देने वाले नहीं हैं, वाह साहब आप होते कौन हैं, वह रुपया हम हाई कोर्ट से लड़कर ले लेंगे। जब सरकार ने जवाब दे दिया है तब जहांतक उसके लिये आवश्यक होगा जाना हम जायेंगे ।

अधिष्ठात्री महोदया, आपके जरिये से सदन से मेरा यह निवेदन है कि सरकार ने जो यह करीब १८ करोड़ रुपये का अनुपूरक अनुदान पेश किया है उसे हमें देना नहीं चाहिये। इसलिये नहीं देना चाहिये कि पुरानी परम्पराओं के ऊपर ही यह सरकार चल रही है। करीब ४०, ४५ करोड़ रुपया जिसका न तो उचित रूप से तखमीना है, न तो उसका वाउचर या उपवाउचर है, इसी तरह से इस प्रदेश में खर्च हुआ है। ८, १० करोड़ रुपया तो ऐसे खर्च हुआ है जिसका प्रमाण-पत्र भी नहीं आ सका।

(लाल बत्ती जलने पर)

मुझे पांच मिनट का समय और दे दिया जाय। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह यहां ७ दिसम्बर, १९६० से पदासीन हैं और किसी भी लायक और कर्मठ सरकार के लिये दो महीने का समय काफी होता है, लेकिन इस बीच में उन्होंने कौन सी नई बात की। किस-किस भ्रष्टाचारी कर्मचारी को हटाया, जो मन्त्रियों के ऊपर आरोप लगाया गया था उनमें से किन किन की जांच की व्यवस्था कराई? अगर वे अपना व्यक्तिगत फायदा भी चाहते हैं तो मैं मुख्य मन्त्री से आज भी कहूंगा कि वे इस चीज को कर लें। जिन उच्च कर्मचारियों ने श्री सम्पूर्णानन्द के उम्मीदवार को कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में जिताने की साजिश की अगर उन्हीं का विश्वास किया गया तो जल्दी ही इस सरकार का भी विनाश हो जायगा। यह मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसके प्रमाण हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि पैसा भी हम देने के लिये तैयार नहीं हैं, जबतक कि सरकार जांच नहीं कराती जिनके ऊपर कि हमने आरोप लगाये हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा ने जो माताटीला के सम्बन्ध में तथा अन्य स्थानों के सम्बन्ध में सारी चीजें छान-बीन कर इकट्ठा की हैं उसकी सरकार जांच तो करे । जब हम नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि आप यहां पर किसी का नाम न लीजिये । कुछ लोग कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी गोविन्दनारायण से राजनारायण की कोई जाती दुश्मनी है, लेकिन मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूं कि मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मैं सरकारी कर्मचारियों का आदर करता हूं मगर यह बात भी सही है कि मेरी दृष्टि भी पैनी है और हमारे लम्बे बांह हैं। अगर कोई भी बड़ा अधिकारी गलत काम करता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो वह हमारी पैनी दृष्टि और लम्बे बांह की परिधि के अन्दर जरूर आयेगा और वह हमें कोई भुलावा नहीं दे सकेगा।

यह कहना कि श्री सम्पूर्णानन्द या श्री कमलापति त्रिपाठी वाराणसी के थे और उनकी सरकार चली गई और अब गुप्ता जी लखनऊ के हैं इसलिये मैं चुप हो जाऊं, सही नहीं है। कमलापति जी और सम्पूर्णानन्द जी वाराणसी के हैं, उनको तो मैं वहां से हटा नहीं सकता, वे तो वहां रहेंगे ही, लेकिन वाराणसी में रहते हुये भी उनकी कमियों, उनकी खामियों और उनके कुकर्मों का मैंने पर्दाफाश किया। आज भी माननीय चन्द्रभानु गुप्त लखनऊ नगर में विराजमान हैं और अगर उनके अन्दर भी कोई खामी, कमी, कोई दुर्गुण या खराबी हुई तो मैं उनका भी पर्दाफाश अवश्य करूंगा।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप न करें।

श्री राजनारायण---मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा था कि आज कल हमारी राजनीति इतनी भ्रष्ट हो गई है कि अगर हम वाराणसी के हैं तथा वहां का कोई प्रश्न आ गया तो कहा जायगा कि कहीं न कहीं मामला गड़बड़ है, कहीं न कहीं श्री सम्पूर्णानन्द या कमलापति त्रिपाठी के लिये हमारे दिल के किसी कोने में मुलायमियत है, लेकिन मैं माननीय गुप्त जी से तथा अन्य सदस्यों से कह देना चाहता हूं कि वह इस बुद्धि विभ्रमजन्य भ्रांति में न रहें। हमारे दिल के कोने में माननीय गुप्त जी के लिये भी मुलायमियत नहीं हो सकती। मैं तो सोशलिस्ट पार्टी का एक सैनिक हूं। सोशलिस्ट पार्टी ही एक ऐसी सजीव जीती जागती, क्रांतिकारी पार्टी है जो अपना एक निश्चित प्रोग्राम, नीति और कार्यक्रम व विधान रखती है, उसके विधान, नीति और कार्यक्रम पर वह पार्टी चलती है और अगर उस पर कोई चढ़ने की कोशिश करेगा चाहे वह माननीय गुप्त जी हों या डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हों तो वह भी गिरेंगे। आगरे में ब्रिटेन की रानी महोदया को सरकिट हाउस में ठहराया गया, वहां सारी व्यवस्था हुई और वाराणसी में भी सम्भवतः वही व्यवस्था हो या कहीं हो, लेकिन मैं कहूंगा कि डाक्टर राममनोहर लोहिया कोई मामूली हस्ती नहीं है, उनकी वह हस्ती है कि जिसके बारे में सन् १९४० में ही पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था, जब कि वह सुल्तानपुर में गिरफ्तार हुये थे कि मैंने आजतक ऐसे आदमी को नहीं जाना था कि जो डाक्टर राममनोहर लोहिया से ज्यादा सीधा चलने वाला और ज्यादा बहादुर हो। उन्हीं के विषय में एक दूसरे वाक्य में महात्मा गांधी ने कहा था, मैं उसी बन्दर की भाषा में बता दूं कि---

"I cannot sit still while I see Dr. Lohia in prison."

मैं शांति से बैठ नहीं सकता जबतक कि डाक्टर राममनोहर लोहिया जेल में हैं। जब गोआ में १९ जून, सन् १९४६ को डाक्टर लोहिया गिरफ्तार हुये तो महात्मा गांधी ने कहा था कि डाक्टर लोहिया कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, उनकी गिरफ्तारी भारत को चुनौती है। ऐसे डाक्टर लोहिया पर सर्किट हाउस में ठहरने के लिये मुकदमा यह सरकार चलाती है और जब सरकार से कहा जाय कि उनके ठहरने की व्यवस्था की जाय तो महीनों और हफ्तों फाइल लटकी रहती है। उसमें पोप रह सकते हैं, ब्रिटेन की रानी रह सकती हैं, कांग्रेस के सदर रह सकते हैं, लेकिन डाक्टर राममनोहर लोहिया जिसने भारत की स्वतन्त्रता के लिये अपने सारे जीवन को मिटा दिया उनके लिये वहां व्यवस्था नहीं हो सकती और अगर वह वहां रहना चाहें तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि वह वहां जबरदस्ती घुस गये। लानत है ऐसी व्यवस्था पर, लानत है ऐसे कानून पर और लानत है ऐसी सरकार पर। इन शब्दों के साथ मैं अन्त में कहूंगा कि हम एक पैसा भी इस बजट के लिये देने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)---माननीय अधिष्ठात्री महोदया, माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। माननीय उपनेता विरोधी दल ने जो अपना भाषण दिया उसे सुन कर मुझे खुशी हुई खासतौर से जब कि उन्होंने अपने भाषण में उन बातों की सराहना की जोकि सराहनीय थीं, लेकिन एक बात सुन कर मुझे बड़ी हैरत हुई जब कि उन्होंने यह कहा कि जो क्वार्टर्स की रकम रखी गयी है उसके डिटेल्स इसमें होने चाहिये थे.....

श्री नारायणदत्त तिवारी---अधिष्ठात्री महोदया, मैं जरा स्पष्टीकरण कर दूं। मैंने यह कहा था कि १०८ क्वार्टर्स बनाने में पूरक बजट में कितना रुपया खर्च होगा इसका एस्टीमेट नहीं है, हम कितना रुपया मंजूर करें यह इसमें नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण बंसल---धन्यवाद, अगर आप इन बजट के प्रोपोजल्स को देखें तो इसमें सौ रुपये की टोकेन डिमाण्ड रखी गई है; यह इसलिये है कि पहले जो क्वार्टर्स बने थे

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

वह बेच दिये गये और उस रुपये को इस मद में रखना है, यह क्वार्टर बनेंगे उनका एस्टीमेट दिया हुआ है। यह सप्लीमेन्टरी बजट जो आज इस सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें अगर देखा जाय तो ज्यादातर मदें वही हैं कि जो महंगाई का भत्ता घोषित करने के कारण धन की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। यह कहना कि जिस वक्त मूल बजट रखा गया था उसी वक्त क्यों नहीं इसका खयाल रखा गया यह गलत है क्योंकि मूल बजट के बाद अप्रैल सन् १९६० से इस भत्ते का दिया जाना तय हुआ था। इसलिये कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९६० से महंगाई भत्ता देना है, इसलिये ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ी।

एक डिमांड इसमें तकावी के लिये ज्यादा रुपया रखने की थी। जाहिर है कि इस प्रदेश के ऊपर दुर्भाग्यवश काफी बदकिस्मती आई। ओले पड़े, वर्षा हुई, सैलाब आये। तो मदद के लिये हमें तकावी के लिये ज्यादा धनराशि की जरूरत पड़ी। इसलिये यह मांगा गया है और उसका मांगना बिलकुल स्वाभाविक था।

इस बजट में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनकी ओर माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान दिलाना मैं अपना फर्ज समझता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इकोनामी ड्राइव का जो प्रोग्राम प्रदेश के सामने रखा है उसको मद्देनजर रखते हुये यह लाजिमी है कि उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करें। मिसाल के तौर पर इसमें कुछ डिक्रियां हैं जिनके भुगतान के लिये रुपया मांगा गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि जब कोड आफ सिविल प्रोसीजर में दफा ८० दी हुई है जिसके मुताबिक सरकार के खिलाफ कोई दावा करता है तो सरकार को दो महीने का नोटिस देता है ताकि सरकार दो महीने के अन्दर छानबीन कर ले। जब हमारा ला डिपार्टमेन्ट मौजूद है तो उसके होते हुये भी यह डिक्रियां क्यों हुईं। मेरी समझ में नहीं आया कि दफा ८० के नोटिस के बाद भी उसमें कोई कार्यवाही की गई या नहीं।

मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं। एक पी० एन० चौधरी, एडीशनल गवर्नमेन्ट एडवोकेट थे। उनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया। बाद में नियमों में तब्दीली से उनका कार्यकाल सन् ५८ में समाप्त कर दिया। उन्होंने दावा किया और सरकार को दस हजार पर फैसला करना पड़ा। ला डिपार्टमेन्ट ने क्या किया? तीन वर्ष का कार्यकाल था तो तीन वर्ष काम लेते तब रुपया देते। बिना काम लिये हुये रुपया देना पड़ा। इसी तरह से एक ठेकेदार का केस है, उसकी भी डिक्री हुई। तो ला डिपार्टमेन्ट ने क्या किया? यह तो ला डिपार्टमेन्ट की जिम्मेदारी थी। ला डिपार्टमेन्ट की अकर्मण्यता इससे भी जाहिर होती है कि ऐसे-ऐसे कानून बनाये गये कि सरकार की मंशा कुछ और थी और कानून कुछ और बना। मिसाल के तौर पर कोर्ट-फीस ऐक्ट बना तो मंशा थी कि जितने दावे होंगे उनमें नये रेट के हिसाब से कोर्ट फीस लगाई जायगी। हालांकि एक जजमेन्ट हाईकोर्ट का मौजूद था--जबकि सिविल लाज अमेन्डमेन्ट ऐक्ट १९५४ में पास हुआ था तो उसके बाद एक केस गया था, सन् १९५६ में शायद हाईकोर्ट, इलाहाबाद का फैसला हुआ था कि अपील का राइट उसी वक्त हो जाता है जब मुकदमा दायर किया जाता है। जब ५८ में नया कोर्ट-फीस ऐक्ट पास हुआ तो वह हाई कोर्ट की नजीर मौजूद थी। उस पर ध्यान दिया गया होता तो आर्डिनेन्स के जरिये से कोर्ट फीस ऐक्ट को संशोधित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यह जरूरी है कि इस डिपार्टमेन्ट का सुधार किया जाय ताकि गवर्नमेन्ट को नुकसानात से बचाया जा सके।

मेडिकल कालेज, आगरा के नाम पर एक ग्रान्ट है, जिसमें ९४ हजार ८०० रुपया मांगा गया है। यह मेडिकल कालेज सन् ४७ में आगरे में बनाने का विचार था और करीब ५०० एकड़ या ५०० बीघे जमीन सरकार ने उसके लिये हासिल की और ११, साढ़े ग्यारह लाख रुपया मुआवजा भी काश्तकारों को दिया। आज १४ वर्ष हो गये। उस जमीन का सरकार क्या करने जा रही है, कुछ पता नहीं। धनराशि पर जो ब्याज का नुकसान हो रहा

है वह करीब ५० हजार सालाना के होता है। उस जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा भी कर रखा है। सरकार को सोचना चाहिये कि उस जमीन का कोई उपयोग हो। आगरे में सेन्ट्रल जेल जोकि बीच सिविल लाईन्स में है उसको इस जमीन पर बसा दिया जाय तो सेन्ट्रल जेल की जो जमीन कई लाख गज है उससे वहां शहर में सुधार हो सकता है। इसी तरह से मेडिकल कालेज, आगरा में एक तीन मंजिल की इमारत बन कर तैयार हो गई जिसमें करीब दो सौ या तीन सौ चारपाइयों का मरीजों के लिये इन्तजाम है, लेकिन बावजूद उस बिल्डिंग के बन जाने के जोकि ४० लाख की कीमत की है, अभी तक उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। मुझे पता चला है कि उसमें १०–५ हजार रुपये के सिर्फ सामान की जरूरत है और १०,५ हजार का सामान उसमें नहीं दिया गया इसीलिये वह इमारत खाली पड़ी हुई है। जब हमने ४० लाख रुपया उस इमारत में लगाया है तो जल्दी से जल्दी उसका उपयोग होना चाहिये। मेडिकल कालेज, आगरा का एक बड़ा कालेज है वहां की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। मुझे अफसोस है कि वहां एक ही आदमी प्रिंसिपल भी है, प्रोफेसर भी है और हास्पिटल सुपरिन्टेंडेंट भी है। एक आदमी इतने काम नहीं कर सकता है। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिये और उसके काम का बटवारा होना चाहिये ताकि काम अच्छा हो और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था वहां न रहे।

ट्यूब वेल्स की वर्किंग के लिये बिजली की जरूरत थी और कुछ रुपया मांगा भी गया है। बाह में करीब–करीब १०० ट्यूब वेल्स बने हैं लेकिन आज बिजली की व्यवस्था न होने के कारण ३०, ४० परसेंट नलकूप ही काम कर रहे हैं। अभी माननीय चरणसिंह जी वहां गये थे तो उन्होंने वहां की खेती को देख कर कहा कि बड़ी अच्छी खेती होती है। उन्होंने उस इलाके को देखा था जहां नलकूप चल रहे हैं। जब नलकूप इतने फायदे के हैं तो उनको खाली नहीं रहने देना चाहिये। मार्टिन कम्पनी को बिजली का ठेका आगरे में मिला हुआ है, उसको १ करोड़ रुपया भी ऋण के रूप में दिया गया लेकिन अभी तक उस कम्पनी ने बाह में पूरी बिजली नहीं सप्लाई की है। जिसका नतीजा यह है कि नलकूप बेकार पड़े हुये हैं। जब हम इन अनुदानों को इस सदन में मन्जूर करते हैं, तो वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी को देखना चाहिये कि जिन कामों के लिये यह अनुदान दिये जाते हैं उनका उसी तरह से उपयोग होना चाहिये जिससे प्रदेश की तरक्की हो।

एक चीज देखकर, जिसका जिक्र माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने भी किया, मुझे बड़ी हैरत हुई। विभूती ग्लास वर्क्स, बनारस को ११ लाख रुपये का लोन दिया गया था। फिरोजाबाद भारत में सबसे बड़ा कांच का सामान बनाने का सेन्टर है। मैं जानना चाहूंगा सरकार से कि वहां कांच उद्योग की तरक्की के लिये क्या काम किया है? अगर यह ११ लाख रुपया फिरोजाबाद में किसी कारखाने में लगता तो वहां के उद्योग को उत्साह मिलता और उसका अच्छा रिटर्न भी मिलता। लेकिन बनारस में जहां पर एक ही कारखाना था वहां रुपया लगाया जा रहा है। फिरोजाबाद के कांच के उद्योग पर सारे देश को गर्व होना चाहिये लेकिन उसको प्रोत्साहन देने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। एक ग्लास टेक्नोलाजिस्ट कानपुर में है जिसका काम है कारखानों को कोटा दे दे और वह बेंच दें लेकिन इससे ही उद्योग की तरक्की नहीं हो सकती है। जरूरत इस बात की है वहां पर अच्छी–अच्छी मशीनरीज मंगा कर लगाई जायं, टेक्नीशियन्स, एडवाइस देने के लिये सरकार मुकर्रर करे। ऐसा न हो कर बनारस की एक संस्था को ११ लाख रुपया दान दे कर कहां की बुद्धिमानी की बात की गई है।

एक आइटम रेलवे पुलिस के बारे में है। रेलवे पुलिस की जो कार्यवाहियां हैं उनको देखकर तो ऐसा मालूम पड़ता है "मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की।" हालत यह है कि रात में सफर करना मुश्किल हो गया है। अभी एक एम० एल० ए० डाक्टर श्रीनाथ भार्गव गाड़ी में सफर कर रहे थे, कानपुर और कन्नौज के बीच में कोई उनकी अटैची उठा ले गया। मैं स्वयं आ रहा था कानपुर में एक पैसेन्जर चढ़ा और

[श्री लक्ष्मीनारायण बंसल]

उन्नाव पर उनकी अटैची किसी ने गायब कर दी। तो देखना चाहिये कि वे क्या इन्तजाम करते हैं और ऐसी वारदातों को किस प्रकार रोकते हैं।

*श्री बदलूराम (जिला बहराइच)—अधिष्ठात्री महोदया, यह अनुपूरक अनुदानों का स्मृति-पत्र जो हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है उसको देखने से पता चलता है कि कुछ मांगें ऐसी रखी गयी हैं जो आवश्यकता की मांगें नहीं हैं बल्कि वे कुछ भोग-विलास की सामग्रियों को खरीदने के लिये रखी गयी हैं जैसे ३७ हजार रुपये की अनुपूरक अनुदान आगरा तथा वाराणसी के सर्किट हाउस को सजाने तथा अन्य प्रकार का प्राविधान करने के संबंध में खर्च की गयी है। अनुपूरक अनुदानों का सिद्धान्त यह है कि जो मूल बजट हो उसमें जिन आवश्यकताओं की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन किसी कारण वे किसी आकस्मिक रूप से वर्ष के भीतर पैदा हो जाते हैं और उनके ऊपर खर्च करना सरकार के लिये नितान्त आवश्यक हो जाता है तो ऐसे समय में सरकार की ओर से अनुपूरक अनुदानों की मांग की जाती है। यह जो ३७ हजार रुपये व्यय किया गया, यह क्वीन एलीजाबेथ जो भारतवर्ष में पधारी थीं उनको सर्किट हाउस में ठहराने के लिये खर्च किया गया। हमारा देश अतिथि सत्कार के लिये मशहूर रहा है, लेकिन जब देश गरीब हो, लोगों के रहने व खाने की व्यवस्था न हो, बच्चे भूखों मर रहे हों तो इतनी बड़ी धनराशि का खर्च करना किसी प्रकार से मुनासिब नहीं है।

इसके अतिरिक्त जब एक दूसरे देश का राष्ट्रपति, बादशाह या रानी दूसरे देश में जाते हैं तो उनका व्यय राष्ट्र की ओर से होना चाहिये, किसी प्रान्तीय इकाई की ओर से नहीं होना चाहिये। इसका व्यय हमारी केन्द्रीय सरकार की ओर से होना चाहिये और हम केन्द्रीय सरकार से यह कह सकते हैं कि हम तो बहुत निर्धन हैं, हमारी ही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, टैक्सों का भार बढ़ रहा है तो जैसे क्वीन आईं उनके आगमन का, उनके अतिथि सत्कार का व्यय चाहे वह दिल्ली में हो, बम्बई में हो, मदरास में हो या उत्तर प्रदेश में हो, वह केन्द्रीय सरकार के व्यय से निकलना चाहिये, राज्य सरकार की ओर से नहीं होना चाहिये इसलिये यह जो ३७ हजार का अनुपूरक अनुदान यहां से मांगा जा रहा है यह सर्वथा वांछनीय नहीं है।

दूसरे, इसमें अधिकांश विभागों के जो अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं वे हैं महंगाई भत्ते के बारे में। महंगाई भत्ते के बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि सरकार इसको पहले से देख नहीं सकती थी। जिस वक्त मूल बजट बन रहा था उसी समय यह बात तय हो जानी चाहिये थी कि आगामी बजट के वर्ष में हम अपने सरकारी कर्मचारियों पर कितना रुपया वेतन के रूप में और कितना महंगाई के रूप में देंगे। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी और इसको उठा कर जब कि हम दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं निकट भविष्य में पहली अप्रैल से तो उससे पहले अनुपूरक अनुदानों के रूप में यह एक और खर्चा लगा दिया गया है। मालूम यह होता है कि सरकार जनता को यह दिखाना चाहती है कि हम ज्यादा व्यय नहीं करना चाहते हैं। इसलिये उसके दो भाग कर दिये हैं। एक ओर तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के एक मास पूर्व अनुपूरक अनुदानों के अनुरूप में सरकार बजट लाना चाहती है और दूसरा एक महीने के पश्चात् मूल बजट लाना चाहती है और बजट को दो भागों में बाट देने से जनता और विरोधी दलों का ध्यान वस्तुस्थिति से हटा देना चाहती है।

तीसरे, मैं सरकार का ध्यान कानपुर में जो एक लेबर शिक्षा सम्मेलन हुआ उसकी ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें करीब १५ हजार रुपये खर्च हुए और उसके बारे में सेक्रेटरी का निवेदन आया कि १५ हजार की ग्रांट उनको दी जाय। प्रश्न यहां यह होता है कि जितने हमारे बजट के आइटम्स होते हैं जिन पर सरकार जायज तरीके से खर्च कर सकती है उसमें अगर कुछ अधिक व्यय हुआ है तो अनुपूरक से उसकी पूर्ति होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन अगर कोई हमसे दान मांगता है कि हमको इतना रुपया दे दो तो वह अनुपूरक बजट की शक्ल में नहीं आना चाहिये । यह दस हजार रुपये की जो रकम मांगी गयी है यह इसमें नहीं आनी चाहिये । इसी प्रकार स्काउट एसोसियेशन का कोई एक भवन दिल्ली में बन रहा है और वे सब जगह से चन्दा मांग रहे हैं । वह भी एक प्रकार से दान है । तो ऐसी-ऐसी रकमें अनुपूरक बजट में जो दान के स्वरूप में हम से ली जा रही हैं नहीं आनी चाहिये ।

अब, श्रीमन्, शासन के विषय में मुझे दो, तीन बातें कहनी हैं । एक तो यह कि हमारे जनतंत्र की प्रारम्भिक सीढ़ी पंचायतराज है । पंचायतराज के बड़े व्यापक रूप में प्रदेश के हर जिले के प्रत्येक गांव में निर्वाचन हुये । इस चुनाव में यह आम शिकायत है कि जितने वहां के मंत्री थे उन्होंने अधिकांशतः निर्वाचन सूची गलत बनायी और उसका नतीजा यह हुआ कि पिता की उम्र २५ साल लिखी हुई है और लड़के की उम्र ४० साल लिखी हुई है । वह प्रधानी के लिये खड़ा होने गया तो वहां पर मंत्री साहब की करामत से सारा पंचायत राज और जनतंत्र का कानून सब मिथ्या हो गया और उसका नाम्निनेशन पेपर खारिज हो गया । दूसरे जिन्होंने गुट-बन्दी कर ली कि हम कैंडीडेट होंगे उनके जितने समर्थक थे सब का नाम सूची में आ गया और दूसरे जो ५० वर्ष के बूढ़े थे उनका नाम ही नहीं था । हैरत की बात है कि असेम्बली और पार्लियामेंट की सूची में इतनी अशुद्धियां नहीं हैं हालांकि उसके बनाने वाले स्थानीय आदमी नहीं होते जितनी कि पंचायतों की सूची में हैं जिनके बनाने वाले वहीं के लोग हैं । ऐसी पंचायतों को आप कहते हैं कि हम सारे अधिकार दे कर यहां पर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं । तो ऐसी इकाइयों से पंचवर्षीय योजना की सफलता एक स्वप्न मात्र होगी ।

इसके अतिरिक्त मैं शिक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा हमेशा गड़बड़ी की दशा में रही है । शिक्षा अपूरक है, दोषपूर्ण है और इसकी नीति और संचालन में हमेशा गड़बड़ियां रही हैं । शिक्षा एक प्रकार का समानान्तर चतुर्भुज है जिसका एक कोण प्राइमरी एजुकेशन है, दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन, तीसरा हायर सेकेंडरी एजुकेशन और चौथा यूनिवर्सिटी एजुकेशन । इन चार कोणों में अगर एक कोण को आप राइट एंगिल पर कर दें तो चारों कोण समकोण हो जायेंगे । बदकिस्मती हमारे प्रदेश की यह रही है कि प्रारम्भिक इकाई इतनी गड़बड़ कर दी गयी कि सारे कोण विषम कोण हो गये और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि दो-दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं, लेकिन अभीतक इस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ । जब तक पंचवर्षीय योजना के केन्द्र बिन्दु—व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय का विकास नहीं होगा तब तक उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती । यही आपसे निवेदन करना है ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—अधिष्ठात्री महोदया, मैंने विरोधी पक्ष के नेताओं के और अन्य लोगों के जो भाषण इस संबंध में हुये हैं उसमें राजनारायण जी का भाषण मैंने सुना । बजट के संबंध में और अन्य अवसरों पर विरोधी पक्ष से जो भाषण होते हैं उस संबंध में मुझे कुछ कहना आवश्यक हो गया है । विरोधी पक्ष में मेरे काफी सम्मानीय मित्र हैं । मैं उनकी प्रतिष्ठा भी करता हूं । परन्तु मैं उनसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि वे थोड़ा-सा उन मौलिक बातों पर भी विचार करें । आज जनतंत्र का एक महान प्रयोग इस देश में हो रहा है, उसकी सफलता के लिये जहां एक ओर आवश्यकता है कि ट्रेजरी बेंचेज से डेमोक्रेटिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाय वहां यह भी आवश्यक है कि विरोधी पक्ष, किस तरह से इस देश में जनतंत्र की रक्षा होगी, इस पर भी विचार करे । आज मुझे दुख होता है कि इतना महत्वपूर्ण मामला सप्लीमेंटरी बजट का जिसमें एक्सचेकर के करोड़ों रुपये का प्रश्न उपस्थित है, उसमें आज विरोधी पक्ष का एक भी नेता उपस्थित नहीं है । मैं चाहता हूं कि इन विरोधी पक्ष के नेताओं तक मेरा यह सम्वाद पहुंचा दिया जाय कि क्या इसी तरह से जनतंत्र की इस देश में रक्षा होगी । आखिर विरोधी पक्ष का क्या कर्तव्य और क्या कार्य है । मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के तीन कार्य हुआ करते हैं । एक तो यह कि आल्टरनेट पालिसी या आल्टरनेट प्रोग्राम वह सदन में उपस्थित करे । दूसरा काम यह है कि जनता को चुनाव के समय में और दूसरे समय में शिक्षित

[श्री देवकीनन्दन विभव]

करे और उसको जनतंत्र के प्रयोग की शिक्षा दे । तीसरा काम होता है कि जिस समय आवश्यकता पड़े सरकार का स्थान जाकर ग्रहण करे ।

मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूं कि क्या आज विरोधी पक्ष इनमें से किसी भी कार्य को करने के योग्य है ? मैं सख्त बातों के कहने का आदी नहीं हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय बजट के ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा है उस समय उन्होंने कितनी ज्ञातव्य बातें सदन में उपस्थित की हैं या आल्टरनेट पालिसीज या आल्टरनेट प्रोग्राम सदन में उपस्थित किये हैं । अगर पैराफ्रेजिंग किया जाय उन भाषणों का जो अपोजिट बेंचेज से होते हैं तो हर साल हमारे सामने वही पुरानी बातें आती हैं । इसका परिणाम यह होता है कि हम न तो किसी नई बात पर पहुंच पाते हैं और न ट्रेजरी बेंचेज को ही कोई सहायता मिलती है कि वह अपने में सुधार करें और न जनता को ही कोई शिक्षा प्राप्त होती है ।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां सदन में कांग्रेस पार्टी के आपस के झगड़े की बहुत चर्चा सुनाई पड़ती है । हो सकता है कि यह झगड़े सोशलिस्ट पार्टी में भी हों, जनसंघ में भी हों, कम्युनिस्ट पार्टी में भी हों और आज इसकी चर्चा बाहर भी होती है । लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, इसकी उन्हें चिन्ता क्यों है ?

(इस समय १ बज कर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

आज चाहे कोई भी सरकार बदल जाय । चाहे सी० बी० गुप्ता चीफ मिनिस्टर हो जायं या डाक्टर सम्पूर्णानन्द चीफ मिनिस्टर हो जायं या दूसरे मिनिस्टरों में परिवर्तन होता है । तो मैं पूछता हूं कि विरोधी दल को इसमें क्या दिलचस्पी है । आखिर वह कहते हैं कि सरकार बदल गई लेकिन मैं कहता हूं कि किस तरह से बदल गई । सरकार तो कांग्रेस पार्टी की ही है और मुझे आशा है कि आगे भी रहेगी । व्यक्तियों के बदलने से यह मुमकिन हो सकता है कि किन्हीं बातों में थोड़ा बहुत मतभेद हो लेकिन उसकी चर्चा सदन में करना सदन के पैसे का अपव्यय करना है । मैं चाहता हूं कि इस पर विरोधी पक्ष भी थोड़ा विचार करे । अब मैं कुछ निवेदन आपके द्वारा सरकार से भी करना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक एक डेवलपिंग एकोनामी में पास हो रहे हैं । ऐसी परिस्थितियों में पास हो रहे हैं जबकि हमें जनता से अधिकाधिक पैसे लेने की आवश्यकता पड़ती है । हमको नये-नये टैक्स जनता पर लगाने पड़ते हैं। तब यह आवश्यक है कि हम जनता से जो पैसा लें उसका एक एक पैसे का सदुपयोग करें । उस दृष्टि को रखते हुये आवश्यक हो गया है कि हम अपने सरकारी स्तर से खर्च किये जाने वाले पैसे को खर्च करने के तरीके, उसके एस्टीमेट्स बनाने के तरीके, उसके बजट के प्रेजेन्टेशन के तरीके और उसके एग्जीक्यूशन के तरीके पर थोड़ा-सा विचार करें और उसको एक सालिड, साउंड बेसिस पर आधारित करें । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आशा करता हूं कि वह इन बातों पर कुछ थोड़ा-सा विचार करेंगे ।

एक और बात जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड में पार्लियामेंटरी फाइनेंशियल कंट्रोल का एक बड़ा भारी इतिहास रहा है । उन्होंने परम्पराएं स्थापित की हैं उस देश में । मुझे तो यहां कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम जिस परम्परा और जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरह से हमारे प्रदेश में कोई पार्लियामेंटरी कंट्रोल फाइनेंस का है ही नहीं। हमारे तरीके पर अपने यहां एक फाइनेंस कमेटी थी । लेकिन कुछ कारणों से उसके रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई है और वह केन्द्र में भी शायद नहीं है । उसको कुछ एस्टीमेट्स को एग्जामिन करने का मौका मिलता था । लेकिन आज बजट के प्रेजेन्टेशन से पहले कोई मौका नहीं है एस्टीमेट्स कमेटी को कि वह उन एस्टीमेट्स को देख सके, उनका परीक्षण कर सके और यही नहीं बल्कि इतना कम समय मिलता है बजट के प्रेजेन्टेशन और उसके पास करने के बीच में कि

एस्टीमेट्स कमेटी के लिए कोई अवसर नहीं रहता कि वह उन सब एस्टीमेट्स का कुछ निरीक्षण करे और निरीक्षण करके सदन के समक्ष रखे । आखिर इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल सदन का किस तरीके से हो सकता है ? इतने बड़े-बड़े टेक्निकल जो बजट के लिट्रेचर होते हैं सारा सदन उनका अध्ययन करके उन सारी चीजों का अध्ययन करे यह सारे सदन के लिए संभव नहीं है । उसके लिए एक छोटी-सी मिनिएचर हाउस का निर्माण करना जरूरी है जिसको कि एस्टीमेट्स कमेटी कहते हैं । वह एस्टीमेट्स कमेटी उन एस्टीमेट्स का पूरे तौर से अवलोकन करे जिसमें कम से कम हमारे जितने फाइनेंस डिपार्टमेंट या और दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनके ऊपर यह असर रहे कि वह जो एस्टीमेट्स प्रिपेयर करते हैं उनका भी कहीं से निरीक्षण होगा और उसमें यदि पब्लिक एक्सचेकर के पैसे का कुछ भी लूज एस्टीमेट होगा तो कोई उसको भी देखेगा । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड में हाउस आफ कामन्स में एक लम्बे से इसके अर्से लिए उन्होंने कुछ परम्पराएं स्थापित की हैं और यही नहीं बल्कि आज भी वहां इस बात के लिए कमेटीज बनती हैं कि वह यह देखें कि हम इस जनतंत्र की प्रणाली को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं । अभी एक प्लाऊडन कमेटी का निर्माण वहां पर किया गया है जो कि यह देखेगी कि सप्लीमेंटरी बजट जो पेश होता है उसमें किस तरीके से एस्टीमेट्स कमेटी को अवसर देना चाहिए जिससे कि वह एस्टीमेट्स का अच्छी तरह से परीक्षण कर सके । तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बात की आवश्यकता है कि कोई ऐसी परम्परा निकाली जाय चाहे यह हो कि एस्टीमेट कमेटी को बजट पेश करने के पहले अवेलेबिल हो या उनको इतना टाइम दिया जाय कि वोट आन एकाउन्ट से लेकर बजट को पास करने तक वह कमेटी के सामने रहे । उस एस्टीमेट कमेटी से आने के बाद बजट को हाउस में पेश किया जाय । इस बीच में उसको समय मिल जायगा ताकि वह अपना निरीक्षण कर सके ।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एस्टीमेट बनाने का जो तरीका है, मैं चाहता हूं, गवर्नमेंट उस बात को देखे । कुछ ऐसा हो सकता है कि ओवर एस्टीमेट हो या अन्डर एस्टीमेट हो क्योंकि डेवलपिंग कौनामी में यह तो अवश्य होता है कि वहां पर आपको सप्लीमेंटरी बजट में वह धन लाना पड़ेगा और कहीं-कहीं लम्पसम प्र विजन करना पड़ेगा लेकिन वह बातें तभी हो सकती हैं जब वह चीज सीमित हो । आज सप्लीमेंटरी बजट साढ़े १३ करोड़ का है और चार करोड़ का सप्लीमेंटरी बजट पहले हम पास कर चुके हैं । इस तरह से यह साढ़े १७ करोड़ का हो गया और रिएप्रोप्रियेशन को भी इसमें मिला दिया जाय तो यह धनराशि बहुत बढ़ जायगी । मैं चाहता हूं कि जरा इसको देखा जाय कि वाकई जितना धन व्यय करने के लिये इसमें रखा गया है वह ओरिजिनल बजट के बनाते वक्त देखा जा सकता था या नहीं । वह शुरू में साधारण बजट के अन्दर नहीं आ सकता था या उसके लिये उस समय विचार नहीं किया जा सकता था और उनका उस समय प्राविजन नहीं किया जा सकता था । अगर आप देखें तो ऐसी बहुत सी मदें हैं जिनको सप्लीमेंटरी बजट में कायदे से नहीं आना चाहिये ।

एक बात ओवर एस्टीमेटिंग की कहना चाहता हूं । जैसे कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की बात है । प्राविजन आफ करेन्ट फाइनेन्शियल इयर बजट में जो रकम रखी गई है वह डेढ़ लाख की है लेकिन शार्ट फाल ४० लाख का आता है । इसी तरह से एक और आइटम है उसमें एक लाख का प्राविजन है लेकिन शार्ट फाल ७६ लाख रुपये का है । इसी तरह से एक और आइटम है जिसमें २५ लाख का प्राविजन था लेकिन उसमें शार्ट फाल ३७ लाख रुपये का है । तो आखिर यह क्या है और यह एस्टीमेटिंग का क्या तरीका है ? और इसमें किस तरह से शार्ट फाल होता है । मेरा अपना खयाल यह है कि गवर्नमेंट को इन सब बातों पर थोड़ा खयाल करना चाहिये ।

एक बात और है जो आप टोकेन ग्रान्ट का प्राविजन ले लेते हैं वह सब टोकेन कट आपने ले लिये हैं दूसरे एमाउन्ट से उसको बचाकर पूरा कर लेते हैं । इस तरह से आपने रुपये की बचत उस मद से कर ली और दूसरी मद में उसको खर्च कर लेते हैं । तो उस मद से यह खर्चे की बचत कैसे होती है ? उस योजना के लिये एमाउन्ट आपने स्थापना-कर्मचारियों के वेतन पर लिया

[श्री देवकीनन्दन विभव]

वह तो सारा एमाउन्ट खर्च हो गया और मूल योजना को अगर बचत में ले लें तो उससे सारा परपज जो उस एमाउन्ट को रखने का होता है वह नष्ट हो जाता है ।

एक और बात है। मंत्रिमंडल ने जो बड़ी गाड़ियों के स्थान पर छोटी गाड़ियां रखने का निश्चय किया है इसका मैं स्वागत करता हूं। मुमकिन है इस समय उससे कोई अधिक लाभ मालूम न हो, किन्तु भविष्य में उससे आर्थिक फायदा अवश्य होगा और उसका जो मनोवैज्ञानिक असर शासन पर पड़ता है वह भी पड़ेगा और अधिकारीगण यह महसूस करेंगे कि हमको बचत करना चाहिये। हां, इसमें ३० हजार रुपया का, राज्यपाल महोदय के लिये बड़ी गाड़ी का, जो प्रावीजन किया गया है, मैं समझता हूं उसके स्थान पर छोटी गाड़ी का प्रावीजन होना चाहिये था। माननीय राज्यपाल महोदय के लिये बड़ी गाड़ी की जरूरत है या नहीं, इस बात में तो मैं नहीं जाना चाहता, किन्तु जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया, पंडित नेहरू जी ने भी राज्यपाल के लिये छोटी गाड़ी रखने का आग्रह किया है, बड़ी गाड़ी के स्थान पर छोटी गाड़ी के लिये अगर प्रावीजन होता तो ज्यादा अच्छा रहता क्योंकि आजकल वह पाम्प एण्ड शो का जमाना नहीं रहा है, आज तो हमको गरीबी को मिटाना है, लोगों को नीचे से ऊपर उठाना है। इसलिये मैं, चूंकि समय नहीं है, और भी कुछ कहना चाहता था, अन्त में इतना ही कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी जो मौलिक बातें कही गयी हैं उनकी ओर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम इस पूरक बजट को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट को बनाने वालों ने अपेक्षित दूरदर्शिता का परिचय नहीं दिया है जो कि पूरक बजट बनाने के लिये आवश्यक होती है। दूसरी बात श्रीमन्, यह है कि इस बजट को बनाने की जो नीति है वह पूरी की पूरी दोषपूर्ण नजर आती है। कुछ बातों की ओर माननीय नारायणदत्त जी ने बड़ी सफाई के साथ इशारा किया है और उनको बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी उन बातों की ओर विशेष रूप से और गम्भीरतापूर्वक विचार करें। श्रीमन्, जो त्रुटियां हैं, उनकी ओर बराबर इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है, परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार ने बिल्कुल आंख बन्द कर ली है और वह किसी भी सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं है। उनको मानने में सरकार या तो अपना अपमान समझती है या जानबूझ कर करना नहीं चाहती।

बजट में पास करने में सरकार सदैव ही जल्दबाजी की नीति अपनाती है और वह जिन मदों के लिये जितना रुपया चाहती है, वह पास करा लेती है। ऐसी-ऐसी मांगें जो मूल बजट में आनी चाहिये, वह पूरक बजट में लाई जाती हैं। इसमें बहुत-सी ऐसी मिसालें मिलेंगी। उदाहरण के लिये मैं आपको बतलाता हूं, मोतीलाल नेहरू अस्पताल सन् १९५६ से बन रहा है। सरकार ने इसको बनाने के लिये एक योजना बनाई, और यह तय किया कि इस पर इतना रुपया खर्च होगा, इतने समय में वह बन कर होगा, तैयार और वह इमारत बन भी गयी, लेकिन उसके लिये सज्जा की व्यवस्था नहीं थी। लिहाजा उसके लिये रुपया इस पूरक बजट में रखा गया है। जब पिछली बार बजट पेश हुआ, उस समय क्या यह सरकार इस बात को नहीं जानती थी कि जब अस्पताल बन जायेगा तो उसके लिये सज्जा की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस समय इसके लिये रुपया नहीं मांगा गया। इसी तरह आचार्य नरेन्द्रदेव पुस्तकालय की बात है। इसमें किसी का मतभेद नहीं हो सकता कि आचार्य नरेन्द्रदेव हमारे देश के इने-गिने नेताओं में से थे। उनकी विद्वता, उनकी राष्ट्रीयता, नेतृत्व की हम कद्र करते हैं और अगर उनकी स्मृति में कोई पुस्तकालय बनता है जिसकी हमारे प्रदेश में नितान्त आवश्यकता है तो वह बनना चाहिए, लेकिन एक महीना जब बजट में रह गया है तो क्यों इस पूरक बजट में इस तरह की मांगें रखी जाती हैं। एक परम्परा की बात है कि किन आइटम्स को पूरक बजट में रखा जाना चाहिए और उसका स्पष्ट ज्ञान सरकार को होना चाहिए और नीति निर्धारित होनी चाहिए कि कौन-सी बातें आनी चाहिए ।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह पूरक बजट को पढ़ने के बाद सरकार का जो अनियोजित (अनप्लान्ड) तरीका काम करने का है, वह भी इसमें स्पष्ट हो जाता है और इस बात को सरकार भविष्य में रोक सकेगी या नहीं, इसकी कोई गारन्टी कहीं दिखलाई नहीं पड़ रही है। बार-बार सदन में मांग उठी है कि हमारे प्रदेश में जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनके उत्थान के लिए सरकार को जो उचित ध्यान देना चाहिए, वह नहीं दे रही है। यही नहीं, भारत सरकार ने उसके सम्बन्ध में समय-समय पर जो रुपया दिया है, अनुदान दिया है, जो कर्जा दिया है उसका भी उपयोग सरकार ने नहीं किया। पिछली बार बताया गया कि ६१ लाख रुपया जो भारत सरकार ने ग्रांट किया था वह सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया, रह गया।

पूरक बजट के ३८ पृष्ठ पर पहाड़ी इलाके के उत्थान और विकास की व्यवस्था है, लेकिन उसको देखने से स्पष्ट है कि सरकार की जो नीति है, जो ग्रांट उसको भारत सरकार से मिलती है उसको भी वह खर्च नहीं कर सकती। १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये १६७.३६५ लाख रुपये की ऋण सहायता में से केवल १०१.३६ लाख रुपया खर्च किया गया। करीब ६६ लाख रुपये का खर्च नहीं हो सका। इसमें से ५ लाख रुपये की रकम उद्यानों के विकास के लिए थी, लेकिन इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बन सकी। इस पूरक बजट के अन्तर्गत ३,२८,१०० रुपये की उद्यान विकास की अतिरिक्त योजनाएं अन्य योजनाओं के साथ बनायी गयीं। कितनी हास्यास्पद बात है कि जो योजना बननी चाहिए थी वह न बना कर के एक दूसरी योजना पूरक बजट में रखी जा रही है और इसकी भी कोई गारेंटी नहीं कि जो केन्द्र से ग्रांट मिलती है उसको भी सरकार खर्च कर सकेगी या नहीं।

बनारस की विभूति ग्लास फैक्टरी के सम्बन्ध में कहा गया है कि भारत सरकार से २० लाख रुपया कर्ज ले लिया जायगा और उस फैक्टरी को सरकार चलाना चाहती है। ३ साल पहले इसी सदन में इस प्रश्न को हमने उठाया था। हमारे वाराणसी से आने वाले भाई ऊदल जी ने इस प्रश्न को उठाया था जब कि वहां मजदूर हड़ताल कर रहे थे, उनको वेतन नहीं मिल रहा था। उस समय मैंने कहा था कि सरकार अनावश्यक रूप से इस ग्लास फैक्टरी को कर्ज न दे, अपने हाथ में ले, लेकिन उस समय सरकार ने इन्कार कर दिया और जब उस फ़ैक्टरी ने ११ लाख रुपया कर्ज लिया, उस पर सरकार का जितना ब्याज था वह सारे का सारा बकाया है तो अब सरकार मजबूरन उसको २० साल के पट्टे पर ले रही है। पता नहीं उसका क्या भविष्य होगा। अब भी यदि सरकार उस फैक्टरी को चलाना चाहती है, पूरक बजट में रुपया लेना चाहती है तो सरकार बताती कि उसकी आर्थिक दशा क्या है, भविष्य में हमारी योजना क्या है, सरकार सदैव के लिए लेना चाहती है या नहीं? इस २० वर्ष के क्या माने होते हैं? इससे मजदूरों में गहरा असन्तोष है। मजदूरों को गारन्टी इस बात की नहीं है कि जितने मजदूर उस फ़ैक्टरी में काम कर रहे हैं वह सारे के सारे जब सरकार इसको अपने हाथ में ले लेगी तो वह रहेंगे और उनको काम दिया जायगा। सरकार इसकी कोई गारन्टी नहीं देती। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री स्पष्ट करें।

मैं इन तीन चार बातों की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं। कौन से कारण हैं कि इस तरह की बातें पूरक बजट में सरकार पेश करना चाहती है? श्रीमन्, इसमें आप देखें कि नये कारों के खरीदने की भी व्यवस्था की गई है। सरकार ने इस बात को लेकर काफी बड़ा प्रचार किया कि अब हमारे मंत्रिगण छोटी कारों पर चलेंगे, बड़ी कारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन बजट को देखने से इस सच्चाई की पोल भी खुलती है। ९ नयी कारें सरकार खरीदने जा रही है एक लाख दस हजार रुपया खर्च करने के बाद और पुरानी दस कारें बेंच रही है, बड़ी कारें जिससे एक लाख २५ हजार रुपया प्राप्त होने की आशा व्यक्त की गई है। मुझे इसमें आशंका है, सम्भवतः उन कारों को पांच-पांच हजार रुपये में बेचने की व्यवस्था की जा रही है। अगर मेरी यह आशंका सही निकली तो इससे बड़ा घाटा होगा। वह कारें अभी चलने योग्य थीं। छोटी कारों पर मंत्रिगण चलें, छोटे बंगलों में रहें और जितनी भी मितव्ययिता हो सके वह होनी चाहिये लेकिन क्या यह बात है कि जो बड़ी कारें थीं, अच्छी हालत में थी उनको इतने कम

[श्री चन्द्रजीत यादव]

दामों पर आप बेच रहे हैं और साथ ही एक लाख १० हजार रुपये में नयी कारें खरीदने जा रहे हैं। उस आइटम के अन्दर दो बड़ी कारों के लिये पिछले बजट में ४४ हजार रुपया रखा गया था अब ४१ हजार रुपया और लगा कर सरकार ने दो कारों की मांग की है। एक तरफ तो छोटी कारों की मांग और दूसरी तरफ इन बड़ी कारों के खरीदने की व्यवस्था, यह विरोधाभास समझ में नहीं आता। अगर सरकार अपने मंत्रियों के साथ-साथ विधान सभा के अध्यक्ष पर भी प्रतिबन्ध लगा सकती है तो मैं नहीं समझता कि उसे ऐसा अधिकार हो कि वह ८५ हजार की दो नयी कारें किसी के लिये भी खरीदे।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या आज बिना कोरम के ही कार्यवाही चलती रहेगी बजट पर ?

(गणपूर्ति के लिये घंटी बजाई गई)

श्री राजनारायण—अगर इस प्रकार से आगे फिर कोरम न रहे तो आप आज की कार्यवाही स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं सरकार को इस सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिये अन्यथा अध्यक्ष को भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, इस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग का आइटम है उसके अन्दर सरकार ने यह कहा है कि ७ लाख रुपये की व्यवस्था पिछले बजट में इस बात के लिये की गई थी कि यदि कोई आकस्मिक बीमारी पैदा हो जाय या आकस्मिक रूप से रुपया खर्च करने की जरूरत पड़े तो वह दिया जा सके। उसमें कहा गया है कि पूरे प्रदेश के अन्दर हैजे की बीमारी बड़े पैमाने पर फैली इसलिये सरकार को ७ लाख के बजाय ११ लाख रुपये खर्च करने पड़े। यह बात अच्छी थी। अगर उस समय बीमारी फैली थी तो प्रदेश की जनता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य था और उसको सरकार ने किया। लेकिन एक नीति का मैं प्रश्न उठाना चाहता हूं जिसको हमने बार-बार कहा है कि इस प्रकार की बीमारियां जो छुआछूत से फैलती हैं जिनके लिये पहले से प्रिवेन्टिव मेजर्स लिये जा सकते हैं उनको पहले लिया जाना चाहिये था और ज्यादा रुपया खर्च किया जाना चाहिये था। हमारे प्रदेश में बीमारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बीमारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार प्रिवेन्टिव मेजर्स नहीं ले रही है। नतीजा यह होता है कि मलेरिया, फाइलेरिया, हैजा और इस तरह की दूसरी बीमारियां जो रोकी जा सकती हैं और जिनको रोकना सरकार का कर्तव्य है और जिनमें हमारे प्रदेश के लाखों व्यक्ति मर जाते हैं उन बीमारियों के चंगुल में फंसकर, उस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती है।

श्रीमन्, आश्चर्य की बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, उन्होंने जैसे ही प्रदेश का शासन संभाला था गोरखपुर की एक सार्वजनिक सभा में यह कहा था कि यह कितने दुःख की बात है कि हमारा प्रदेश पूरे देश के मुकाबले में कितना पिछड़ा हुआ है स्वास्थ्य के मामले में लेकिन उसी स्वास्थ्य विभाग के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो भी धन नियत किया गया था उसमें से करीब-करीब ११ लाख रुपया ऐसा होगा जो बिना खर्च किये हुए बाकी रह जायगा। यह कितनी गम्भीर बात है। यह सही है कि हमारे यहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी बहुत काम करने को बाकी है ऐसे समय में हमारी सरकार की नीतियों में ऐसी खामी हो कि ऐसी मदों का रुपया भी खर्च करने से रह जाय। नतीजा यह होता है कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मैंने यह शुरू में ही कहा था कि अगर सरकार इन कमियों को पूरा करना चाहती है तो उसे बजट बनाते समय ही अपनी नीतियों को निर्धारित करना होगा कि मुख्य बजट के संबंध में उसकी क्या नीति होनी चाहिये और पूरक

बजटों के सम्बन्ध में क्या नीति होनी चाहिये। उसके पास जो भी रुपया हो उसको नियोजित ढंग से खर्च किया जाना चाहिये। जो १७ करोड़ रुपये की मांग प्रस्तुत की गयी है, अगर काम नियोजित ढंग से हुआ होता, दूरदर्शिता से काम लिया गया होता तो कभी ऐसा न होता।

माननीय गोविन्दसिंह विष्ट ने सही कहा था कि आज से २०–२५ साल पहले पूरा का पूरा बजट ही १४–१५ करोड़ रुपये का होता था, लेकिन आज उसमें इतनी वृद्धि हो गयी है कि १७ करोड़ रुपये की मांग तो पूरक बजट में ही रखी गयी है जब कि मूल बजट को पास करने के लिये केवल ३ सप्ताह का समय ही रह गया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे मूल बजट को बनायें तो दोनों बजटों के सम्बन्ध में और तमाम मदों में रुपया निर्धारित करते समय दूरदर्शिता से काम लें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बजट पर यहां बहस चल रही है उसमें श्रीमन् ने खुद देखा होगा कि कोरम के लिये आज दो बार घंटी बजानी पड़ी। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार बजट के विषय में कितनी दिलचस्पी लेती है। जब किसी पार्टी की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो जैसा कि पालीवाल जी ने अभी कहा था कि वहां संख्यासुर का प्रभाव रहता है क्योंकि बहुमत वाली पार्टी को यह अहंकार रहता है कि उसका बहुमत तो है ही, इसलिये चाहे बजट हो या विधेयक हो, वह पास तो हो ही जायगा और जिन सिद्धान्तों की दुहाई दी जाती है उनका पालन कहां तक होता है यह तो इससे स्पष्ट ही हो जाता है।

मैंने सुबह भी उसका जिक्र किया और माननीय चन्द्रजीत यादव ने कृपा करके उसको दुहरा दिया कि सन् ३९ में अंग्रेजों के जमाने में बहुत शोर मचता था कि सरकार बहुत टैक्स लगा रही है जब कि १२–१३ करोड़ का कुल बजट होता था। लेकिन आज द्वितीय अनुपूरक बजट ही साढ़े १३ करोड़ रुपये से ऊपर है। इससे मालूम होता है कि टैक्सेज कितने बढ़ गये हैं। १३३ करोड़ का हमारा ओरीजिनल बजट था, ४ करोड़ का दूसरा और १३॥ करोड़ का तीसरा है। इस प्रकार से डेढ़ अरब रुपया हो गया। हमें यह विश्वास और आशा दिलाई जाती है कि हम अब स्वर्ग की ओर जा रहे हैं और पंचवर्षीय योजनाओं का नाम लेकर कहा जाता है कि भूखे रहो, टैक्सेज को अदा करो, इससे तुम्हारी भावी सन्तानों का लाभ होगा। यह सब उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार एक पंडित कहता है कि मुझे मोटी-मोटी दक्षिणा दो, अगले जन्म में तुमको बहुत सा मिल जायगा। अगला जन्म किसने देखा है लेकिन इस जन्म में जो भूख, बीमारी और उत्पीड़न दिखायी देता है, वह असहनीय होता जा रहा है। इतना सारा रुपया तो यह खर्च किया जा रहा है उल्टे अपनी सरकार पर ३ अरब ५८ करोड़ रुपये का कर्जा है। यह तीस मार्च, सन् ६० को था। प्रति वर्ष यह कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। कर्ज का यह हाल, खर्च का यह हाल, और स्टर्लिंग बैलेंसेज का यह हाल कि जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है वह भी हम खा गये और इतना करने के बाद भी इसी आदरणीय सदन में हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने कहा था कि जहां जहां जो जो खर्च हमने किये उसमें हम सब फेल्योर रहे। हमारी पर कैपिटा इन्कम घटी। जब यहां योजना नहीं थी, सन् १९५० में सारी इंडिया का सौ थी तो अपने प्रदेश का उसके मुकाबले में १०४ प्वाइंट समथिंग, लेकिन इतना सब खर्च करने के बाद यह तरक्की है जो हमारे सामने है। हमारी पर कैपिटा इन्कम भारत के ११९ के मुकाबले ८८ प्वाइंट के करीब रही है। यह हकीकत है। चाहे इंडस्ट्रीज ले लीजिये और चाहे प्रोडक्शन, सब तरफ यही हाल है। देश का खर्च भी बढ़ता जा रहा है और तबाही भी बढ़ती जा रही है। जहां तक टैक्निकलटीज का सवाल है, आदरणीय सदन में नारायणदत्त जी जब तक इस तरफ बैठे हैं, इस सदन में जब तक वह सुशोभित हैं, तब तक वह बताते रहेंगे और उन्होंने उसके बारे में आज भी बताया है। मुझे कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं है।

मुझे बजट में एक बात बहुत खली है। हमारी एस्टीमेट कमेटी जो है, के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सी बाद में भेज दी जाती है। होना चाहिये यह था कि एक पद्धति बनायी जाती कि

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

एस्टीमेट्स यहां लाने से २ महीने पहले से ही वे एस्टीमेट कमेटी में चले जाते और वह उनकी जांच करती है। यह नहीं कि बाद को कह दिया जाय कि साइट (site) नहीं मिली लिहाजा रुपया लैप्स हो गया, जमीन ऐक्वायर (acquire) नहीं हुई इसलिये धन खर्च नहीं हुआ। पहले सारा प्लान बना लिया जाय और उसके बाद एस्टीमेट ठीक से बन सकेगा। अगर ऐसा होगा तो रुपया हमारा लैप्स नहीं होगा, यह जरूरी बात है।

इसके अतिरिक्त, अगर हम अपने प्रदेश का और दूसरे प्रदेशों के बजटों को देखें तो हमारे यहां से आधी रकम या इससे भी कम खर्च करने वाले जो प्रदेश हैं उनके भी बजट हजारों पेजेज में छपते हैं वह सारा हिसाब इस तरह से लिख कर देते हैं मानों कोई आइना है, कोई शीशा है, जिसको देखने से ही पता चलता है कि कितना रुपया कहां पर किस तरह से खर्च होगा लेकिन यहां पर १।। लाख रुपया या बहुत ज्यादा गोल खाते में रखा हुआ है। यह मिसलेनियस भी क्या बला है जिसमें क्या-क्या खर्च होता है हम जानते नहीं हैं। अब चूंकि हमारे मंत्री लोग नये आये हैं और उन्होंने कुछ भाषण बाहर दिये हैं उससे कुछ आशा बंधी है, कुछ काम इन्होंने किया भी है, दफ्तरों में इस बीच टाइम की पाबन्दी होने लगी है, लोग दफ्तर समय से आने लगे हैं। हमारी चिट्ठियों का जवाब कुछ जगहों से फौरन मिल जाता है उसके लिये जो भी आप अच्छा काम करेंगे हम आपको बधाइयां देंगे लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो बजट आने वाला है उसमें उसी तरह (detailed) का बजट आये जैसे कि और प्रदेशों में होता है।

अब, एक बात और। हमारे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है और खास कर इस प्रदेश को। बाराहोती, आदि पर हमारी सीमा पर खतरा आने वाला है। मैं सोच रहा था कि यह सरकार सीमा पर जो पंचमांगी काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिये कोई कदम उठायेगी। इस आदरणीय सदन में किसी दूसरे साहब के प्रश्न के सिलसिले में मैंने यह प्रश्न उठाया था कि हमें यह सूचना मिली है कि वहां जब चीन से लोग आते हैं तो कुछ लोग उनको जैसे पाहुन आते हैं वैसे चाय वगैरह पिला कर वापस भेजते हैं, यह नहीं कि उनको पकड़ कर लाते और मुफ्त की कोठी जिसमें कोई किराया नहीं पड़ता है, उसमें उनको आराम से रखा जाता लेकिन ऐसा नहीं किया गया। विदेशी पंचमांगी तो दरकिनार हमारे थोड़े से स्वदेशी लोग ऐसे हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, जिनको कि शौक है कि वे चीन की तरफ या रूस की तरफ मुहब्बत रखें। श्रीमन्, आज वहां पंचमांगियों की मनोवृत्ति इतनी बढ़ गयी है कि मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाऊं कि मुझे ऐसा पता लगा है कि उनको बाकायदा तनख्वाह मिलती है तथा वह तनख्वाह बराबर बढ़ती रहती है। तो इस तरह माननीय मंत्री जी अवश्य ध्यान दें। अगर इस तरह की इनजेंसी हो, तो वैसी हालत में हम रुपया देने को तैयार हैं, लेकिन बजट वाली मदें तो ऐसी हैं जिनके बारे में सरकार पहले से सोच सकती थी और उनके लिये विधान कर सकती थी। कंटिंजेंसी के लिये अनुपूरक अनुदान का ऐसी मदों के लिये कोई विधान नहीं है।

एक बात बहुत कही गयी है कि हमने उत्तराखंड डिवीजन बना दिया और वहां विकास हो रहा है। मैं इस विकास को इस रूप में अवश्य मानता हूं कि वहां सरकार का बहुत ज्यादा रुपया खर्च हो रहा है, कर्मचारियों की तनख्वाहें दुगुनी, डयोढ़ी कर दी गयी हैं, टी० ए०, डी० ए० बढ़ गया है लेकिन काम ज्यों का त्यों ठप पड़ा है। मैं उस P. W. D. Division का नाम लेना ठीक नहीं समझता लेकिन मैं इतना बतला दूं कि सरकार की तरफ से, पी० डब्लू० डी० की तरफ से कुछ डिवीजन इसलिये खोले गये कि वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ विशेष सड़कें बनानी हैं अखबारों में भी यह खबर शाया हुई। लेकिन से कालापानी तक ६ मील की सड़क भारत की सीमा पर की सड़क चीनियों के लिये तो बन गयी लेकिन जो असली चौकी थी उसको उठा कर ३० मील दूर रख दिया गया। मालूम होता है कि भूत-

पूर्व मुख्य मंत्री की तरह ही वर्तमान मुख्य मंत्री को तथा गृह मंत्री को सुरक्षा कार्य में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड से सम्बन्धित कोई मंत्री यहां बैठा नहीं है जिसे उसमें दिलचस्पी होती। यही कारण है कि इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। अकेले उनके मातहत उत्तराखंड हैं, यह जो नया डिवीजन बनाया गया है इसका कोई भौगोलिक आधार नहीं है। उधर डिवीजन की सीमा तिब्बती सीमा से २५ मील पिंडारी ग्लेशियर के ऊपर तक हैं और इधर पूर्व अल्मोड़ा में लेपूलेक से १२५ मील नीचे है। इस तरह से रामेश्वर से पंचेश्वर तक की जगह ले ली गयी है। पर पिंडारी तक की नहीं ली गई। यह सिद्धान्तहीन बात है। सारा पहाड़ी इलाका सीमावर्ती घोषित करने की जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष––ऐसी बात जो गुप्त रखने की जरूरत है उसे यहां कहने के बजाय लिख कर भेज दें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट––लिख कर भेजने पर भी वे लोग नहीं सुनते तो मैं क्या करूं। नई कमिश्नरी के निर्माण के बारे में दलील दी गई थी कि वहां पर जो रेवेन्यू यूनिट थे उन्हीं के आधार पर नये जिले बनाये जायेंगे। यूनिट उसका नहीं तोड़ा जायगा लेकिन रेवेन्यू यूनिट को भी दानपुर में तोड़ दिया गया।

आज करोड़ों रुपये भोटियों को प्रसन्न करने के लिये सरकार खर्च कर रही है लेकिन जो उनके टिकने का पड़ाव है वहां पर सरकार अपनी बिल्डिंग्स बना रही है। सरकार उनको हर तरह से खुश करना चाहती है लेकिन वे खुश होने के बजाय नाराज हो रहे हैं, क्योंकि सरकार ने उनके टिकने की जगह ले ली। वहां के भोटिये कह रहे हैं कि हम कहां जायं ?

हमारे इस पिछड़े इलाके में खोज करने के लिये एक माईनिंग डिपार्टमेन्ट सरकार ने खोला कि वहां जो ताम्बा, सीसा और मैग्नेसाइट की खान हैं उनकी खोज की जाय। कहा जाता है कि उस इलाके में बहुत काफी तादाद में मैग्नेसाइट पाये जाने की उम्मीद है। उसके बहुत से फोटो भी छप चुके हैं और काफी प्रचार किया गया लेकिन अनुपूरक अनुदान में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी खनिज कर्म के लिये, मिनरल रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिये कोई खास योजना नहीं दिखलाई पड़ती है। सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हमारे देश और प्रदेश में कापर (copper) की कितनी कमी है, मैग्नेसाइट की कितनी जरूरत है लेकिन सरकार अपनी तवज्जह उधर नहीं देती। उधर कांग्रेस के ही श्री मोहनसिंह मेहता ने खनिज कर्म सम्बन्धी कुछ काम शुरू किया है। उनको प्रास्पेक्टिव लाइसेंस लेने में जो दिक्कत पड़ती है उसका कुछ कहना नहीं। मैं चाहूंगा कि इस प्रदेश की तरक्की के लिये खनिज कर्म बहुत जरूरी है, उसे फौरन किया जाय।

एक चीज मैं सरकार की उद्योग नीति के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं। सरकार की ओर से इस बात का बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता है कि हम लघु उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं और उनका कहना है कि लघु उद्योगों से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इस में कोई २ राय नहीं हो सकती। सहकारिता का भी बड़ा जोर है और उस पर काफी ध्यान देने की बात कही जाती है लेकिन हो यह रहा है कि बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को तो सरकार मदद देती है और छोटे उद्योग आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं उदाहरण के लिये मैं बताऊं कि बरेली रोजिन एन्ड टरपेंटाइन फैक्टरी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है जब कि वहां जो सरकार का लीसा जाता है उसमें मुनाफा १ रुपया या १, १/२ रुपये मन से अधिक का नहीं होता। जब सरकार ने इस गृह उद्योग की सहकारी समिति बनाई तो उन छोटी समितियों से सन् १९५९ में जब ५,००० मन लीसा दिया गया तो ६८,००० रुपये का मुनाफा हुआ, जब १९५८–५९ में ४,५०० मन लीसा दिया गया तो २०,४४८ रुपये का मुनाफा सरकार को हुआ, सन् १९५७ में ४,००० मन माल दिया गया तो ४१,००० रुपये का मुनाफा हुआ। यानी इसका मतलब यह है कि इन लघु सहकारी उद्योगों को लीसा देने से मुनाफा अधिक हुआ और लोगों को वहां के रोजगार

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

में भी उससे अधिक मिला । आज उनको इतना कम लीसा दिया जाता है कि उनका काम केवल ४ माह के बाद ठप हो जाता है । जो वन समिति सरकार ने बनाई थी उसका भी प्रस्ताव था कि लीसा इन सहकारी समितियों को दिया जाय, लेकिन सरकार यह जो सफेद हाथी बरेली में पाले हैं उसी को सारा लीसा बावजूद विरोध के देती जाती है। केवल थोड़े से बड़े अफसर लोग अपने लाभ के लिये हर गलत चीज को जस्टीफाई करते जाते हैं । सफेद हाथी वह है जो किसी काम का न हो वह बरेली की रोजिन एन्ड टरपेन्टाइन फैक्टरी है । यह जो सहकारिता और लघु उद्योगों की सरकार की तरफ से ढोल पीटी जाती है यह सब एक ढोंग है । जो वहां के लोगों का पुराना उद्योग है उसको वहां से खत्म कर दिया गया । जो वहां के लोगों के वन के हकूक थे वह सब खत्म कर दिये गये । पहले वहां के लोगों का वन से लकड़ी लेने का जन्मजात अधिकार था, लेकिन सरकार ने वहां की सारी लकड़ी स्टार पेपर मिल, सहारनपुर को ७ पैसे क्यूबिक फुट के हिसाब से दे दी । हमने कहा कि इतनी सस्ती क्यों दे दी गई तो कहा गया कि उनको सहारनपुर से ले जाना पड़ता है और हमने उनको केवल २ लाख क्यूबिक फुट ही ७ पैसे के हिसाब से एक्सपेरीमेंट के लिये दी है । उससे वहां कागज बनता है या नहीं मुझे इसमें भी शक है, वह बनता हो या न बनता हो लेकिन बिना इकरारनामा पक्का किये तब से बराबर लकड़ी उस बड़े करोड़पति आदमी को देती जा रही है और ठंडे पहाड़ों के जो बेचारे गरीब रहने वाले हैं उनको आज भी एक रुपया और सवा रुपया मन लकड़ी मिलती है । वहां पर आजकल सर्दी बहुत ज्यादा है, बरफ गिरती है, उनके पास अधिक वस्त्र भी नहीं रहते हैं लकड़ी से ही वह जाड़ा काटते थे, लेकिन उनको आज जलाने को लकड़ी नहीं मिलती और लखपति को सरकार ७ पैसे फुट लकड़ी देती है, इस तरह की भेदभाव की नीति बरती जा रही है ।

वहां की सड़कों के विषय में भी कई बार कह चुका हूं कि अल्मोड़े की सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । धौलछीना-कनारीछीना-गनाई सड़क, पनुवा जौजा-धौलछीना सड़क, शहरफाटक-जैती सड़क, दौड़न-भनोली सड़क, धौलादेवी-खेती-घोलीबाड़ सड़क, कठपुड़िया-तरमौली-मैसिया छाना-आराघाट सड़क, मोतिया-पाथर-कपिलेश्वर सड़क और चितई-भटीगांव सड़क । इन मोटर सड़कों के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं लेकिन कोई काम सरकार की तरफ से नहीं हुआ है जबकि वन विभाग से सरकार को काफी आय होती है । मेरी मांग है इन्हें बनाया जाय । लखनऊ के इकलिपटस ग्रोव में महल बनाने के लिये वन विभाग के पास पैसा है । मगर जहां से आमदनी होती है वहां के लिये नहीं । वह महाअरण्यपाल तो चले गये, चलो इतना अच्छा हुआ मगर अब तो ये सड़कें बनवाइये । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय सदन इसकी राय न दे, यह इखराजात पहले से सोचे जा सकते थे ।

श्री मदन पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने पांच मिनट का वक्त मुझे भी दिया । आज प्रश्नोत्तर काल में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि वे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के संबंध में शिकायत यदि प्राप्त होगी तो जांच करायेंगे, तो मैं इस भाषण के समय सबसे पहला काम यह करता हूं कि उनकी सेवा में यह एक पुस्तिका पेश करना चाहता हूं । जो जांच हुई थी और जिसमें तीन व्यक्ति थे, श्री शिब्बनलाल सक्सेना, संसद सदस्य, स्वयं मैं और एक सदस्य और उनके द्वारा प्रस्तुत, यह पुस्तिका मैं उनकी सेवा में पेश करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, मैंने अभी अपने देश के संविधान की धारा २०५ देखी जिसके अनुसार यह अनुपूरक अनुदान पेश किये जाते हैं । इसमें यह मिला कि यह अनुदान तभी पेश किये जाने चाहिये जबकि कोई नई मद ऐसी पैदा हो जाय जिसको पहले न सोचा गया हो । लेकिन जब मैंने इस बजट को उलट-पलट कर देखा तो कहीं ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ रही है जिसका अनुमान पहले से न किया जा सकता हो । कहीं कोई चीज कोने में छिपी हो तो वित्त मंत्री जी उसे बतलायेंगे ।

फरवरी के प्रथम सप्ताह में जो भयंकर ओला वृष्टि हुई है, मैंने समझा था कि उसके लिये कोई नवीन योजना सरकार के दिमाग में होगी और वह चीज इसमें दिखाई पड़ेगी लेकिन वह

इसमें कहीं दिखाई नहीं पड़ी। माल मंत्री जी ने, जो संयोग से दुर्भिक्ष मंत्री भी हैं उन्होंने बाढ़ के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये उसमें बताया था कि इस वर्ष १९६० में जो बाढ़ आई उसमें ५२ लाख ४८ हजार २२३ एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई। २०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी अगर नुकसान जोड़ा जाय तो लगभग ११–१२ करोड़ रुपये की रकम आती है। यह केवल इस वर्ष ही नहीं बल्कि हर वर्ष की बात है। श्रीमन्, मुझे कोई संतोष नहीं हो रहा है बल्कि इाज्जुब हो रहा है कि इस १२ करोड़ रुपये सालाना के नुकसान को रोकने के लिये कोई स्थाई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है, तथा इसके लिये इस बजट में कोई संकेत नहीं है।

राप्ती और घाघरा जो प्रति वर्ष हमारे ऊपर कहर ढा रही हैं, इनके बारे में भी कोई प्रबन्ध नहीं है। पश्चिमी जिलों में जो सैलाबजदा इलाके हैं उनके लिये भी कोई योजना नहीं है इसमें तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का जो यह अनुपूरक बजट पेश किया गया उसकी क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्रीमन्, इस पुस्तिका के पढ़ने पर मालूम हुआ कि गोरखपुर और मऊ के बिजलीघरों को रिहन्द से सम्बद्ध किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन पता नहीं गोरखपुर शहर की पूर्ति के लिये प्राइवेट कम्पनी पर क्यों सरकार की कृपादृष्टि हो रही है? गोरखपुर शहर जहां पर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस स्थित है उसके केवल एक मील के अन्दर है उनको बिजली सप्लाई उसी पावर हाउस से की जानी चाहिये, लेकिन यह व्यवस्था न होने से शहर के लोग अंधेरे में रहते हैं। सैकड़ों उद्योग खोले जा सकते हैं। लेकिन बिजली उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस बजट में हमें कौन सी नई चीज देखने को मिल रही है जिसकी वजह से १३ साढ़े १३ करोड़ रुपये का जो अनुदान मांगा जा रहा है उसको स्वीकृति दें।

उपाध्यक्ष महोदय, समय के अभाव के कारण अन्य आंकड़ों में मैं नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनायें सरकार के दिमाग में हों तो आने वाले बजट में उसको रखने की कृपा करें।

बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि पुरानी कारों को नीलाम कर दिया जायगा और नई छोटी कारें ली जायेंगी। मैं सुना करता था, पहले जो दल कांग्रेस का यहां पर पदारूढ़ था उसके संबंध में बहुत-से लोग कहते थे के आमतौर से यह रिवाज हो गया है कि पुरानी कारें अपने मुंह लगों को दे दीं जाती हैं कम कीमत पर, और नई कारें खरीद ली जाती हैं। तो छोटी कारों के बहाने जो दस बड़ी कारें बेची जा रही हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इनका ऐडवरटायजमैन्ट होना चाहिये, टेन्डर्स मांगे जाने चाहिये और तब इनकी बिक्री होनी चाहिये ताकि इस प्रकार का सन्देह करने की गुंजाइश ही न रहे।

१० कार जो बड़ी-बड़ी अभी हाल में २,००,००० रु० के ऊपर में खरीदी गई थीं उनकी अनुमानित कीमत केवल १,२५,००० रु० रखी गई हैं। तो जो इकोनामिक मेजर्स है उनका हम स्वागत करते हैं साथ ही मांग भी करते हैं कि इकोनामिक मेजर्स के नाम पर भ्रष्टाचार जो पहले व्याप्त रहा वह फिर से न पनपने पाये इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्तावों का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––माननीय वित्त मंत्री जी, आप साढे तीन बजे तक समय ले सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)––श्रीमन्, मैं तो समझता था कि अनुपूरक अनुदान जब सदन के सामने उपस्थित हों तो अच्छा तरीका यही होता कि उन्हीं अनुदानों के सम्बन्ध में यहां विवाद होता जो पेश किये गये। क्योंकि इसके बाद ही आपके सम्मुख ओरिजीनल बजट दूसरे वित्तीय वर्ष का उपस्थित होगा और उसके जनरल डिस्कशन के समय आप और अन्य बातों पर प्रकाश डाल सकते थे जिनकी चर्चा आज यहां हुई। श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने तो ठीक मेरे अनुमान के मुताबिक ही अपने जितने विचार प्रकट किये, वे अनुदानों के सम्बन्ध में ही थे। लेकिन श्री राजनारायण जी ने, मैं अपनी जगह पर बिल्कुल मुतमईन हूं, शायद आज भवन में आने के पहले

[श्री हरगोविन्दसिंह]

उस पुस्तिका को खोल कर भी नहीं देखा था । क्योंकि सदन में किसी को भी यह भास नहीं हुआ कि उन्होंने इस पुस्तिका का तनिक भी अध्ययन किया था । मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि आपने इस भवन को एक पब्लिक मीटिंग का स्वरूप दे कर इस बजट से असंबंधित बातों का ही अधिक जिक्र किया । आपको यह भी खयाल था कि जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड के जरिये रुपया मांगा जा रहा है वह सचमुच में कहीं से टैक्स लगा कर खर्च हम करना चाहते हैं । अगर गम्भीरता से इसको देखा होगा तो आप आसानी से देख सकते थे कि हम इन अनुदानों को पेश करके सदन से एक पैसा भी मांग नहीं रहे हैं ।

यह बजट १३,५७,८५,९०० रु० का है जिसके बारे में श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने कहा कि इसको देखने से यह पता नहीं चलता कि कौन प्लान आइटम हैं और कौन आउटसाइड प्लान आइटम हैं ? प्लान आइटम जितने हैं वे डेवलपमेंट हेड के अन्दर दिये हुए हैं ओरिजिनल बजट में और यदि वे ओरिजिनल बजट को अपने सामने रख कर इन अनुदानों को देखते तो मालूम होता कि कौन प्लान आइटम हैं और कौन आउटसाइड प्लान आइटम हैं । इसमें भी संकेत कर दिया गया कि यह डेवलपमेंट के हैड का है । तो डेवलपमेंट हेड के प्लान आइटम हैं । मैं समझता हूं वह बजट के बड़े भारी जानकार हैं और शायद भविष्य में कभी कोई सरकार आने वाली हो तो उसके वित्त मंत्री वही होने वाले हैं । ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह होता है कि शेडो कैबिनेट होती है अपोजीशन की और एक वह कैबिनेट होती है जो शासनारूढ़ होती है । वह शेडो केबिनेट के फाइनेन्स मिनिस्टर हैं इसमें शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं ?

श्री राजनारायण---कोलीशन भी होती है । केरल का उदाहरण है ।

श्री हरगोविन्दसिंह---कोलीशन होगी तो आपसे होगी। तो उन प्लान्ड आइटम्स को अगर आप इस तरह से देखें तो यह मालूम होगा कि १३ करोड़ ५८ लाख रुपये की जो डिमांड है उसमें से ४ करोड़ ७६ लाख का प्लान्ड आइटम है और ८ करोड़ ८२ लाख आउटसाइड प्लान का है । जो रुपया हमारे प्लान्ड आइटम्स के अन्दर का है उसके लिये हमको यह आवश्यक नहीं होगा कि कहीं से हम धन ले आयें । उसके लिये हमें किसी धन की आवश्यकता अलग से नहीं होगी । ८ करोड़ ८२ लाख में आप देखेंगे कि १ करोड़ ९६ लाख रुपया सस्पेंस हेड में है । नारायणदत्त जी को सस्पेंड हेड में जो इतना रुपया दिखाया गया है उसके बारे में बड़ी आपत्ति थी। यह बात ठीक है कि पहले यह होता था कि जो चीजें हमको किसी स्कीम को पूरा करने के लिये आवश्यक होती हैं उनको एक जगह रख लिया जाता है यानी वह एक पेपर ट्रान्जेक्शन हो जाया करता है । अब जो चीजें काम में आती जायंगी तो उनकी डिपार्टमेंट से रिकवरी दी जायगी । मुझे वित्त विभाग के अधिकारियों से यह मालूम पड़ा कि उसके रखने का सिस्टम बदल गया है । पहले यह करते थे कि ५ लाख रुपये का सामान है और वहां ४ लाख रुपये का सामान उनको ट्रान्सफर कर दिया गया तो १ लाख रुपया ही रह जाता था और उसमें फर्क केवल १ लाख का ही होता है, लेकिन अब संविधान की रू से या ला कमीशन के हिसाब से यह किया कि उनको पांचों लाख दिखलाना पड़ेगा । इसलिये अगर उसमें रुपया अधिक दिखाई पड़ता है तो वह सेविंग नहीं होती । इसमें से अगर १ करोड़ ९६ लाख आप सस्पेंस में से निकाल दें और जो ऐक्चुअल एक्सपेंडिचर हो गया है उसको रिकवरी में भी दिखा दिया है, तो उसमें कोई खर्चा नहीं होता वह रिकवरी हो गई । इस तरह से अगर १ करोड़ ९६ लाख, ८ करोड़ ८२ लाख रुपये में से निकाल दिया तो ६ करोड़ ८६ लाख रुपया बचा । अब हम समझते हैं कि इसमें २ करोड़ की ग्रान्ट्स या कांट्रिब्यूशन हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से मिलेगा तो ६ करोड़ ८६ लाख में से २ करोड़ निकाल दें तो ४ करोड़ ८६ लाख बचा । ४ करोड़ ८६ लाख रुपया जो है उसमें तो अभी हमको यह पता नहीं है कि कितनी सेविंग्स होंगी लेकिन हमारा खयाल यह है कि यह सब सेविंग्स से मीट हो जायगा । दूसरे मैं यह समझता हूं कि शायद आने वाले दिनों में हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से इन्कम-टैक्स का कंट्रीब्यूशन कुछ ज्यादा मिले । तो इस तरीके से हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है

कि हम जो १३ करोड़ ५८ लाख रुपया सदन से मांग रहे हैं वह कहीं से हमको लेना पड़ेगा, पैसा हमारे पास है । तो अगर इस रूप में सप्लीमेंटरी डिमांड को आप देखें तो मुझे यह कहना पड़ेगा कि जैसे टोकेन ग्रान्ट्स होती है उस रूप में आपके सम्मुख यह है । चन्द्रजीत जी ने भी कहा, राजनारायण जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि इतना रुपया किस लिये लिया जा रहा है । तो यह तो आपने बजट में प्रोवाइड कर रखा है, इसमें कोई टैक्स लगाने की बात नहीं है ।

यह कहा गया कि सप्लीमेंटरी बजट पेश करने का अर्थ यह हुआ कि ओरिजिनल बजट बनाते समय या उसको सदन के सामने पेश करते समय हममें इतनी दूरदर्शिता नहीं थी कि हम उन सब चीजों को पहले ही जान लेते और उसके न होने के कारण ही यह सप्लीमेंटरी बजट सदन के सामने उपस्थित करना पड़ा। एक डेवलपिंग एकोनामी में जहां इतने विकास के कार्य हो रहे हों यह नामुमकिन है कि कोई भी बजट बनाने वाला यह पहले ही से समझ ले कि हमको इतनी आवश्यकता पड़ेगी । उस वक्त जितना भी कोई समझ पाता है वह तो रखता ही है ओरिजिनल बजट में लेकिन उसमें कमी भी हो सकती है और ज्यादती भी हो सकती है । कमी होती है तो और पूरा करना पड़ता है और ज्यादती होती है तो सेविंग हो जाती है या और कई कारण से भी सेविंग हो जाती है। इसलिये हर कांस्टीट्यूशन में यह प्रोवाइडेड है कि अगले साल का बजट पेश करने से पहले पिछले वर्ष के बजट में जो कमी आये उसके लिये सप्लीमेंटरी डिमान्ड्स हाउस के सामने आ जायं । कहना तो बड़ा आसान है लेकिन हम और आप अपने घर का नहीं बता सकते कि साल में हमारे घर में कितना खर्च हो जायगा । फिर इतनी बड़ी स्टेट का जहां का १३०–१४० करोड़ का बजट बनता है वहां यह कैसे सम्भव हो सकता है कि पहले से ही समझ लिया जाय कि क्या क्या खर्चे होंगे । लिहाजा यह आपत्ति करना कि आप में दूरदर्शिता कम है, मैं ठीक नहीं समझता।

१३ करोड़ ५८ लाख रुपये का अगर ब्रैक-अप देखें तो मैं बता रहा था कि इसमें ४ करोड़ ७६ लाख के प्लान्ड आइटम्स हैं और ८ करोड़ ८२ लाख के नान-प्लान्ड आइटम्स हैं। अब नान-प्लान्ड आइटम्स में आप देखें कि हमारा प्रदेश इस माने में बड़ा अभागा रहा है कि जैसी बाढ़ यहां आयी शायद ही वैसी बाढ़ हिन्दुस्तान के किसी अन्य प्रदेश में आई हो। अब यह फोरसी कर लेना पहले से कि इतनी बाढ़ आयेगी, उसमें इतनी क्षति पहुंचेगी, इतना नुकसान होगा, यह नहीं समझा जा सकता था। इस कारण इसका ब्रेक-अप सुना दूं कि ८ करोड़ ७० लाख का ब्रेक अप किस तरह से है। इसमें से १४१.६७ लाख रुपया फेमिन रिलीफ फंड का है। फेमिन रिलीफ फंड के बारे में माननीय नारायणदत्त जी ने यह कहा कि इसके स्थाई कोष में हमेशा ९५ लाख रुपया रहना चाहिये । उनकी दलील भी ठीक है । जहां फेमिन रिलीफ ऐक्ट में यह है कि इसके स्थाई कोष में हमेशा ९५ लाख रुपया रहना चाहिये वहां मुझे यह भी बताया गया कि यह भी है कि यदि आवश्यकता पड़े तो इसमें ज्यादा भी होना चाहिये और कम भी हो सकता है। लेकिन इस बात की कोशिश जरूर होनी चाहिये कि इसमें ९५ लाख रुपया रहे । यह तभी रह सकता है कि जब आप इसमें ९५ लाख रुपये से ज्यादा रखें क्योंकि जब कोई कैलेमिटी आयेगी और इसी में से खर्च करना है तब तो स्थाई कोष में हमेशा इतना रुपया नहीं रह सकता है । उसमें अवश्य कमी हो जायगी । इसी-लिये आवश्यकता यह होती है कि इस फंड में हम अधिक से अधिक रुपया जमा करते जायं जिससे किसी कैलेमिटी के आने पर हमारे पास इतना धन उपलब्ध हो जिससे लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचा सकें ।

मैंने नारायणदत्त जी के कहने पर विभाग से विवरण मंगाया । उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट आफ इंडिया भी चाहती है कि इसमें कम से कम ५० लाख रुपया जमा करते जायं और हमने जमा भी किया। १९५७–५८ में हमने १६ लाख, १९५८–५९ में ५० लाख और १९५९–६० में एक करोड़ रुपया जमा किया। जहाँ तक विभाग का सम्बन्ध है, हम जानते हैं है कि यही एक ऐसा कोष है जिससे आपत्ति काल में हम लोगों की सहायता कर सकते हैं। इसलिये यह कहना कि गवर्नमेंट इस ओर से इनडिफरेंट है, इसके महत्व को नहीं जानती है या कुछ नहीं करती है, ऐसी बात नहीं है। हम इससे जमा करते जा रहे हैं। इसलिये इस कारण से भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। ८ करोड़ ७० लाख में से १४१.६७ लाख

[श्री हरगोविन्दसिंह]

फेमीन रिलीफ फंड का है। १९६.५० लाख रुपया ससपेंस हेड का है। जो केन्द्रीय सरकार के लोन्स वगैरह हैं उनके सूद का १८६ लाख रुपया रखा गया है कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को डीअरनेस एलाउंस दिया गया पहली अप्रैल से और लोकल बाडीज के भी थे उसमें, तो यह पहले बजट में नहीं था। इसके लिए बहुत सी ग्रान्ट्स थीं और उनमें १२२ लाख रुपया रखा गया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट में बहुत से नये रूट्स लिए गए स्टाफ बढ़ा, उनको प्राविडेंड फंड दिया गया, कुछ गाड़ियों में खर्च हुआ होगा, और यह एक पेइंग डिपार्टमेन्ट भी है, उसके लिए ८० लाख ५० हजार दिया गया। पुलिस के निस्बत आपत्ति की गई। उसमें ८४·९९ और एजूकेशन में ५७·४१ इतना रेवेन्यू एक्सपेंडीचर का है। यह ८७० लाख का तोड़ मैंने आपको बतलाया।

कैपिटल एक्सपेंडीचर इसमें है ४४३ लाख का। उस ४४३ लाख में ४३० लाख तो प्लान का है और १३ लाख है आउट साइड प्लान। ४३० लाख जो प्लान का है उसमें ४०५ लाख तो सस्पेंस हेड का है। वह सस्पेंस हेड में क्यों रकम ज्यादा हो गई इसको तो मैंने स्पष्ट किया था कि इस वजह से वह हुई। उसका तो सिस्टम ही ऐसा है, ग्रास बजटिंग सिस्टम है। पहले तो खाली डिफरेंस उसमें बजट कर देते थे। अब पूरा दिखला दिया है। १५ लाख--एक मझोली शुगर फैक्टरी है जिसमें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया भी शेयर कर रही है, उसके शेयर खरीदे गए हैं और १० लाख--एक नेशनल प्रोजेक्ट कांस्ट्रक्शन लिमिटेड है, उसका है। तो यह तो प्लान का मैंने बतलाया। और १३ लाख रोडवेज की बसेज की परचेज इत्यादि का है। तो इस तरह से ४४३ लाख का जो आइटम है उसका तोड़ तो यह है।

लोन्स ऐंड ऐडवांसेज में १८३ लाख रुपया है। इसमें १३८ लाख सेविंग से आ जायगा। केवल ४५ लाख रुपये की यहां पर डिमांड की जाती है और उस ४५ लाख में २५ लाख रुपया स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को देने के लिए है और २० लाख रुपया ऐडीशनल तकावी वगैरह के सम्बन्ध में है। तो १८३ का यह तोड़ है। इस तरह से आप यह देखेंगे श्रीमन्, कि इस बजट में हम किसी नयी चीज के लिए कोई नया कार्य या नयी स्कीम चलाने के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। हां, तिवारी जी ने एक बात कही थी कि कहीं कोई क्वार्टर्स के कांस्ट्रक्शन हो रहे हैं और उसके लिए १०० रुपये की टोकेन ग्रान्ट मांगी गई। इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेन्ट यह जानता नहीं कि उसमें कितना खर्च होगा। बात ठीक कही उन्होंने। जब तक कि उसका नक्शा न बन जाय उसके पूरे एस्टीमेट्स न बन जायं तब तक यह अन्दाजा करना मुश्किल है कि इन क्वार्टर्स में कितना रुपया लगेगा। उस स्कीम में और कुछ हो भी नहीं रहा है। टोकेन ग्रान्ट जहां मांगी जाती है बजट में वहां उसका अर्थ ही यह होता है कि स्कीम हाउस से अप्रूव करा ली जाय एक रुपये या १०० रुपये की ग्रान्ट की तहत में जिसमें कि उस पर काम शुरू हो सके। यह सौ रुपया जो टोकेन मांगा गया है उस स्कीम में अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो उसमें लैंड ऐक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स होंगी। फिर उसका एस्टीमेट बनेगा। तो सौ रुपया जो टोकेन मांगा गया है वह इसीलिये कि हाउस इस बात को अप्रूव कर दे, इस पर अपना मत दे दे कि वह स्कीम चलायी जाय। इसलिये यह टोकेन मांगा गया है। इसलिये यह बात ठीक है कि वह १०० रुपये का टोकेन इसलिये मांगा गया है कि यह बजट बनाने का एक तरीका है और उसी तरीके के तहत में यह १०० रुपये का टोकेन मांगा गया है।

सेविंग के बारे में तिवारी जी ने कहा था कि इतनी सेविंग डिपार्टमेन्ट में हो गई है और उससे यह मालूम होता है कि डिपार्टमेन्ट का बजट बनाने का तरीका गलत है या उनको अपनी स्कीम्स का अनुमान नहीं है या यह उनको मालूम नहीं है कि कितना रुपया उस पर खर्च होगा, इसलिये इतनी बड़ी सेविंग हो गई। यह तिवारी जी का कहना

था । वह सेविंग क्यों इतनी बड़ी दिखाई पड़ती है, वह इस वजह से दिखाई पड़ती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पहले उसका तरीका यह था कि जब यह एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना तो जितने हमारे पास एलेक्ट्रिसिटी विभाग के एसेटस थे वह सब बोर्ड को ट्रान्सफर कर दिये गये और बजट में उनको लोन के रूप में दिखाने का तरीका है । फिर जब वह यूटिलाइज हो जाते हैं तब वह डेबिट साइड से क्रेडिट साइड में लाकर अपने लोन के रूप में कर लिये जाते हैं । तो उसमें यह हुआ कि जितना लोन हमने दिखाया यह ट्रान्सफर एसेटस करने पर जब ए० जी० के यहां यह चीज गई तो वहां से २ करोड़ का डिफरेन्स हो गया । हमने मांगा था ६,८८,७५६ लेकिन वहां से ६,५९,१८३ हो गया जिसके कारण १९५ हजार का डिफरेन्स हो गया। इस वजह से वह सेविंग दिखाई पड़ती है.....

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह फिगर करोड़ में है ।

श्री हरगोविन्दसिंह---यह लाख में है या करोड़ में है यह आप समझ गये होंगे।

कारों के बारे में कहा गया कि कारें खरीद ली गईं । यहां पर गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई यह नहीं समझता कि छोटी कार खरीद लेने पर कितनी बड़ी बचत हो गई कि अब और कहीं बचत करने की गुन्जायश नहीं है । हमारे मुख्य मंत्री जी ने बराबर यह कहा है कि वह बचत चाहे जो भी हो, लेकिन उसके पीछे जो मनोभावना है वह उससे व्यक्त होती है । उस फिगर को मैंने देखा है और सब लोग देख सकते हैं जो ग्रान्ट नम्बर १३ में है । हम यह समझते हैं कि जो बड़ी-बड़ी कारें हैं वह १,२५,००० रुपये में बिकेंगी और १,१०,००० रुपये में ९ कारें खरीदी जायगीं तो इसमें १५ हजार रुपये की बचत हो गई । प्रश्न यह है कि बचत तो उसमें होती ही है । अगर हम कार के दामों की बचत का सवाल छोड़ भी दें तो जो उसके मेन्टीनेन्स में बचत होती है उस तरफ भी तो हमें सोचना चाहिये । छोटी कारों के मेन्टीनेन्स में बड़ी कारों की अपेक्षा काफी कम खर्च बैठता है । फिर सबसे बड़ी बात तो यह कि इससे यह प्रतीत होता है कि हमलोग बचत की ओर प्रयत्नशील हैं और इस बात का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि जहां भी हो कम से कम खर्चा किया जाय कार्य को बिना कम किये हुये । एफीसिएन्सी को बढ़ाते हुये खर्चे में जहां भी कुछ कमी हो सकती है हम उसको बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं । जब हम इस तरह से स्वयं बचत करके जनता के सामने एक उदाहरण पेश करेंगे तभी हम भवन के सामने आकर और जनता के सामने जाकर अपने विकास के कार्यों के लिये और धन की मांग कर सकते हैं ।

जहां तक पुरानी कारों का संबंध है मैं जानता नहीं पर मैं समझता हूं उसमें ऐसी कारें भी जरूर होंगी जो एक साल बाद या ६ महीने बाद ही खराब हो जायेंगी। तो छोटी कारों का बड़ी कारों के स्थान पर खरीदा जाना इस बात का सबूत है कि हम बचत की ओर बढ़ रहे हैं ।

जहां तक बंगलों में रहने का प्रश्न है, हम में से बहुत से ऐसे हैं जो बंगलों में नहीं रहे हैं, लेकिन पक्के मकानों में तो रहे ही हैं । रहने के लिये मकान तो चाहिये ही। इस ओर भी हमने बचत की है । बड़े-बड़े बंगलों में जिनका, काफी भारी किराया हमको देना पड़ता था, हमने दफतरों को कायम किया है और छोटे बंगलों में रहना उचित समझा है । इससे भी काफी बचत होगी ।

तो यह सब बचत को देखते हुये, विरोधी दल की तरफ से इतना तो आना ही चाहिये था या कि हमने यह यह कार्य सराहनीय किये हैं । हम कोई अच्छा कार्य करें वह

[श्री हरगोविन्दसिंह]

भी निन्दनीय है उसकी भी निन्दा की जाय यह बात मेरी समझ में तो आती नहीं। एक के बाद एक माननीय सदस्य यही बोलते रहे कि यह दिखावा है। मैं कहता हूं कि अगर यह सरकार दिखावे के लिये ही कुछ बचत करे तो वह भी लाखों में होगी और अगर हम १४० करोड़ के बजट में एक करोड़ या ५० लाख की भी बचत कर लेते हैं तो यह हमारे लिये गौरव की बात होगी। कम से कम विरोधी पक्ष को इतना तो मानना ही चाहिये कि यह सरकार खर्चे में कमी की ओर अग्रसर है। मैंने ऐसी राजनीतिक कटुता कभी नहीं देखी कि अच्छा भी काम करें तो इस वजह से कि आप उधर बैठे हुए हैं, हम इधर बैठे हुए हैं, आपकी तरफ से हमारे अच्छे काम की प्रशंसा न हो।

श्री मदन पांडेय---विरदावली उधर के लोग ही गावेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह---तो आप झूठ भी कह सकते हैं? यह किसी राजनीतिक दल के लिए शोभा की बात नहीं है।

श्री मदन पांडेय---श्रीमन्, यह "झूठ" शब्द जो इस्तेमाल हुआ है यह पार्लियामेंटरी है?

श्री हरगोविन्दसिंह---अनपार्लियामेंटरी है तो वापस ले लेता हूं, आपका अपमान करना, यह मेरा मतलब नहीं था।

श्री मदन पांडेय---मैंने आपको ऐड्रेस किया है न कि मंत्री जी को!

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने वापस ले लिया, अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरगोविन्दसिंह---हम अगर कोई प्रशंसनीय कार्य करें तो वह हमारा ही कार्य होगा, दूसरे राजनीतिक दल का नहीं होगा, यह तो हिन्दुस्तान में ही राजनीतिक दलों के लिए हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---हमने तो प्रशंसा की थी।

श्री हरगोविन्दसिंह---आपने भी खर्चे की कमी की प्रशंसा नहीं की। इस बात की की कि अब आपके यहां से जवाब जल्दी मिल जाया करते हैं। श्री राजनारायण ने तो यहां रानीखेत का एलेक्शन भी ला दिया। यह मेरी समझ में नहीं आया कि बजट के किस अनुदान में वह था। उन्हें ऐसी खबर भी मिल जाया करती है कि वहां उनका कैंडीडेट बन्द है। अगर ऐसा ही कैंडीडेट है जो बन्द किया जा सकता है तो उसको अच्छा ही है कि आप ही बन्द कर लीजिये।

श्री राजनारायण---जैसा कि आपने श्री गोविन्दसिंह मेहरा को किया।

श्री हरगोविन्दसिंह---इसलिये इन थोड़े शब्दों के साथ मैं आपके जरिये माननीय सदन से प्रार्थना करूंगा कि यह अनुदान स्वीकार कर ले।

श्री उपाध्यक्ष---अब इसके बाद प्रत्येक माननीय मंत्री ग्रांट पेश करेंगे और मैं उस पर मत ले लूंगा, कोई भाषण या कटौती का प्रस्ताव वगैरह नहीं होगा।

१९६०–६१ के द्वितीय पूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—लेखा शीर्षक: ४—निगमकर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर कर

न्याय मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—बृहत जोत कर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक : ४—निगम कर और संपत्ति शुल्क को छोड़ कर आय पर कर के अन्तर्गत १,२७,००० रुपये की अनुपूरक मांग १९६०–६१ के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—वृहत जोत कर की उगाही पर व्यय—लेखा शीर्षक : ४—निगम कर और सम्पत्ति शुल्क को छोड़कर आय पर कर के अन्तर्गत १,२७,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—११३,
विपक्ष में—१० ।)

अनुदान संख्या २—लेखा शीर्षक ७—भू-राजस्व

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व—लेखा शीर्षक : ७—भू-राजस्व के अन्तर्गत १०,९०,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व—लेखा शीर्षक : ७—भू-राजस्व के अन्तर्गत १०,९०,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में —१२१ ,
विपक्ष में—५ ।)

अनुदान संख्या ३—लेखा शीर्षक ८—राज्य आबकारी

आबकारी मन्त्री (डाक्टर सीताराम)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी—लेखा शीर्षक : ८—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ३८,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३—राज्य आबकारी—लेखा शीर्षक: ८—राज्य आबकारी के अन्तर्गत ३८,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१२२ ‘
विपक्ष में—६ ।)

अनुदान संख्या ५—लेखा शीर्षक : १०—वन

वन मन्त्री (श्री अलगूराय शास्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक : १०—वन के अन्तर्गत २०,६८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५—वन—लेखा शीर्षक : १०—वन के अन्तर्गत २०,६८,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ६—लेखा शीर्षक : ११—निबन्धन

शिक्षा उपमन्त्री (श्री रामस्वरूप यादव)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ६—निबंधन—लेखा शीर्षक : ११—निबन्धन के अन्तर्गत ३५,००० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६—निबन्धन, लेखा शीर्षक : ११—निबन्धन के अन्तर्गत ३५,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ८—लेखा शीर्षक : १२-क—बिक्रीकर

श्री रामस्वरूप यादव—राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ८—बिक्री-कर के सम्बन्ध में व्यय—लेखा शीर्षक : १२-क—बिक्री-कर के अन्तर्गत १,३४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ८—बिक्री-कर के सम्बन्ध में व्यय—लेखा शीर्षक १२-क—बिक्री कर के अन्तर्गत १,३४,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न-लिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—११९,

विपक्ष—में ६।)

अनुदान संख्या १०—लेखा शीर्षक : १७, १८ और १९-ख—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—मान्यवर, राज्यपाल महोदय, की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं हैं)—लेखा शीर्षक : १७, १८ और १९–ख के अन्तर्गत २,०८,६९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०–६१ क लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक : १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत २,०८,६९,७०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--११९,

विपक्ष--में ६१।)

अनुदान संख्या ११--लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८--सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय

श्री राममूर्ति--उपाध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११--सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय--लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत २२,३६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११--सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय--लेखा शीर्षक: १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत २२,३६,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२--लेखा शीर्षक: १८--अभियन्त्रण (इन्जीनियरिंग) संस्थायें

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२--अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें--लेखा शीर्षक: १८ के अन्तर्गत ५५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२--अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें--लेखा शीर्षक: १८ के अन्तर्गत ५५,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १३--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन पर व्यय

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३--सामान्य प्रशासन पर व्यय--लेखा शीर्षक: २५-सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ११,२१,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३--सामान्य प्रशासन पर व्यय--लेखा शीर्षक २५--सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ११,२१,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और किसी के 'हां' न कहने पर जब श्री उपाध्यक्ष ने उधर सरकारी पक्ष का ध्यान आकृष्ट किया तब श्री राजनारायण ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया।)

श्री उपाध्यक्ष---'हां,' कितने सदस्यों ने कहा यह स्पष्ट नहीं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं यहां एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि जब आप कहें कि जो सदस्य इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें और जब कोई 'हां' न बोले, फिर इसके बाद आप संकेत करें कि किसी ने 'हां' नहीं कहा--- तो संसदीय परम्परा इस बात की अपेक्षा नहीं करती कि आप यह कहें । किसी माननीय सदस्य का आपके लिये यह कहना कि आपने सुना नहीं यह आपके ऊपर लांछन है मैं समझता हूं कि ऐसा उनको कहना नहीं चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---जहां तक सुनने की बात है, मैं समझता हूं कि आवाज बड़ी अस्पष्ट थी । ऐसा नहीं था कि किसी ने 'हां' न कहा हो ।

श्री राजनारायण---तो मेरी मांग विभाजन की है ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३---सामान्य प्रशासन पर व्यय-लेखा शीर्षक: २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत ११,२१,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ ---

पक्ष में ---१२४,

विपक्ष में ---६ ।)

अनुदान संख्या १४---लेखा शीर्षक : २५---सामान्य प्रशासन

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन के सम्बन्ध में व्यय---लेखा शीर्षक: २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४---आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन के सम्बन्ध में व्यय---लेखा शीर्षक: २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १६---लेखा शीर्षक : २७---न्याय प्रशासन

श्री रामस्वरूप यादव---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १६---न्याय प्रशासन---लेखा शीर्षक: २७---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १०,०३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १६---न्याय प्रशासन---लेखा शीर्षक: २७---न्याय प्रशासन के अन्तर्गत १०,०३,५०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ:---

पक्ष में---१२८,

विपक्ष में---६ ।)

अनुदान संख्या १७--लेखा शीर्षक: २८--जेल

डाक्टर सीताराम--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७--जेल--लेखा शीर्षक: २८--जेल के अन्तर्गत ४,०६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७--जेल--लेखा शीर्षक : २८--जेल के अन्तर्गत ४,०६,६०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१३०,

विपक्ष में--६।)

अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक: २९--पुलिस

श्री रामस्वरूप यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--पुलिस--लेखा शीर्षक: २९--पुलिस के अन्तर्गत ८४,९८,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिय स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--लेखा शीर्षक: २९--पुलिस के अन्तर्गत ८४,९८,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१३०,

विपक्ष में--६।)

अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक : ३७--शिक्षा

श्री रामस्वरूप यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक: ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ५७,४१,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक: ३७--शिक्षा के अन्तर्गत ५७,४१,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक : ३८--चिकित्सा

सार्वजनिक निर्माण उप मन्त्री (श्री धर्मसिंह)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २१--चिकित्सा--लेखा शीर्षक: ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत २,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--चिकित्सा--लेखा शीर्षक: ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत २,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २२--लेखा शीर्षक : ३९--जन स्वास्थ्य

श्री धर्मसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२--जन-स्वास्थ्य--लेखा शीर्षक: ३९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२--जन-स्वास्थ्य--लेखा शीर्षक: ३९--जन-स्वास्थ्य के अन्तर्गत ९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २३--लेखा शीर्षक : ४०--कृषि सम्बन्धी विकास अभियन्त्रण और शोध

श्री रामस्वरूप यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३--कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और शोध--लेखा शीर्षक: ४०--कृषि के अन्तर्गत ११,२२,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३--कृषि सम्बन्धी विकास, अभियंत्रण और शोध--लेखा शीर्षक: ४०--कृषि के अन्तर्गत ११,२२,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २५--लेखा शीर्षक : ४१--पशु-पालन

श्री रामस्वरूप यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५--पशु-पालन--लेखा शीर्षक : ४१--पशु-पालन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५--पशु-पालन--लेखा शीर्षक : ४१--पशु-पालन के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २७--लेखा शीर्षक : ४१ और ८१--क--विद्युत योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७--विद्युत योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय--लेखा शीर्षक : ४१ और ८१-क के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७--विद्युत योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय--लेखा शीर्षक: ४१ और ८१-क के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २९--लेखा शीर्षक: ४३--उद्योग

सूचना उप मन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २९--उद्योग--लेखा शीर्षक:४३--उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्षा १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २९--उद्योग--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक: ४७--परिवहन विभाग

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३१--परिवहन विभाग--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत ८०,०७,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--परिवहन विभाग--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत ८०,०७,००० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण विभाग

श्री रऊफ जाफरी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३२--सूचना निदेशालय--लेखा शीर्षक: ४७--प्रकीर्ण के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२--सूचना निदेशालय--लेखा शीर्षकऽ: ४७--प्रकीर्ण विभाग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य तथा ५०--क--राजस्व से वित्त पोषित किये जाने वाले नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

श्री धर्मसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य तथा ५०-क--राजस्व से वित्त पोषित

[श्री धर्मसिंह]

किये जाने वाले नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य तथा ५०--क--राजस्व से वित्त पोषित किये जाने वाले नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३७--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य

श्री रामस्वरूप यादव--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३७--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ५,४३,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३७--नागरिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक: ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत ५,४३,३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८--लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि

श्री रामस्वरूप यादव--उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता--लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि में संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ७०,६७,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८--दुर्भिक्ष सहायता--लेखा शीर्षक: ५४--दुर्भिक्ष और दुर्भिक्ष सहायता निधि में संक्रमित धनराशि के अन्तर्गत ७०,६७,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक: ५४--क--प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें

श्री मुजफ्फर हसन--उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३९--प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा शासकों के सम्बन्धियों और सेवकों के भत्ते --लेखा शीर्षक: ५४--क--प्रादेशिक और राजनीतक पेंशनें के अन्तर्गत ९१,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा शासकों के सम्बन्धियों और सेवकों के भत्ते--लेखा शीर्षक: ५४--क--प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें के अन्तर्गत ९१,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१---लेखा शीर्षक: ५६---लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अवमूल्यन

श्री रऊफ जाफरी---उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१---लेखन सामग्री और मुद्रण---लेखा शीर्षक: ५६---लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अवमूल्यन रक्षित निधि, राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत ३,११,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१---लेखन सामग्री और मुद्रण---लखा शीर्षक: ५६---लेखन सामग्री और मुद्रण तथा अवमूल्यन रक्षित निधि, राजकीय मुद्रणालय के अन्तर्गत ३,११,२०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२---लेखा शीर्षक : ५७---प्रकीर्ण व्यय

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४२---प्रकीर्ण व्यय---लेखा शीर्षक: ५७---प्रकीर्ण के अन्तर्गत ३,७०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२---प्रकीर्ण व्यय---लेखा शीर्षक: ५७---प्रकीर्ण के अन्तर्गत ३,७०,४०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४---लेखा शीर्षक : ५७---प्रकीर्ण

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४---समाज कल्याण---लेखा शीर्षक: ५७---प्रकीर्ण के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरकमांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४---समाज कल्याण लेखा शीर्षक: ५७---प्रकीर्ण के अन्तर्गत ३०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४७---लेखा शीर्षक: ६८---सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

श्री राममूर्ति---उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४७---राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण-कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)---लेखा शीर्षक: ६८---सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत १,५०,७२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४७--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक: ६८--सिंचाई, नौचालान, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत १,५०,७२,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४९--लेखा शीर्षक: ७२--औद्योगिक विकास

श्री रऊफ जाफरी--उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९--औद्योगिक विकास--लेखा शीर्षक: ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९--औद्योगिक विकास--लेखा शीर्षक: ७२--औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत २५,००,००० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५०--लेखा शीर्षक: ८१--निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत

श्री धर्मसिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५०--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत-लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५०--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत --लेखा शीर्षक: ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत १,८०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक: ८१--क--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत लेखा शीर्षक: ८१-क के अन्तर्गत २,५४,१७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत-लेखा शीर्षक: ८१-क के अन्तर्गत २,५४,१७,९०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

५२--लेखा शीर्षक: ८२--कृषि अभियंत्रण सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

अनुदान संख्या ५२--लेखा शीर्षक: ८२--कृषि अभियन्त्रण सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत

श्री मुजफ्फर हसन--उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२-कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत--लेखा शीर्षक: ८२--राजस्व लेखे के बाहर दसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ११,७३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२--कृषि अभियन्त्रण सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत-लेखा शीर्षक: ८२-राजस्व लेखे के बाहर दूसरे निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत ११,७३,१०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५३--शेखा शीर्षक: ८३--निवृत्ति वेतनों की संराशि का भुगतान

श्री हरगोविन्द सिंह--उपध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३--निवृत्ति वेतनों (पेशनों) की संराशि लेखा शीर्षक: ८३--निवृत्ति (वेतनों) की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३--निवृत्ति वेतनों (पेशनों) की संराशि -लेखा शीर्षक: ८३--निवृत्ति (वेतनों) की संराशि का भुगतान के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ५५--लेखा शीर्षक:-त--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम

श्री हरगोविन्दसिंह--श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५--ब्याज वाले ऋण और अग्रिम-लेखा शीर्षक:-त-राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ४५,२६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५--व्याज वाले ऋण और अग्रिम-लेखाशीर्षक: त- राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत ४५,२६,१०० रुपये की अनुपूरक मांग, वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१

वित्त मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने की सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो वित्त मंत्री जी अनुज्ञा मांग रहे हैं, सदन उसकी अनुज्ञा न दे और उसके कारण मैं आगे यदि मौका मिल जायगा तो बता दूंगा। मैं इस समय आदरणीय सदन से आग्रह करूंगा और निवेदन करूंगा कि उनको अनुज्ञा यदि सदन देता है तो वह अपनी जिम्मेदारी को जरा समझ लें।

(इस समय ४ बजकर २१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

क्योंकि पहले की सरकार ने जिस प्रकार से खर्चा किया है, जिस प्रकार से राजस्व की प्राप्तियां की गई हैं, जिस प्रकार से राजस्व के व्यय किए गये हैं उनको देखा जाय तो माननीय वित्त मंत्री जी तो बड़े अध्ययनशील हैं और पढ़ते भी हैं, मैं उनके संबंध में यह कभी नहीं कह सकता कि वह पढ़ते नहीं, अवश्य पढ़ते हैं, मगर एक शंका हमको अवश्य है कि बहुत से लोग पढ़ते तो हैं मगर पढ़कर के समझने में कुछ उनको परेशानी होती है। तो इसी को देखा जाय जो कि विनियोग लेखे का एक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन है, इस प्रतिवेदन में स्वतः ही यह स्पष्ट किया गया है कि १९५७-५८ का जो आलोच्य वर्ष है उसमें ९६·६६ करोड़ यह तो राजस्व की प्राप्ति है और १०८.३३ करोड़ व्यय है। इस प्रकार से ११.६७ करोड़ का घाटा है। मगर वर्ष का अन्त आते आते १०४.९३ करोड़ की प्राप्ति और ९९.४२ करोड़ का खर्चा हो गया यानी ५ करोड़ के ऊपर बचत हो गई। तो मेरा निवेदन श्रीमन्, इतना ही है....

श्री अध्यक्ष---देखिए, यह व्यौरे में जाने का समय नहीं है, क्योंकि यह बातें तो जब आगे उस पर बिचार होगा तब भी आप कह सकते हैं।

श्री राजनारायण---तो हम यही कह रहे हैं कि अनुज्ञा पर ही क्यों न चोट पहुंचावें? हम चाहते हैं कि अनुज्ञा ही न दी जाय। इसलिये मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन कर रहा हूं सादर साग्रह कि यह सदन इस सरकार को इस अनुपूरक बजट की मदों को पेश करने की और उसके अनुसार खर्च करने के लिये विनियोग विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा न दे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१४७,

विपक्ष में---७।)

श्री हरगोविन्दसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ क्षण के बाद)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न यह है कि यह जो बिल पेश हो रहा है यह आपने राज्यपाल की आज्ञा से प्रस्तुत नहीं किया। मैं आपका ध्यान संविधान की धारा २६० की ओर दिलाना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—राज्यपाल महोदय की आज्ञा आ गई है।

श्री प्रतापसिंह—उन्होंने कहा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—वह आज्ञा मेरे पास आ गई है और अबकी बार वह कह देंगे। अब इसमें किसी संशोधन की सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इस पर उन्होंने एतराज किया है तो इस पर राय फिर से ली जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—मैं फिर राय ले लेता हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, २, ३, अनुसूची प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१

३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि राज्य की संचित निधि में से ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार दिया जाय;

अतएव, भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग १३,५७,८५,९०० रु० (तेरह करोड़ सतावन लाख पचासी हजार नौ सौ रुपए) होता है, अधिक न हो। — उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष १९६०-६१ के लिये १३,५७,८५,९०० रु० का दिया जाना

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च, १९६१ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं। — विनियोग

अनुसूची

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२	रु०	रु०	रु०
१	वृहत जोत कर की उगाही पर व्यय ..	१,२७,०००	..	१,२७,०००
२	भू-राजस्व (मालगुजारी)	१०,९०,७००	..	१०,९०,७००
३	राज्य आबकारी ..	३८,१००	२,६००	४०,७००
५	वन ..	२०,६८,३००	१००	२०,६८,४००
६	निबन्धन (रजिस्ट्रेशन)	३५,०००	..	३५,०००
८	बिक्री-कर के संबंध में व्यय	१,३४,०००	..	१,३४,०००
१०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण--कार्य	२,०८,६९,७००	..	२,०८,६९,७००
११	सिंचाई अधिष्ठान पर व्यय	२२,३६,५००	..	२२,३६,५००
१२	अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) संस्थायें ..	५५,४००	..	५५,४००
१३	सामान्य प्रशासन पर व्यय ..	११,२१,९००	१,०३,८००	१२,२५,७००
१४	आयुक्तों (कमिश्नरों) और जिला प्रशासन के संबंध में व्यय ..	१००	..	१००
१६	न्याय प्रशासन ..	१०,०३,५००	८३,२००	१०,८६,७००
१७	जेल ..	४,०६,६००	..	४,०६,६००
१८	पुलिस ..	८४,९८,९००	..	८४,९८,९००
२०	शिक्षा ..	५७,४१,१००	..	५७,४१,१००
२१	चिकित्सा ..	२,१००	..	२,१००
२२	जन-स्वास्थ्य ..	९००	..	९००
२३	कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और शोध	११,२२,२००	६,६००	११,२८,८००
२५	पशु-पालन ..	१००	..	१००
२७	विद्युत योजनाओं के अधिष्ठान पर व्यय	१००	..	१००
२८	सहकारिता के आधार पर ऋण ..	..	२,३००	२,३००
२९	उद्योग ..	४००	..	४००
३१	परिवहन विभाग ..	८०,०७,०००	४३,०००	८०,५०,०००
३२	सूचना निदेशालय ..	१००	..	१००
३३	खाद्य और रसद संगठन	..	४५,१००	४५,१००

अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक: विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
१	२		३	
		रु०	रु०	रु०
३४	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं ..	४००	१९,८००	२०,२००
३७	नागरिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (Grants-in-aid to Civil Works)	५,४३,३००	..	५,४३,३००
३८	दुर्भिक्ष सहायता ..	७०,६७,०००	७१,००,०००	१,४१,६७,०००
३९	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें तथा शासकों के संबंधियों और सेवकों के भत्ते ..	९१,०००	..	९१,०००
४१	लेखन-सामग्री और मुद्रण (Stationery and Printing)	३,११,२००	..	३,११,२००
४२	प्रकीर्ण व्यय ..	३,७०,४००	..	३,७०,४००
४४	समाज कल्याण ..	३००	..	३००
४६	नियोजन और एकीकरण (Planning and Co-ordination) *ऋण और अन्य दायित्वों (Obligations) पर ब्याज ..	..	१००	१००
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	१,८६,१५,२००	१,८६,१५,२००
४७	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई निर्माण कार्यों का सम्पादन	१,५०,७२,९००	..	१,५०,७२,९००
४९	औद्योगिक विकास ..	२५,००,०००	..	२५,००,०००

*प्रभृत विनियोग (Charged Appropriation)।

		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधिपर भारित	योग
१	२	३		
५०	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों (Civil Works) पर लागत ..	रु० १,८००	रु० ९४,८००	रु० ९६,६००
५१	विद्युत योजना पर पूंजी की लागत ..	२,५४,१७,९००	..	२,५४,१७,९००
५२	कृषि अभियंत्रण, सरकारी बस सेवाओं, सहायता तथा पुनर्वासन की योजनाओं आदि पर पूंजी की लागत ..	११,७३,१००	..	११,७३,१००
५३	निवृत वेतनों (पेशनों) की संराशि (Commuted Value of Pensions)	१००	३४,०००	३४,१००
५५	व्याज वाले ऋण और अग्रिम (Loans and Advances bearing Interest)	४५,२६,१००	..	४५,२६,१००
	बड़ा योग ..	१०,९६,३५,२००	२,६१,५०,७००	१३,५७,८५,९००

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, २, ३, अनुसूची, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, इस बिधेयक को पारित करते हुए हम सरकार को यह अधिकार दे रहे हैं कि वह राज्य संचित निधि से १३,५८,००,००० रुपये के लगभग धन का व्यय कर सके। उसमें से लगभग १० करोड़ ९६ लाख मत देय है और २ करोड़ ६८ लाख चार्ज्ड है। श्रीमन्, मुझे सन्देह होता है कि इतना अधिकार सरकार को देते हुए भी यह सरकार १३ करोड़ का उपयोग कर पायेगी या नहीं क्योंकि पिछले वर्षों से लगातार जो उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता आया है और जो कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी है उसके अनुसार सरकार बजट के कार्यान्वित करने में असफल रही है और बिलकुल असफल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं रही है तो असफल जरूर रही है। यह बजट का एक्जिक्यूशन इतना महत्वपूर्ण है जो सारे नियोजन की व्यवहारिक रूप में आधारशिला है। बजट कितने ही ठीक आप पारित कर दें और उनका एक्जिक्यूशन नहीं होता है। उसमें दिये गये रुपये का व्यय नहीं हो पाता। बजट यदि सन्तुलित रूप में उपयोग नहीं होता है तो वह अवश्य ही विचारणीय प्रश्न है।

श्रीमन्, आप देखें कि हमारे यहां सन्तुलित बजट का प्रश्न स्वप्न हो गया है। मिसाल के लिये पिछले वर्ष का भी बजट हमारे सामने है। आप देखें कि ५१ ग्रान्ट्स हैं आज इस विधेयक के अन्दर और ५१ में से ४० में सेविंग हुई है और दस में एक्सेस और केवल १ ग्रान्ट में बैलेन्स बजट रहा है और एक्जीक्यूशन ठीक प्रकार से हुआ है। ऐसी ही चार्ज्ड एक्सपेन्डीचर की बात है। इस में ३१ आइटम्स हैं और इनमें से २५ में सेविंग हुई है, ४ में एक्सेस और केवल २ का एक्जीक्यूशन ठीक हुआ है। तो हमको देखना होता है कि आखिर यह खामी कहां पर है ? मेरा सुझाव इस सम्बन्ध में यह है कि सरकार को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये कि बजट का एक्जीक्यूशन किस प्रकार से हो।

माननीय मंत्री जी ने हमारी आलोचनाओं का विस्तार के साथ उत्तर दिया किन्तु माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति, श्री देवकी नन्दन विभव जी ने जो सुझाव दिये कि एस्टीमेट्स सही प्रकार से प्रस्तुत किये जायं और किस प्रकार से उनको सही बनाया जाय, उस पर उन्होंने विचार नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस समय यहां पर मौजूद हैं और मुझे आशा है कि वे भी मेरे सुझाव पर विचार करेंगे और माननीय अध्यक्ष भी इस पर विचार कर रहे हैं और उनकी सलाह भी हमें अनुकरणीय होगी। आप जानते हैं कि हाउस आफ कामन्स में भी इन्हीं बातों पर विचार करने के लिये लार्ड प्लाउडेन की एक कमेटी बनी है और वह इन सब मामलों पर विचार कर रही है कि पार्लियामेंटरी कन्ट्रोल ओवर एक्सपेन्डीचर पर किस प्रकार से हो। मेरा सुझाव है कि हमारे यहां भी इस सदन की एक कमेटी बनाई जाय जो इन सब मामलों पर विचार करें। आज फाइनेन्स डिपार्टमेंट में तथा दूसरे विभागों में एक होड़ सी लगी रहती है। दूसरे विभाग यह जानते हैं कि अगर हम सही इंस्टीमेट्स बना कर भेजेंगे तो वे पूरे स्वीकार नहीं होंगे। अगर कोई ५० हजार की उनकी योजना होती है तो वे ७० हजार की योजना बना कर भेजते हैं। वित्त विभाग उसमें से २५ हजार स्वीकार करता है, अन्त में आपसी वाद-विवाद के पश्चात् वह ४० हजार रुपये स्वीकृत करता है। इसी कारण से एक्सेज और सेविंग होती है जो आये दिन हमारे आपके सामने आती हैं। तो यह एक परिपाटी सी चली आ रही है। एक मोल तोल सा होता है। जिस तरह से किसी दूकान पर मोल तोल होता है, उसी तरह से इन विभागों में मोल तोल होता है, जो सर्वथा गलत है और इस ओर ध्यान देने की अत्यन्त आवश्यकता है।

आज हमारे बजट का सफलतापूर्वक एक्जीक्यूशन नहीं हो पाता उसका यही कारण है कि सही इस्टीमेट्स नहीं बनते हैं।

दूसरी बात प्लान्ड और नान प्लान्ड आइटम्स के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बतायी कि प्लान्ड आइटम्स और नान-प्लान्ड आइटम्स के सम्बन्ध में ब्योरा इसलिये नहीं दिया गया चूंकि जो डेवलपमेंट हेड मूल बजट में दिया हुआ है उससे वह मिलान कर लें तो वह सब उनको स्पष्ट हो जायगा कि कौन-कौन से प्लान्ड आइटम्स हैं और कौन-कौन से नान-प्लान्ड आइटम्स हैं। श्रीमन्, डेवलपमेंट हेड के अन्तर्गत योजना का सारा रुपया दिखाया जाता है और यह प्रक्रिया सन् १९५२ से पहले से ही अपनायी जा रही है और बाद में उसकी प्रणाली में सुधार भी किया गया। एक नयी पुस्तिका भी प्रकाशित की जाने लगी जिसमें कि जितनी नयी मदें प्लान्ड की हैं उनको ब्योरेवार दिखाया जाने लगा और आज भी दिखाया जा रहा है। तो जिस प्रकार मूल बजट में यह निश्चित ब्योरा अलग-अलग मदों का दिया जाता है कि कौन मद प्लान के अन्तर्गत है और कौन मद प्लान के बाहर है, यहां तक कि अगर किसी भवन में पंखा

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लगना है तो उसका भी विवरण दिया जाता है कि कौन सा पंखा कहां लगेगा, तो उसी प्रकार पूरक बजट के सम्बन्ध में जो स्मृति-पत्र दिया जाता है उनमें भी ऐसा ही विवरण निश्चित रूप से होना चाहिये कि कौन मद प्लान के अन्तर्गत है और कौन प्लान के बाहर।

तीसरी बात यह कि मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे कृपया यह बतलायें कि यह जो अनुपूरक अनुदान हैं इनमें से कितनी अनुदानों को लेना अनिवार्य हो जाता है। श्रीमन्, अनिवार्य होता है, मगर उसकी परिस्थितियां बजट मैनुअल में दी हुई हैं, उसके पैराग्राफ १४६ में। मेरे पास अंग्रेजी का है उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूं, यह हिन्दी में है नहीं....

श्री अध्यक्ष—आप केवल उसका खुलासा हिन्दी में ही बता दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इसका भाव यह है कि सप्लीमेंटरी इस्टीमेट्स सिद्धांतः एतराज पूर्ण है और अगर स्वतंत्रता पूर्वक इस्टीमेट्स बनेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि प्राक्कलन गलत होंगे और उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पायेगा। एक लाइन अंग्रेजी की यह है—

"The justification for supplementary estimates therefore rests upon exceptional circumstances."

कि अनुपूरक अनुदानों को बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में रखा जाना चाहिये। यह सिद्धांत जो बजट मैनुअल में है, वह बदला नहीं है। तो फिर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो सिद्धांत बदला वह उस कसौटी में सही नहीं उतरता।

मैं दो तीन मिसालें देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस कमीशन १९६० में बन गया, जनवरी में और उसके लिये रुपया द्वितीय अनुपूरक बजट में मांगा जा रहा है। मूल बजट में नहीं मांगा, प्रथम अनुपूरक में भी नहीं, अब मांगा जा रहा है। कितना गलत एस्टीमेटिंग होता है उसको देख कर आपको आश्चर्य होगा। रिहैंड पावर हाउस ६–७ साल से बन रहा है और हम समझते थे कि रिहैंड की ट्रांस्मिशन लाइंस भी उसमें शामिल होगी, लेकिन गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ में मिलाने के लिये ट्रांस्मिशन लाइन्स के लिये अब एस्टीमेट मंजूर कराया जा रहा है। अगर पहले से ही होता तो रिहैंड पावर हाउस की बिजली का इस समय तक ठीक तरह से प्रयोग होने लगता, लेकिन ट्रांस्मिशन लाइन का जो इतना पुराना अंग था, उसके लिये अब रुपया मांगा जा रहा है। यह एस्टीमेटिंग का नमूना है।

अन्य मिसालें भी हैं, लेकिन समय के अभाव में नहीं देना चाहता। एक बात मंत्री जी ने कही जिसपर एतराज होना चाहिये। उन्होंने कहा कि टोकेन ग्रांट्स तब होती है जब कोई नयी स्कीम मंजूर करानी होती है। उन्होंने एक प्रकार से मान सा लिया कि उसके एस्टीमेट होने की जरूरत नहीं है, खाली स्कीम मंजूर कराने के लिये जरूरी है कि हम यहां टोकेन ग्रांट पेश करें। जहां तक हम समझते हैं, टोकेन ग्रांट मंजूर कराने का अर्थ यह नहीं है कि उसका एस्टीमेट नहीं होना चाहिये। मैं बजट मैनुअल की दूसरी धारा ४२ आपके सामने रखना चाहता हूं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि—

"In preparing the estimate for the budget year, the Head of the Department should carefully consider the date on which the scheme can be brought into effect."

सारी मिसालें दी हुई हैं। इसमें कोई भी एस्टीमेट आ ही नहीं सकता किसी डिपार्टमेंट के सामने, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सामने भी नहीं जब तक कि उसका ब्योरा न हो और मंत्री जी कहते हैं कि नेबुलस स्कीम, काल्पनिक स्कीम के लिये टोकेन ग्रांट ले आना चाहिये। हम समझते हैं कि रिएप्रोप्रिएशन के नाम पर अगर कोई नयी सेवा हो और पुनर्विनियोग स्वरूप लायी जाती है तो उसके रुपये को जस्टिफाई करने के लिये टोकेन ग्रांट आती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उस पर पुनर्विचार करें।

इसी प्रकार हम यहां पर नैशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन पर जो कारपोरेशन बना है सेंटर में, उसको १० लाख रुपया दे रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन श्रीमन्, आपको आश्चर्य होगा कि इसी में लिखा हुआ है कि सिंचाई विभाग का रुपया है लेकिन उद्योग विभाग में उसको लिया जा रहा है। एक ग्रांट से दूसरी ग्रांट में एप्रोप्रिएशन बिलकुल मना है, लेकिन फिर भी ऐसा इस ऐक्ट के द्वारा किया जा रहा है।

वित्त मंत्री जी ने अभी हाल में कार्य भार लिया है, बहुत प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं कि कितना कठोर दायित्व होता है और उन्होंने नियमों को पूरी तरह से समझने की चेष्टा की है, लेकिन मैं कहूंगा कि इन बारीकियों को बजट बनाने के समय उनके डिटेल्स में जाकर देखें, जिससे किसी प्रकार के सामान्य वित्तीय नियमों की अवहेलना न हो। इस सम्बन्ध में स्वयं उनको और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। हमारे काम जल्दी हो जायं, जल्दी हम विकास कार्य कर सकें, इस सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि कोई भी गवर्नमेंट आये वित्त के नियम माननीय रहें, उनको हम भुलायें नहीं।

श्रीमन्, यह आवश्यक है कि यह बजट मैनुअल बदली जाय जो कि इतनी पुरानी होगयी है, सन् ५२ से आप यहां बैठे हुए हैं, आप काफी सुन रहे होंगे कि सरकार इसको बदलने जा रही है, नयी मैनुअल बन रही है, लेकिन कोई संशोधन अभी तक नहीं आया, इसलिये यह बजट मैनुअल या तो बदले या कोई नयी परम्परायें कायम हों विकास के युग में और जबतक पुरानी बजट मैनुअल है तब तक वह मानी जाय। हमारे सामने केवल दिखलाने के लिये ही किताब न रह जाय। मैं कहूंगा कि बजट एग्जीक्यूशन को ठीक तरह से चलाने के लिये बजट मैनुअल को बदलना जरूरी है। फिर आप जो मैनुअल बनायें उसको व्यवहार में लायें अन्यथा आप कितने ही ऐक्ट हमसे पास कर लें, १३ करोड़ हम दे दें और खर्च ५ करोड़ ही हो तो उससे क्या लाभ होगा। इसलिये आप सही प्राक्कलन बनायें, सही ढंग से अनुदान स्वीकार करायें और सही ढंग से खर्च करें, इन तीनों बुनियादी बातों पर आपको विचार करना चाहिये। इसके अलावा रिसीट और एक्सपेंडीचर पर पार्लियामेंटरी कंट्रोल कैसे हो इसके लिये श्रीमन्, आप भी इस सदन की सहायता करें और एक कमेटी अविलम्ब बननी चाहिये जैसे कि हाउस आफ कामन्स में लार्ड प्लाउडेन के नेतृत्व में बनी हुई है। इसके अलावा जैसा कि सभापति प्राक्कलन समिति ने सुझाव रखे उन पर अमल किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का सिद्धांततः विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण––श्रीमन्, जो विधेयक माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय नारायणदत्त जी ने बजट मैनुअल से बहुत सी बातें पढ़ दी हैं, मैं उनपर जाना नहीं चाहता क्योंकि जो बजट मैनुअल आज की जनतांत्रिक व्यवस्था का नहीं बना हुआ है उसको मैं आदर्श नहीं मानता। आज हमारे सामने जो आदर्श है वह क्या है? माननीय नारायणदत्त जी भी उससे सहमत हैं कि वह मैनुअल बदला जाय। अब वह कैसे बदले? इस सम्बन्ध में हमें मूलतः यह कहना है कि आज हमारी जन-आकांक्षा क्या है, जनशक्ति क्या है और हम अपने जीवन स्तर का विकास किस हद तक कैसे-कैसे करना चाहते हैं। इस शाब्दिक जाल बट्टे में मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता न फंसे। मुझे गांधी जी का एक वाक्य याद आ गया मैं उसको हिन्दी में कहे देता हूं। उन्होंने कहा था कि तुम अपने देश को नवीन ढंग से निर्मित करना चाहते हो तो सभी पुरानी फाइलों को जला डालो। मैं फिर कहना चाहता हूं सरकार से भी और अपने मित्र नारायणदत्त जी से भी कि वह पुरानी उलझनों और बजट मैनुअल के जंगलों में न फंसें। हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे ४६ करोड़ रुपया योजना के अन्तर्गत कृषि के लिये लिया गया और केवल ३० करोड़ ही खर्च हुआ। हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे योजना के अन्दर शिक्षा के विकास के लिये जितना अनुदान लिया गया उसमें १२ करोड़ रुपया बच गया। यह एक मोटी बात है। हम अफसर परेशान हो जाते हैं। हमारे सामने जब हिसाब आता है तो उसमें यह होता है कि यह उसमें रखा जायगा, यह उसमें रखा जायगा, इस प्रकार से बजट बनता है। हम कहते हैं कि

[श्री राजनारायण]

तुम हमें मूल बताओ कि तुम्हारे पास कितना धन है, कितना धन प्राप्त किया जा सकता है और उसको कैसे-कैसे किस ढंग से खर्च कर रहे हो। इस शब्द जाल में फंसने की जरूरत क्या है। मैं चाहता हूं कि सरकार बताये कि उसे क्यों पैसा दिया जाय। जबकि १२–१२, १६–१६ करोड़ रुपया अभी तक बिना खर्च किये हुए पड़ा हुआ है। इसको चाहे पंच वर्षीय योजना, चाहे अंग्रेजी का शब्द "प्लान्ड आइटम" या अन-प्लान्ड आइटम कहा जाय, यह भ्रामक शब्द हो गये हैं। मुझे अगर कहना हो तो मैं कहूंगा कि सारी की सारी मदें अनियंत्रित और अनियोजित हैं।

मैं तिवारी जी से भी निवेदन करूंगा कि इस सरकार द्वारा जो मदें रखी जा रही हैं उनको वे अनियोजित मानें। यह एक अनियोजित नियोजन है। फिर हम से क्यों रुपया मांगा जा रहा है? माननीय मुख्य मन्त्री जी नये आये हैं लेकिन इससे पूर्व वह इसी सदन में मंत्री रह चुके हैं विकास के इंचार्ज के रूप में और उद्योग के इंचार्ज के रूप में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे नये हों या नये न हों, वह जानकारी रखते हैं। हमें वे बतायें कि आज उनकी सरकार यह जो अनुपूरक के रूप में हमसे १३ करोड़ या १७ करोड़ रुपया मांग रही है, यह रुपया हम उसको क्यों दें। किसी भी मद के बारे में हमें सरकार की ओर से बता दिया जाय कि किसी भी मद के लिये जो रकम दी गयी थी वह पूरे तौर पर खर्च हुई या नहीं। खर्च नहीं हुई। फिर बार-बार हमसे रुपया क्यों मांगा जा रहा है। एक स्वप्नवत् बात कह दी जाती है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक विकसित व्यवस्था का बजट है। तो क्या विकसित व्यवस्था के बजट में सरकार के लिये यह आवश्यक है कि डेढ़ अरब रुपये के बजट में से एक अरब ही खर्च करें? यह सरकार इस बात को मानने पड़ी है कि अगर कोई विकसित व्यवस्था का सुनियोजित बजट होगा तो वह सही-सही नहीं होगा। सभी आंकड़े ठीक नहीं हो सकते। यह सरकार मान कर चल रही है इसीलिये कहती है कि हम पूरक बजट में विश्वास करते हैं। दुनिया में जहां कहीं जनतंत्र व्यवस्था है उनको देखा जाय कि क्या वहां के किसी भी वित्त शास्त्री के द्वारा अनुपूरक बजट का आना अनिवार्य माना ही गया है। मगर यह सरकार इसको मान कर चलती है। एक वाक्य में मेरा यह निवेदन है कि यह सदन स्वीकार करे कि हम इस सरकार पर एक अंकुश लगा दें और वह अंकुश अभी लगायें, तत्काल लगायें क्योंकि उचित कार्य में देर करने से वांछनीय फल प्राप्त नहीं होता। वांछनीय फल को प्राप्त करने के लिये हिम्मत के साथ, हमारे जो ट्रेजरी बेंचेज के लोग बैठे हुए हैं वह भी हमारा साथ दें और निश्चित रूप से आज इस सरकार को मना कर दें कि हम एक पैसा भी अनुपूरक बजट के रूप में खर्च करने के लिये नहीं देंगे। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैंने आरम्भ में ही बोलते समय सरकार का ध्यान तीन बातों की तरफ आकर्षित किया था। पहली बात मैंने यह बतायी थी कि पूरक बजट जो सरकार बनाती है उसमें ऐसी मदें होती हैं जिनकी व्यवस्था सरकार आसानी से मूल बजट में कर सकती थी। दूसरी बात यह कही थी कि चूंकि सरकार पूरक बजट की नीति को गलत ढंग से समझती है इसलिये सरकार पूरक बजट की एक नीति निर्धारित कर ले और फिर उसी नीति के अनुसार कार्य करे। लेकिन सरकार इसको भी मानने से इंकार करती है। तीसरी बात यह कही थी कि सरकार जितना रुपया भी खर्च करती है, यद्यपि यह नियोजन का युग है, लेकिन वह नियोजित ढंग से खर्च नहीं करती है। यही कारण है कि सरकार ने आज १३ करोड़ की मांग प्रस्तुत की है अनुपूरक बजट के सिलसिले में जितना कि २०–२५ साल पहले पूरा बजट ही हुआ करता था।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया कि नियोजन के समय में यह सम्भव नहीं है कि हर बात को देखा जाय क्योंकि यह डेवलपिंग एकानामी का युग है। मैं वित्त मन्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि डेवलपिंग एकोनामी के युग की तो यह सब से बड़ी आवश्यकता है कि

आप ज्यादा दूरदर्शिता से काम लें और देखें कि जब तक कोई ऐसी अत्यावश्यक या आकस्मिक बात न हो जाय तब तक उसमें रद्दोबदल नहीं होनी चाहिये। डेवलपिंग एकोनामी में तो २० साल आगे तक की योजना बनाई जाती है और इस बात पर विशेष रूप से तवज्जुह दी जाती है। लेकिन यहां २० साल की तो बात ही क्या है एक साल का बजट या योजना यहां का वित्त विभाग कायदे से नहीं बना सकता।

श्रीमन्, दो तीन बातों का उदाहरण मैंने दिया था, मैं उनको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। श्रीमन्, इलाहाबाद में सन १९५६ में एक अस्पताल बनाने की योजना बनी। यह मालूम था कि उसकी बिल्डिंग बन कर सन् ६० में तैयार हो जायगी। अगर थोड़ी भी दूरदर्शिता दिखाई जाती तो लाजिम था कि यह मालूम हो जाता कि अस्पताल बनने के बाद उसमें सज्जा की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई और आज आकस्मिक निधि में ढाई लाख रुपया निकाला गया है। चूंकि अस्पताल बन कर तैयार है इसलिये इतना रुपया सज्जा के लिये चाहिये। श्रीमन, ८, १० महीने पहले बजट में ही अगर यह दूरदर्शिता दिखायी जाती कि अस्पताल बनकर तैयार होगा तो उसके लिये सज्जा की आवश्यकता होगी।

दूसरी बात पहाड़ी इलाकों के लिये जो रुपया भारत सरकार ने दिया था ६६ लाख वह हमारी सरकार खर्च नहीं कर सकी और अब इस पूरक बजट में इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि ३ लाख रुपया दो जिससे वह ६६ लाख हम खर्च कर सकें। वह रुपया लैप्स हो गया था और प्रान्तीय सरकार को केन्द्रीय सरकार के पास फिर जाना पड़ा कि उस धन को कृपा करके दे दीजिये ताकि हम अपने प्रदेश का विकास कर सकें। भारत सरकार ने हमारे साथ उदारता दिखाई और इस प्रदेश के पिछड़े हुये इलाके के विकास के लिये वह रुपया दे दिया। अब उसके उत्थान के लिये ३ लाख रुपया हमसे मांगा जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि वह रुपया दो। मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सा आकस्मिक मद है जिसके लिये इस पूरक बजट में व्यवस्था की गई है।

इसके अतिरिक्त मैं इस बात को गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि जब प्राक्कलन समिति में मुख्य मन्त्री जी को आमन्त्रित किया गया था तब उस समय जनवादी परम्पराओं का निर्वाह करने के लिये उन्होंने कहा था कि चूंकि यह सदन की समिति है इसलिये मैं यहां कुछ न कह कर सदन के सामने जो कुछ कहना होगा कहूंगा। तो मैं उनसे कहूंगा कि अब वह मौका आ गया है जब आप सदन में कहें कि किस प्रकार का बजट आप बनाना चाहते हैं जिससे हमारे आज के नियोजन के युग में ठीक कार्य हो सके। बजट का जो मैनुअल है उसके बनाने के लिये आप एक कमेटी बनावें जो यह निश्चित करे कि किस प्रकार बजट मैनुअल को सुधारा जा सकता है। जब यह बजट मैनुअल ठीक होगा तभी हम उस नियोजन के युग में ठीक से काम कर सकते हैं।

दूसरी बात जो फायनेंस कमेटी पहले सदन की थी वह तोड़ दी गई है जो भी कारण हो। हमारे लोक सभा के माननीय अध्यक्ष पिछले कई वर्षों से इस प्रश्न को उठा रहे हैं कि फायनेंस कमेटी सही माने में सरकार के ऊपर विजिलेंस रखती है और उसका निर्माण होना चाहिये। मैं इस मांग को फिर दुहराता हूं और चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात की घोषणा आज ही करें कि वे फायनेंस कमेटी का निर्माण करना चाहते हैं या अगर उन्हें दिक्कत हो तो जैसा कि हमारे प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी प्राक्कलन समिति जो बनी हुई है उसको ही इस बात का अधिकार दीजिये जो अधिकार फायनेंस कमेटी को दिया था ताकि प्राक्कलन समिति इस बात का भी निरीक्षण कर सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी जितनी अनियमिततायें बताई गई हैं, सारी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके,

[श्री चन्द्रजीत यादव]

क्योंकि कोई हठ की बात नहीं है न प्रतिष्ठा का प्रश्न है इसपर रोशनी डालेंगे कि पूरक बजट और अनुपूरक बजट भविष्य में कैसा बनेगा और उसको ठीक से बनवाने के लिये प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष--अब ५ बजकर १० मिनट तक यह सदन चलेगा। (वित्त मन्त्री से) आप ५ बजकर ५ मिनट तक भाषण दे सकते हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन, मैं बहुत सी बातों का इस समय जो कही गई हैं इससे पूर्व ही उत्तर दे चुका हूं। एक तरफ से यह कहा जा रहा है कि किसी नियोजन के अन्तर्गत बजट नहीं बनाया गया है लेकिन मैं समझता हूं कि किसी नियोजन के अन्तर्गत यह कभी नहीं किया जा रहा है। आखिर आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं कम से कम अपने स्थान पर समझने में पूर्णतया असमर्थ हूं और जब विकास इतने वृहत क्षेत्र में चल रहा हो तो हम एक-एक पैसे का हिसाब पहले से ही जान लें। बाजार में हर चीज का दाम बढ़ता रहता है, घटता रहता है, कठिनाई हर चीज को समय-समय पर पैदा होती जाती है। एक वर्ष पहले हम यह समझ लें कि हमें बाहर से या यहां जितनी चीजों की आवश्यकता होगी उसका दाम आज अगर दो रुपया है तो कल ढाई रुपया हो जायगा या पौने दो रुपया हो जायगा तभी तो इस आवश्यकता से हम वंचित रह सकते हैं कि आपके पास न तो किसी अनुपूरक डिमांड को लेकर के आवें और न यह कहें कि हमारे यहां कोई सेविंग नहीं हुई है।

श्री राजनारायण--दाम को नियोजित करना तो सरकार का काम है नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह---तो इसलिये मैं समझता हूं और जैसा कि नारायणदत्त जी ने बजट मैनुअल को पढ़ कर सुनाया, मुझे यह स्वीकार करने में कतई संकोच नहीं है कि मुझे अभी इतना समय नहीं मिल सका है कि मैं बजट मैनुअल को पढ़ सकूं लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब हमारे कांस्टीट्यूशन में इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया है तब उन्होंने बजट मैनुअल से सप्लीमेन्टरी डिमांड के बारे में जो यह पढ़ कर सुनाया कि यह तो एक एक्सेप्शनल चीज है। मैं समझता हूं कि जब कांस्टीट्यूशन में इसकी आवश्यकता को समझ कर प्रोवाइड किया गया है तो बजट मैनुअल में वह भले ही एक्सेप्शनल कहा गया हो, लेकिन वह एक्सेप्शनल है नहीं। उसकी वजह यह भी है कि वह सम्भव ही नहीं था। हम तो यह भी नहीं बता सकते कि पहले बजट में इतनी सेविंग होगी। क्योंकि बहुत सी मदों में ज्यादा खर्च हो सकता है, बहुत सी मदों में कम खर्च हो सकता है। यह तो जो कुछ अनुदान हमारे सामने दिये गये हैं उनका अर्थ केवल इतना ही होता है कि हम यह समझते हैं कि जितना अनुदान हमें सदन द्वारा स्वीकृत हुआ है वह शायद इतना कम होगा, इसलिये आपके सम्मुख और सदन के सम्मुख हम आ रहे हैं और मांग करते हैं कि इस को स्वीकार करें।

जहां तक बजट मैनुअल के रिवीजन की बात है, अभी मैंने अपने एक उच्चाधिकारी से दरियाफ्त किया तो उन्होंने मुझे यह सूचना दी कि वह काम करीब-करीब खत्म हो चुका है और बहुत जल्द ही वह रिवाइज्ड मैनुअल आपके सामने आ सकेगा। तो इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इन अनुपूरक अनुदानों को पास करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६०-६१ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मता सार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में---१५९,
विपक्ष में---७।)

श्री राजनारायण––श्रीमन, कुछ तटस्थ बैठे हैं, पी पी० एस० पी० और संघ वाले उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष––उसका अब क्या होगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर सोमवार, २० फरवरी, १९६१ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१७ फरवरी, १९६१।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२५ पर)

तालिका

मद	कुल संख्या	पिछड़ी जाति की संख्या	पिछड़ी जाति प्रतिशत अनुपात	अनुसूचित जाति की संख्या	अनुसूचित जाति प्रतिशत अनुपात	शैक्षिक योग्यता
१ असिस्टेंट जनरल मैनेजर	२९	..	..	..	..	ग्रैजुएट
२ स्टेशन इंचार्ज	२२९	५	२.१८	२	०.८७	ग्रैजुएट
३ लिपिक ४ बुकिंग क्लर्क	३,८०८	१२२	३.२०	११०	२.८८	परिवहन आयुक्त के कार्यालय में अपर डिवीजन क्लर्क के पद के लिये कम से कम सेकेंड क्लास इन्टरमीडिएट। भाषा में अच्छे अंक आवश्यक। रोडवेज के रीजनों में हेड क्लर्क और जनरल क्लर्क के पद के लिये ग्रैजुएट जूनियर क्लर्क लोअर डिवीजन क्लर्क और बुकिंग क्लर्क के लिये हाई स्कूल पास।
५ कन्डक्टर	३,१५८	३६७	११.६२	३५४	११.२०	हाई स्कूल पास।
६ ड्राइवर	३,४४१	४२३	१२.२९	११८	३.४५	मामूली पढ़ा लिखा होना ड्राइविंग में पांच वर्ष का लाइसेन्स होना आवश्यक है।
७ चौकीदार व चपरासी	१,१५१	२५६	२२.२४	१०६	९.२०	हिन्दी का मामूली ज्ञान।
८ इंस्पेक्टर व टिकट चेकर ..	३०५	७	२.२९	७	२.२९	रीजनल और टेक्निकल इंस्पेक्टरों के लिये हाई स्कूल या सीनियर कैम्ब्रिज तथा मिकैनिकल या आटो मोबील इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री। असिस्टेन्ट रीजिनल इंसपेक्टरों के लिये टेक्नीकल इंस्टीच्यूट का सर्टिफिकेट। असिस्टेंट ट्रैफिक इंसपेक्टर के लिये इंटरमीडिएट। टिकट चेकर का कोई पद इस विभाग में नहीं है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२७ पर)

तालिका

विद्यालय का नाम	अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	पूरक अनुदान	उदार अनुदान	विशेष-वेतन वृद्धि अनुदान	अन्य
	आवर्तक अनुदान					
	१९५८-५९					
२	३	४	५	६	७	८
रामनाथ विद्यापीठ हायर सेकेंन्डरी स्कूल ताकुला, अल्मोड़ा ..	५,१३२	२४०	२,०००	१,७६४		
सर्वोदय उच्चतर मा० वि० जयन्ती, अल्मोड़ा ..	५,९०५	३७८	५००	३३६	..	..
मोहन जोशी हा० से० स्कूल बागेश्वर, अल्मोड़ा ..	९,१५६	६६०	..	१,२२४	..	..
महाकाली हा० से० स्कूल, गोलीहाट, अल्मोड़ा ..	७,१५२	२४०	१,०००	९९६	..	..
कांडा उ० मा० वि० कांडा, अल्मोड़ा ..	२२,१६४	५४०	१,५५०	२,७७२	..	..
जनता उ० मा० वि० रेछेना, अल्मोड़ा ..	४,२३६	३६०	..	२४०	..	..

विद्यालय का नाम	अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान	पूरक अनुदान	उदार अनुदान	विशेष वेतन-वृद्धि अनुदान	अन्य
	अनावर्तक अनुदान					
	१९५९-६०					
९	१०	११	१२	१३	१४	
राम नाथ विद्यापीठ हायर सेकेन्डरी स्कूल ताकुला, अल्मोड़ा	१७,०५२	२८०	१,०००	१,६२०	..	..
सर्वोदय उच्चतर मा० वि० जयन्ती, अल्मोड़ा ..	६,८१६	५६८	..	४०८	..	..
मोहन जोशी हा० से० स्कूल बागेश्वर, अल्मोड़ा ..	९,६९६	८१०	..	८५२	..	..
महाकाली हा० से० स्कूल, गोलीहाट, अल्मोड़ा ..	७,७८८	३३०	..	५०४	..	..
कांडा उ० मा० वि० कांडा अल्मोड़ा ..	२३,१७२	४८०	..	२,६२८	..	..
जनता उ० मा० वि० बारेछेना, अल्मोड़ा ..	५,३८८	४३०	..	३४८	..	.

अनावर्तक अनुदान

१९५८–५९

विद्यालय का नाम	भवन अनुदान	सज्जा एवं उपकरण अनुदान	पुस्तकालय अनुदान	पुनर्व्यवस्था योजना अनुदान	स्पोर्ट्स अनुदान	अन्य कैम्पस अनुदान
	१५	१६	१७	१८	१९	२०
रामनाथ विद्यापीठ हायर सेकेन्डरी स्कूल, ताकुला, अल्मोड़ा ..	..	..	..	..	..	१४,०००
सर्वोदय उच्चतर मा० वि० जयन्ती, अल्मोड़ा ..	..	..	..	६००	..	..
मोहन जोशी हा० से० स्कूल बागेश्वर, अल्मोड़ा ..	..	..	..	..	..	..
महाकाली हा० से० स्कूल गोलीहाट, अल्मोड़ा ..	२,०००	..	..	..	..	..
कांडा उ० मा० वि० कांडा, अल्मोड़ा ..	..	..	..	..	..	..
जनता उ० मा० वि० बरेछेना, अल्मोड़ा ..	..	..	..	..	..	..

परीक्षा फल

१९५९–६०

विद्यालय का नाम	भवन अनुदान	सज्जा एवं उपकरण अनुदान	पुस्तकालय अनुदान	पुनर्व्यवस्था योजना अनुदान	स्पोर्टस अनुदान	अन्य कैम्पस प्रोजेक्ट
	२१	२२	२३	२४	२५	२६
रामनाथ विद्यापीठ हायर सेकेन्डरी स्कूल ताकुला, अल्मोड़ा ..	..	..	..	..	..	..
सर्योदय उच्चतर मा० वि० जयन्ती, अल्मोड़ा ..	३,०००	४५०	..	..	..	..
मोहन जोशी हा० से० स्कूल बागेश्वर, अल्मोड़ा ..	..	..	..	..	..	..
महाकाली हा० से० स्कूल गोलीहाट, अल्मोड़ा ..	१०,०००	४५०	..	..	..	..
कांडा उ० मा० वि० कांडा, अल्मोड़ा ..	..	..	..	..	४००	..
जनता उ० मा० वि० बरेछेना, अल्मोड़ा ..	२,०००	..	..	..	..	..

विद्यालय का नाम	का प्रतिशत १९५९–६०			
	हाई स्कूल	इन्टर	हाई स्कूल	इन्टर
	२७	२८	२९	३०
रामनाथ विद्यापीठ हायर सेकेन्डरी स्कूल ताकुला, अल्मोड़ा ..	२५·६	२७·२८	४६·२	६६·६६
सर्योदय उच्चतर मा०वि० जयन्ती, अल्मोड़ा ..	६९·७	४९·२	..	
मोहन जोशी हा० से० स्कूल बागेश्वर, अल्मोड़ा ..	२१·३	..	३१	
महाकाली हा० से० स्कूल गोलीहाट, अल्मोड़ा ..	४९·१	..	५०·०	
कांडा उ० मा० वि० कांडा, अल्मोड़ा ..	४८·१	६०	२५·५	४०
जनता उ० मा० वि० बरेछेना, अल्मोड़ा ..	६६·६	..	७७·१	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३–५४ का उत्तर पृष्ठ ७३० पर।)

प्रश्न सं० ५३–५४ का संलग्नक

५३––शोधक पंच अशोधक संस्थाओं के विमुक्त हुए पुरुषों और महिलाओं (जिन्हें साधारण जीवन में पुनः स्थापित करने के लिये सहायता दी गई है।) की संख्या ३०, सितम्बर १९६० तक निम्नलिखित है :––

शोधक संस्थाओं से विमुक्त पुरुषों की संख्या	शोधक संस्थाओं से विमुक्त स्त्रियों की संख्या	अशोधक संस्थाओं से विमुक्त पुरुषों की संख्या	अशोधक संस्थाओं से विमुक्त स्त्रियों की संख्या
८८	४५	६३	९४

कोई सहायता आर्थिक रूप में नही दी गई है अपितु नौकरी एवं पुर्नस्थापन की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा दी गई है। महिला आश्रिताओं को विवाह द्वारा एवं उनके परिवार से सम्पर्क स्थापित करके सम्बन्धित अभिभावकों के पास वापस भेज कर सहायता की गई है।

५४––निस्तारण गृह, देहरादून में अब तक ३०–११–६० तक संवासिनी के रूप में रखी जाने वाली नतिक संकट से विमुक्ति महिलाओं एवं बालिकाओं की संख्या ७९ है। इनमें से ५७ को पुनर्वासित किया जा चुका है। पुनर्वास तीन प्रकार से किया गया।

(१) विवाह द्वारा (२) न्यायाधीशों के आदेशानुसार संरक्षकों के पास वापस भेज कर (३) नौकरी एवं प्रशिक्षण द्वारा। इसके अतिरिक्त संवासिनीयों को गृह में प्रारम्भिक शिक्षा से आठवें दर्जे तक की सामान्य शिक्षा का भी प्रबन्ध है। इसके साथ-साथ प्रारम्भिक रूप में सिलाई, बुनाई एवं गृह कार्य सम्बन्धी कलाओं की भी शिक्षा दी जाती है।

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३९ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन विधेयक, १९६१

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर ने १० दिसम्बर, १९६० को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया था;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा । संक्षिप्त शीर्षनाम

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ९ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा ९ का संशोधन

"(2) No person who is not, and except as otherwise provided by this Act, every person who is for the time being entered in the register of members, shall be entitled to vote at any election or in any other proceeding under this Act or the Rules framed thereunder, or to be elected, nominated or appointed to any office in the Gaon Sabha, Gaon Panchayat or Nyaya Panchayat."

३—मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् धारा १२-ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :— यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ में नयी धारा १२-ए का बढ़ाया जाना

"12-A. A member of a Gaon Sabha shall—

Manner of Voting

(*a*) in the case of election of member of a Gaon Panchayat—

(i) vote in person and by show of hand ;

(ii) be entitled to vote only in the constituency of the Gaon Sabha of which he is a member ; and

(iii) have as many votes as there are contesting candidates, so, however, that no member shall cast more than one vote in favour of the same candidate;

(*b*) in the case of election of Pradhan of a Gaon Sabha cast vote by marking the ballot paper at the place of polling in the manner prescribed."

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ३,१९६० का निरसन यू० पी० ऐक्ट सं० १,१९०४ ई०

४--उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० एतदद्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमित (enactment) हो।

उद्देश्य तथा कारण

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ अंतिम बार अगस्त, १९६० में संशोधित किया गया था । यह अनुभव किया गया कि उक्त ऐक्ट की धारा ९ की उपधारा (२) की, जो उस समय बढ़ायी गयी, शब्द-रचना उपयुक्त न थी और उस उप धारा का गलत अर्थ लगाये जान की संभावना थी । इस संबंध में कोई भी संदेह न रह जाय, इस उद्देश्य से उक्त उपधारा को संशोधित करना आवश्यक समझा गया ।

२--यह भी उचित समझा गया कि निर्वाचनों में मतदान करने की रीति के विषय में ऐक्ट में एक विशेष उपबन्ध रख दिया जाय । तदनुसार गांव पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों के प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त ऐक्ट में पूर्वोक्त संशोधन करने के लिये उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया गया । अब यह प्रस्ताव है कि विधान मंडल के अधिनियम द्वारा उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जाय ।

३--तदनुसार यह विधेयक पुरः स्थापित किया जा रहा है ।

कैलाश प्रकाश,
स्वायत्त शासन मंत्री,

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३९ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के अधिकारी, मन्त्री, उपमन्त्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१

राज्य विधान मंडल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों के वेतन तथा भत्तों और तत्सम्बन्धी विषयों से सम्बद्ध विधियों को संशोधित करने के लिये,

विधेयक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ ई०, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबंधों) का अधिनियम, १९५६ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा १० दिसम्बर, १९६० को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया गया था, — उ० प्र० अधिनियम संख्या ११, १९५२, उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५२, उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५६, उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९६०

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा । — संक्षिप्त शीर्षनाम

२—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, १९५२ ई० में— — उ० प्र० अधिनियम संख्या ११, १९५२ की धारा २, ३ तथा ४ का संशोधन

(१) धारा २ में शब्द "बारह सौ रुपये मासिक का शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इंडियन इन्कम टैक्स एक्ट, १९२२ ई० के अनुसार लिये जाने वाले आय कर सम्मिलित नहीं होंगे" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपया मासिक वेतन दिया जायगा" रख दिये जायं;

(२) धारा ३ में शब्द "सात" के स्थान पर शब्द "छ" रख दिया जाय; तथा

(३) धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"४—अध्यक्ष और सभापति में प्रत्येक को, लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे स्थान पर, जहां उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का सत्र हो, सत्र की अवधि के लिये और सत्र से पहले एक सप्ताह तथा सत्र के बाद एक सप्ताह से अनधिक समय के लिये, बिना किराये का सुसज्जित निवास

स्थान पाने का अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।"

उ० प्र० अधिनियम सं० १०, १९५२ की धारा २ तथा ३ का संशोधन

३—उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई० में—

(१) धारा २ में—

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्यक मंत्री तथा राज्य-मंत्री को एक हजार रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।"

(दो) खंड (कक) निकाल दिया जाय, और

(तीन) खंड (ख) में शब्द "सात" के स्थान पर शब्द "छह" रख दिया जाय, तथा

(२) धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(१) प्रत्येक मंत्री तथा राज्य मंत्री को, लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य ऐसे स्थान पर भी और ऐसी अवधि के लिये, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञापित करे, बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का भी अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (Scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ८, १९५६ की धारा ३ तथा ४ का संशोधन

४—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, १९५६ में—

(१) धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"३—(१) सभा-सचिव को कोई वेतन नहीं दिया जायगा, परन्तु सार्वजनिक कार्य के संबंध में उनके लखनऊ में ठहरने की अवधि के लिये उन्हें उतना दैनिक भत्ता दिया जा सकता है जितना राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किया जाय।

सभा सचिवों के भत्ते

(२) प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय, एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा।"; और

(२) धारा ४ की उपधारा (१) निकाल दी जाय।

५—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६०, एतद्-द्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमित (enactment) हो ।	उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९६०का निरसन यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६० गवर्नर द्वारा १० दिसम्बर १९६० को विधानमंडल के अधिकारियों, मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते कम करने और वैतनिक सभा सचिवों के स्थान पर अवैतनिक सभा सचिव रखने के लिये प्रख्यापित किया गया था। चूंकि यह अध्यादेश ६ फरवरी, १९६१ से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रभावी न रहेगी और चूंकि उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को जारी रखना वांछनीय है, इसलिये यह आवश्यक तथा इष्टकर समझा गया है कि इस अध्यादेश को विधान मंडल की अधिनियमित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय । इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, १९६१ पुरःस्थापित किया जाता है ।

चन्द्र भानु गुप्त,
मुख्य मंत्री ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ७३९ पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१

ऐक्ट संख्या ७, १८७० — कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये

विधेयक

ऐक्ट संख्या ७, १८७० उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६० — कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा २८ नवम्बर, १९६० को कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया गया था;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय;

ऐक्ट संख्या ७, १८७० — और यह भी इष्ट कर है कि कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७०, को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में एतदपश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त इसके अतिरिक्त भी संशोधित किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार — १—(१) यह अधिनियम कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १९६१ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

ऐक्ट संख्या ७, १८७० में नयी धारा ३७ का बढ़ाया जाना — उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट १८७० (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३६ के पश्चात् नयी धारा ३७ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदैव से ही बढ़ाया गया समझा जाय :

"37. All fees shall be charged and collected under this Act at the rate indicated in the First or Second Schedule to this Act, as the case may be, on the date on which the document chargeable to the court-fee is or was presented."

कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण — ३—मूल अधिनियम के, जैसा कि वह कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, उपबंधों के अधीन आरोपित या वसूल किये गये सभी शुल्क, यदि वे धारा ३७ के उपबंधों के अनुसार आरोपित या वसूल किये गये हों यथास्थिति, वैधतः आरोपित या वसूल किये गये समझे जायेंगे मानों धारा ३७ सभी महत्वपूर्ण दिनांकों को प्रचलित रही हो, भले ही किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आज्ञा में इसके विपरीत कोई बात क्यों न हो ।

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनुसूची २ का संशोधन — ४—मूल अधिनियम की अनुसूची २ के प्रथम स्तम्भ में :—

(१) अनुच्छेद १० में शब्द "An Advocate" के स्थान पर शब्द "an Advocate, Attorney or Pleader" रख दिये जायं, तथा

(२) अनुच्छेद २१-ए में शब्द "Application or Petition" के स्थान पर शब्द "Application, Petition or Memorandum of Appeal" रख दिये जायं ।

५—कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबंध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानो वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गयी अधिनियमित (enactment) हो ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २, १९६० का निरसन
यू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४

उद्देश्य तथा कारण

कोर्ट फीस ऐक्ट में कतिपय त्रुटियों को जो बम्बई राज्य बनाम सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड नामक बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा प्रकाश में आयीं थीं, दूर करने के उद्देश्य से नवम्बर, १९६० में कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया गया था । "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन उक्त अध्यादेश, विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा । अतएव यह आवश्यक है कि यह अध्यादेश विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ।

२—तदनुसार इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९६० को प्रतिस्थापित करना है । कोर्ट फीस ऐक्ट की अनुसूची २ के अनुच्छेद १० में आये हुए शब्द 'Advocate' की व्यापकता में इस प्रकार वृद्धि करके कि उसके अन्तर्गत शब्द 'Attorney' तथा 'Pleader' भी आ जाय, ऐक्ट की इस न्यूनता को दूर करने के लिये भी इस अवसर का उपयोग किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव है कि स्पेशल मैरेज ऐक्ट १९५४ अथवा हिन्दू मैरेज ऐक्ट, १९५५ के अधीन अपील के ज्ञाप पर न्यायालय शुल्क नियत करने के उद्देश्य से कोर्ट फीस ऐक्ट की अनुसूची २ के अनुच्छेद २१—ए को भी संशोधित किया जाय । इस समय ऐसे लेखों पर न्यायालय शुल्क संबंधी उपबन्ध में स्पष्टतः एक लोपन (omission) है ।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

हरगोविन्दसिंह,
वित्त मंत्री ।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २५४ एल० ए०—१९६१—८४५ ।